मेक इन इंडिया

आज़ादी का अमृत महोत्सव

G20 भारत 2023 INDIA

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

रक्षक

छ:माही पत्रिका अंक- 16 (अक्टूबर 2023 से मार्च 2024)

| कीटनाशक | फफूंदनाशी | शाकनाशी | बीज | उर्वरक | बॉयो पेस्टिसाइड्स | सूक्ष्म पोषक तत्व

हिल (इंडिया) लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

समृद्धि हेतु सुरक्षा

राजभाषा कीर्ति पुरस्कार

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लागू कीर्ति पुरस्कार योजना के अंतर्गत हिल (इंडिया) लिमिटेड को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ तथा यह प्रतिष्ठित पुरस्कार राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 14.09.2023 को आयोजित हिंदी दिवस एवं पुरस्कार वितरण समारोह में माननीय गृह राज्यमंत्री महोदय श्री अजय कुमार मिश्रा के कर-कमलों से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री कुलदीप सिंह ने प्राप्त किया।

छ:माही पत्रिका अंक–16

अक्टूबर 2023 से मार्च 2024

मुख्य संरक्षक
श्री कुलदीप सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संरक्षक
श्री डी.एन.वी. श्रीनिवास राजू
निदेशक (वित्त)

श्री शशांक चतुर्वेदी
निदेशक (विपणन)

संपादक
श्री अजीत कुमार
सहायक प्रबन्धक (राजभाषा)

परामर्श समिति
श्री अनिल यादव
डॉ. राजेन्द्र थापर
डॉ. शिवेन्द्र सिंह
श्री अजीत वर्मा
श्री विजय कुमार गांधी
श्री बालेन्द्र प्रसाद मिश्र

सहयोग
श्री ओम प्रकाश साह

पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाओं की मौलिकता का पूर्ण दायित्व स्वयं लेखकों का है। अतः पत्रिका में निहित रचनाओं के लिए हिल (इंडिया) लिमिटेड प्रबंधन उत्तरदायी नहीं है।

- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक की कलम से ... 2
- संदेश – निदेशक (वित्त) ... 3
- संदेश – निदेशक (विपणन) ... 4
- संपादकीय ... 5
- मोटे अनाज का दैनिक उपयोग और स्वास्थ्य पर प्रभाव ... 6
- मधुमक्खी पालन की दिशा में रोजगार के अवसर ... 8
- कृषि–रसायनों के दुष्प्रभाव से मानव एवं पर्यावरण सुरक्षा ... 10
- विपणन में रणनीति का महत्व : उद्देश्यों की प्राप्ति और व्यावसायिक सफलता ... 13
- सतर्कता विभाग की भूमिका एवं कार्य ... 14
- भारत की राजभाषा हिंदी : दशा और दिशा ... 16
- राजभाषा संबंधी प्रमुख प्रावधान ... 18
- हिंदी का विकास ... 19
- मिट्टी चिकित्सा : स्वास्थ्य संवधर्न के लिए ... 21
- बदलती जीवन शैली का स्वास्थ्य पर प्रभाव ... 23
- प्रातः कैसे टहलना चाहिए ... 25
- आजीवन निरोग रहने की कला ... 27
- वित्तीय योजना ... 28
- भारतीय अर्थव्यवस्था एवं ई – भुगतान ... 29
- औद्योगिक सुरक्षा ... 31
- केमिकल प्लांट : रखरखाव एवं सुरक्षा ... 33
- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ... 35
- जीवन में लक्ष्य का होना जरूरी क्यों है? ... 36
- सशक्त समाज के निर्माण में महिलाओं की भूमिका और चुनौतियां ... 37
- जीवन रूपी खेत ... 38
- इंटरनेट सुरक्षा ... 40
- प्रेरक प्रसंग ... 42
- प्रकृति की अनुपम देन : पीपल ... 43
- आर्थिक विकास एवं चुनौतियाँ ... 45
- वसुधैव कुटुम्बकम् ... 47
- भारत में शिक्षा का निजीकरण ... 51
- विज्ञान : सृजन या विध्वंस ... 53
- रोबोट या यन्त्र–मानव ... 55
- स्वदेश प्रेम ... 57
- सुंदर कौन? ... 59
- भारतीय चुनाव प्रणाली ... 61
- सूचना का अधिकार (RTI) ... 63
- स्वास्थ्य के बिना सब व्यर्थ ... 66
- जीवन की सुंदरता ... 66
- आदमी की गाथा ... 67
- शब्द एक – रूप अनेक ... 67
- हिल में एकता शपथ ... 68
- साम्प्रदायिक सद्भाव अभियान ... 68
- हिन्दी (इंडिया) लिमिटेड में सर्तकता जागरूकता सप्ताह ... 69
- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह ... 70
- किसान मेलों की झलकियां ... 71
- हिल में राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन ... 72
- हिल में गणतंत्र दिवस समारोह ... 73–74
- रामायण की चौपाई ... 74
- हिल (इंडिया) लिमिटेड में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस ... 75
- आपकी पाती ... 76

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक की कलम से

हिल के सभी कार्मिकों, उनके परिवार तथा पत्रिका के सभी सुधी पाठकों को नववर्ष, 2024 के लिए अनन्त शुभकामनाएं। हम सभी पिछले वर्ष की उपलब्धियों से प्रेरणा लेकर नूतन वर्ष में संपूर्ण निष्ठा एवं सकारात्मक दृष्टिकोण से प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत करने का संकल्प लें। मुझे आशा एवं पूर्ण विश्वास है कि हम सभी मिलकर अपनी कंपनी में चहुंमुखी विकास करने में सक्षम होंगे।

भाषा हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम होने के साथ–साथ हमारी संस्कृति की संवाहिका भी होती है । भाषा ही वह माध्यम है जो हमारी संस्कृति और सभ्यता को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को अग्रेषित करने तथा देश–विदेश में प्रसार का कार्य करती है । इस दिशा में हिंदी के योगदान की बात की जाए, तो हमारी भाषायी एवं सांस्कृतिक धरोहर के रूप में हिंदी अपनी अहम भूमिका का निर्वहन कर रही है – फिर चाहे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जन चेतना जागृत करने का कार्य हो या वैश्वीकरण के युग में विश्व स्तर पर भारतीय संस्कृति के व्यापक प्रसार का कार्य हो हिंदी ने हर क्षेत्र में अपना योगदान दिया है ।

अपने व्यवसाय विस्तार के क्रम में आज हिल (इंडिया) लिमिटेड ने एक राष्ट्रीय स्तरीय बीज एजेंसी होने के नाते, कंपनी का लगातार अपने बीज उत्पादन की योजना में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा विकसित की गई नवीनतम उच्च उपज देने वाली किस्मों को सम्मिलित करने का प्रयास रहा है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के अंतगर्त सामान्य बिक्री एवं बीज मिनीकिट की आपूर्ति के माध्यम से नवीनतम अधिक उपज देने वाली किस्मों के दलहनों और तिलहन के उत्पादन एवं आपूर्ति पर जोर दिया जा रहा है।

हमारा उद्देश्य देश में जन–स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट योग्यदान देने के साथ–साथ एक ही छत के नीचे कृषक समुदाय की सभी कृषि आदानों की आवश्यकताओं को समय पर एवं उचित दर पर पूरा करना तथा स्वच्छ और सुरक्षित प्रौद्योगिकी के माध्यम से गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करना है। इसमें फसलों की उत्पादकता को बढ़ाना और कंपनी की उत्पाद रेंज, निर्यात, दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के साथ–साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य को भी बढ़ाना है। इस दिशा में कुछ प्रयास पहले ही किए जा चुके हैं, जिसमें नवीनतम एवं अधिक उत्पादन देने वाली फसल प्रजातियों का उत्पादन एवं वितरण सम्मिलित है। मैं यह बात भी गर्व के साथ बताना चाहूँगा कि हमारी कंपनी ने भारत वर्ष के विभिन्न राज्यों में कृषि विश्वविद्यालयों के सहयोग से किसानों को अनेक प्रकार के प्रशिक्षण देकर अपना सामाजिक दायित्व भी निभाया है। इसमें समुचित मात्रा में और सुरक्षित रूप से कीटनाशकों का फसलों पर उपयोग एवं समेकित कीट प्रबंधन प्रमुख है। इस प्रकार के प्रशिक्षणों से किसानों की फसल लागत में कमी आएगी, उनका पशुधन, भूमिगत जल, पक्षी एवं वातावरण भी सुरक्षित रहेगा।

हमें राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कृत संकल्प है। यही कारण है कि कंपनी में काम–काज राजभाषा हिन्दी में उत्कृष्टतापूर्वक हो रहा है। जिसके परिणाम स्वरूप हिल को राजभाषा हिन्दी के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा लगातार पांच वर्षो से गौरवमयी कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हिन्दी सलाहकार समिति, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम–2), दिल्ली की बैठक एवं पुरस्कार वितरण समारोह में भी हमारी कंपनी को हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य के लिए समय–समय पर सम्मानित किया गया है।

''रक्षक'' पत्रिका के अनवरत प्रकाशन से हमें एक ओर जहां समग्र हिल में संपन्न राजभाषा संबंधी गतिविधियों की झांकी देखने को मिलती है वहीं दूसरी ओर हिल कार्मिकों और उनके परिवारजनों की साहित्य सृजन तथा पठन–पाठन में अभिरूचि भी विकसित होती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि नवीन विषयों और गतिविधियों से सुज्जित पत्रिका का यह नया अंक आप सभी को पसंद आएगा ।

शुभकामनाओं सहित ।

(कुलदीप सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

संदेश

गृह पत्रिका ''रक्षक'' का नवीनतम अंक आपको सौपते हुए मुझे अति प्रसन्नता हो रही है। राजभाषा हिन्दी का प्रचार–प्रसार करना हमारा सामाजिक दायित्व होने के साथ–साथ संवैधानिक अनिवार्यता भी है। रक्षक पत्रिका हिल के कार्मिकों की हिन्दी में लेखन क्षमता बढ़ाने के साथ–साथ पाठकों को उपयोगी जानकारी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हिल (इंडिया) लिमिटेड का कारोबार जन–स्वास्थ्य, कृषि रसायन, बीज और उर्वरक का निर्माण एवं विपणन है, जिसका सीधा संबंध आम जनता और किसानों से है। हिल के कारोबार को प्रोत्साहित करने और किसानों के बीच संपर्क स्थापित करने में राजभाषा हिन्दी निःसंदेह एक सेतु का कार्य कर रही है। आज हिन्दी को विश्व की सशक्त तथा व्यापक भाषाओं की श्रेणी में होने पर गर्व है। मेरा यह मानना है कि भाषा की उन्नति ही राष्ट्र उन्नति का द्योतक है।

हिन्दी सारे देश को एकता के सूत्र में बांधती चली आई है। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में अनेक सेनानियों ने हिन्दी को अपनाया, स्वयं उसका प्रयोग किया और अन्य लोगों को इस भाषा के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन का संदेश सारे देश में जन–जन तक फैला। जिसके परिणामस्वरूप देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा बनी। आज हिन्दी अपने एक सीमित दायरे से बाहर निकलकर एक नए आकाश में अनेक रूपों में उड़ान भर रही है। यही कारण है कि कंपनी में काम–काज राजभाषा हिन्दी में उत्कृष्टतापूर्वक हो रही है। जिसके परिणाम स्वरूप हिल को राजभाषा हिन्दी के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित कीर्ति पुरस्कार से समानित किया गया है। इसके अतिरिक्त नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम–2) दिल्ली से एवं हिन्दी सलाहकार समिति के द्वारा हिल को राजभाषा हिन्दी में उत्कृष्ट कार्यान्वयन एवं पत्रिका के लिए शिल्ड देकर सम्मानित किया गया है। हम राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कृत संकल्प है।

मुझे आशा है कि इस पत्रिका के माध्यम से पाठकों को संगठन भी गतिविधियों की जानकारी मिलने के साथ–साथ पाठकों को सुरूचिपूर्व एवं ज्ञानवर्धक लेख पढ़ने का अवसर मिलेगा। राजभाषा हिन्दी के प्रचार–प्रसार में 'रक्षक' अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करें, यही मेरी हार्दिक कामना है।

श्रीनिवास राजू

(डी.एन.वी. श्रीनिवास राजू)
निदेशक (वित्त.)

समृद्धि हेतु सुरक्षा

संदेश

नए कलेवर, विभिन्न विषयों एवं तकनीकी सूचनाओं के साथ ''रक्षक'' पत्रिका का नया अंक आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है। जिस प्रकार साहित्य समाज का दर्पण होता है, ठीक उसी प्रकार पत्रिका भी किसी संस्थान का दर्पण है, जिसके माध्यम से संस्था की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी पाठकों के साथ साझा की जाती है । भाषा केवल अभिव्यक्ति का नहीं बल्कि देश को एक सूत्र में पिरोने का भी सशक्त माध्यम है। इस पत्रिका के माध्यम से हम राजभाषा हिन्दी का प्रचार–प्रसार करने के साथ–साथ कंपनी के कार्यकलापों, योजनाओं, उपलब्धियों और कारोबार संबंधी नवीनतक जानकारी के अतिरिक्त अन्य उपयोगी सामग्री पाठकों को उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। यह हर्ष का विषय है कि पत्रिका अपने उद्देश्य का सफलतापूर्वक पालन कर रही है।

भारत न केवल विविध सभ्यता और संस्कृति बल्कि विविध भाषाओं वाला देश भी है । यहां हर एक कोस पर पानी और चार कोस पर वाणी यानी भाषा बदलती है। ऐसे विविध भाषाओं वाले देश में सभी भाषा–भाषी को एक सूत्र में पिरोने का कार्य हिंदी बखूबी कर रही है । हिंदी की सरलता, सहजता और सारगर्भिता के कारण ही आज हिंदी का उपयोग विश्व स्तर पर किया जा रहा है। सन् 1949 में राजभाषा के रूप में आरम्भ हुई हिंदी की विकास यात्रा ने अब वैश्विक भाषा का रूप ले लिया है । इतना ही नहीं विश्व स्तर पर हिंदी का बढ़ता वर्चस्व इसके उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहा है । साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के कारण आज हिंदी इंटरनेट से लेकर सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर अग्रणी स्थान पर विराजमान है ।

कंपनी अपने व्यावसायिक हितों तथा निगमित दायित्वों का ध्यान रखने के साथ–साथ अपने संवैधानिक तथा नैतिक दायित्वों का निर्वाह करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। कंपनी द्वारा संसदीय राजभाषा समिति, प्रशासनिक मंत्रालय के निर्देशों तथा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के अनुपालनार्थ पूरा प्रयास किया जाता है। कंपनी की वेबसाइट पूर्णतः द्विभाषी है। सभी कार्मिकों को कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने हेतु हिंदी कार्यषाला के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता है। कंपनी में प्रयोग होने वाले शब्दों/वाक्यांशों को सम्मिलित करते हुए एक कार्यालय सहायिका तैयार करके कार्मिकों को प्रदान की गई है, इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप कंपनी के निगमित कार्यालय को राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के उत्तम निष्पादन के लिए गत पांच वर्षों से लगातार राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से कीर्ति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। प्रधान कार्यालय एवं अधीनस्थ यूनिटों को भी संबंधित नराकास से पुरस्कार के रूप में राजभाषा शील्ड प्राप्त हुई है।

गृह पत्रिका के प्रकाशन का उद्देश्य हिल परिवार के सभी सदस्यों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित/प्रोत्साहित करने के साथ–साथ उनकी रचनात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देना है। सृजनशील प्रतिभाओं के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम होने के अतिरिक्त पत्रिकाओं का राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान है।

मुझे आशा है कि इस पत्रिका के माध्यम से पाठकों को संगठन की गतिविधियों की जानकारी मिलने के साथ–साथ पाठकों को सुरूचिपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक लेख पढ़ने का अवसर मिलेगा। राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार में 'रक्षक' अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करे, यही मेरी हार्दिक कामना है।

शशांक चतुर्वेदी

(शशांक चतुर्वेदी)

निदेशक (विपणन)

संपादकीय

यह अत्यन्त हर्ष का विषय है कि हिल (इंडिया) लिमिटेड में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में प्रगति हो रही है। जिसका संक्षिप्त परिचय गृह पत्रिका 'रक्षक' का अनवरत प्रकाशन है ।

गृह पत्रिका किसी भी संगठन के कार्मिकों की रचनात्मक प्रतिभा को व्यक्त करती है। पत्रिका में प्रकाशन हेतु उपयोगी लेख भेज कर पत्रिका को बेहतर बनाने के लिए सभी लेखकों के सहयोग का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते है कि आज पूरे भारतवर्ष में हिंदी संपर्क भाषा के रूप में जन–जन की भाषा बन गई है जो भारतवासियों को एकसूत्र में जोड़ती है। इसके लिए हमें हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सहज, सुबोध और सरल हिंदी को अपनाना होगा इसलिए हम सभी का कर्तव्य हो जाता है कि हम कार्यालय के कार्य में सरल और आम बोलचाल के शब्दों का अधिक प्रयोग करें। हिंदी का विकास ही देश का विकास है।

यह अंक 'रक्षक' के पिछले अंको से भिन्न है, क्योंकि प्रस्तुत अंक में कंपनी की गतिविधियों की जानकारी देने के साथ–साथ जनोपयोगी लेख जैसे मोटे अनाज का दैनिक उपयोग और स्वास्थ्य पर प्रभाव, मधुमक्खी पालन की दिशा में रोजगार के अवसर, कृषि–रसायनों के दुष्प्रभाव से मानव एवं पर्यावरण सुरक्षा, सतर्कता विभाग की भूमिका एवं कार्य, भारत की राजभाषा हिंदी – दशा और दिशा, मिट्टी चिकित्सा : स्वास्थ्य संवर्धन के लिए, वित्तीय योजना, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं ई–भुगतान, केमिकल प्लांट : रखरखाव एवं सुरक्षा, जीवन रूपी खेत, इंटरनेट सुरक्षा, सूचना का अधिकार आदि विभिन्न विषयों के सम्मिलित किया गया हैं। पत्रिका को रोचक बनाने के लिए कविताओं, संस्मरणों आदि का भी समावेश किया गया है। इस छःमाही में आयोजित संगोष्ठी, कार्यशाला एवं कीटनाशकों के विवेकपूर्ण उपयोग और एकीकृत कीट प्रबंधन पर दिए गए प्रशिक्षणों के चित्र प्रकाशित किए गए है।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की राजभाषा नीतियों के अनुपालनार्थ अधिक से अधिक कार्य हिंदी में किया जाता है। इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लागू कीर्ति पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार हमारे लिए अत्यन्त प्रेरणादायी है। इसी वर्ष रसायन और उर्वरक मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में कंपनी को हिंदी के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुए है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति से समय–समय पर हिंदी के कार्यान्वयन तथा गृह पत्रिका 'रक्षक' के लिए राजभाषा शिल्ड के रूप में प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए है। इन प्रेरणादायी पुरस्कार के लिए हिल (इंडिया) लिमिटेड की ओर से हार्दिक आभार। भविष्य में राजभाषा हिंदी के प्रयोग, प्रचार एवं प्रसार के लिए हिल (इंडिया) लिमिटेड सदैव सघन प्रयास करती रहेगी।

'रक्षक' पत्रिका में निरंतर निखार आए इसके लिए सभी सुधी पाठकों से सुझावों की अपेक्षा है। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए सदैव प्रयत्नशील है। आशा करता हूँ कि विगत अंको की तरह यह अंक भी आपके लिए रूचिकर एवं उपयोगी साबित होगा।

अजीत कुमार
सहायक प्रबंधक (राजभाषा)
(राजभाषा गौरव सम्मान से सम्मानित)

मोटे अनाज का दैनिक उपयोग और स्वास्थ्य पर प्रभाव

कृषि प्रभाग

शशांक चतुर्वेदी
निदेशक (विपणन), निगमित कार्यालय

बेहतर स्वास्थ्य के लिए साग – सब्जियों के साथ अनाज का सेवन भी जरूरी होता है । अनाज का सेवन शरीर को जरूरी पोषण देने के साथ – साथ कई बीमारियों से बचाए रखने में मदद कर सकता है । वहीं, जब बात अनाज की हो, तो रागी को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है ।

रागी क्या है ?

रागी, भारत के साथ–साथ अफ्रीका की विभिन्न जगहों में उगाया जाने वाला एक मुख्य अनाज है। वैज्ञानिक नाम इसका एलुसीन कोरकाना (Eleusine coracana) है। यह भारत के प्रमुख अनाजों में से एक है। इसका उत्पादन भारत में सबसे अधिक कर्नाटक राज्य में किया जाता है। इसे कई अलग–अलग नामों से भी जाना जाता है जैसे हिंदी में रागी/मंडुआ मंगल और तमिल में केझवारगु। वहीं, कन्नड और तेलुगु में भी इसे रागी ही कहा जाता है। यह फाइबर, प्रोटीन, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे कई जरूरी पोषक तत्वों से समृद्ध होता है ।

रागी के फायदे, उपयोग और नुकसान

रागी के फायदे–

लेख के इस भाग में विभिन्न शारीरिक समस्याओं पर रागी खाने के फायदे क्रमवार बताए गए हैं। वहीं, इस बात का ध्यान रखें कि रागी का सेवन किसी भी शारीरिक समस्या का इलाज नहीं है। इसका सेवन केवल शारीरिक समस्याओं से बचाव के लिए और एक स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ के रूप में किया जा सकता है।

1. एंटीऑक्सीडेंट : रागी के फायदे की अगर बात की जाए तो यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भी भरपूर होता है। दरअसल, रागी में टैनिन, पॉलीफेनोल्स और फ्लेवनॉइड्स जैसे कई फेनॉलिक कंपाउंड पाए जाते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव प्रदर्शित कर सकते हैं। वहीं, एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव फ्री रैडिकल की वजह से होने वाले हृदय रोग, एजिंग की समस्या और गठिया के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। ऐसे में एंटीऑक्सीडेंट खाद्य पदार्थों में शामिल रोगी का सेवन लाभकारी साबित हो सकता है।

2. एंटी–इंफ्लेमेटरी : सूजन से जुड़ी समस्याओं में रागी खाने के फायदे देखे जा सकते हैं। दरअसल, रागी में एंटी–इंफ्लेमेटरी प्रभाव पाया जाता है और यह प्रभाव सूजन से जुड़ी समस्याओ (जैसे मधुमेह, गठिया, एलर्जी, हृदय रोग आदि) के लिए उपयोगी हो सकता है। ऐसे में सूजन के प्रभाव को कम करने के लिए रागी को दैनिक आहार का हिस्सा बनाया जा सकता है।

3. डायबिटीज के लिए रागी : मधुमेह की समस्या की अगर बात की जाए तो रागी को डायबिटीज डाइट में शामिल किया जा सकता है। दरअसल, एक शोध में इसके में एंटी–डायविटिक गुण के विषय में पता चलता है, जो टाइप 2 डायबिटीज के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। वहीं, यह एक लो ग्लाइसेमिक खाद्य पदार्थ है, जो ब्लड ग्लूकोज को नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है। ऐसे में रागी को डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद माना जा सकता है।

4. एंटी–कैंसर : कैंसर से बचाव में रागी कुछ हद तक मददगार हो सकता है। दरअसल, रागी में कुछ जरूरी एमिनो एसिड जैसे–मेथिओनाइन, सिस्टीन और लायसिन मौजूद होते हैं. जो कैंसर से बचाव में सहायक हो सकते हैं। इतना ही नहीं, इसमें मौजूद डायटरी फाइबर भी कैंसर से बचाव में मदद कर सकता है। वहीं, शोध में जिक्र मिलता है कि यह स्तन कैंसर के जोखिम को कम करने में भी कुछ हद तक सहायक हो सकता है। हालांकि, इसे कैंसर का इलाज समझने की गलती न करें, यह सिर्फ कुछ हद तक कैसर से बचाव में मदद कर सकता है। वहीं, किसी को अगर कैंसर है, तो डॉक्टरी उपचार करवाना बहुत जरूरी है।

5. वजन कम करने के लिए रागी : रागी के फायदे की अगर बात की जाए, तो यह वेट लॉस डाइट का हिस्सा भी बन सकता है। इससे जुड़े एक शोध में जिक्र मिलता है कि रागी का उपयोग वजन को नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है। दरअसल, इसमें ट्रिप्टोफेन नामक एमिनो एसिड पाया जाता है, जो भूख को कम कर वजन को नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है। इसके अलावा, शोध में जिक्र मिलता है कि रागी एक हाई फाइबर मुक्त आहार है, जो मोटापे के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। हालांकि, रागी के साथ–साथ नियमित व्यायाम भी आवश्यक है।

6. कोलेस्ट्रॉल के लिए रागी : रागी के फायदे की बात की जाए, तो यह कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी सहायक हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल मोम जैसा पदार्थ है, जो शरीर की कोशिकाओं में मौजूद होता है। मनुष्य के शरीर को सही तरीके से काम करने के लिए कोलेस्ट्रॉल की भी आवश्यकता होती है। हालांकि, अगर

शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा हो जाए, तो हृदय रोग का जोखिम बढ़ सकता है। ऐसे में कोलेस्ट्रॉल कम करने के ड्राइट में रागी को शामिल करना उचित विकल्प हो सकता है। इसमें मौजूद फायटिक एसिड और डाइटरी फाइबर कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक हो सकते हैं

7. प्रोटीन : शरीर के लिए कई पोषक तत्व जरूरी होते हैं और प्रोटीन भी उन्हीं आवश्यक पोषक तत्वों में से एक है। मांसपेशियों और हड्डियों को बनाने और उन्हें स्वस्थ रखने में प्रोटीन की अहम भूमिका होती है। इसके अलावा, प्रोटीन शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम भी करता है। ऐसे में शरीर को जरूरी प्रोटीन देने के लिए अपने प्रोटीन युक्त डाइट में रागी को शामिल कर सकते हैं। रागी में भरपूर मात्रा में प्रोटीन मौजूद होता है, जिस कारण इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकता है।

8. हड्डियों के लिए : रागी के लाभ हड्डियों के लिए भी खूब हैं। दरअसल, रागी में कैल्शियम की भी अच्छी मात्रा पाई जाती है। वहीं, कैल्शियम की मौजूदगी के कारण रागी को शिशु, बढ़ते बच्चों के लिए और गर्भवती के लिए सेहतमंद खाद्य पदार्थों में से एक है। कैल्शियम की कमी से बचाव के लिए कैल्शियम युक्त डाइट में रागी को शामिल करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

9. हृदय के लिए : रागी का सेवन हृदय को स्वस्थ रखने के लिए भी किया जा सकता है। दरअसल, रागी में आयरन और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो हार्ट अटैक के जोखिम को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। इसके अलावा, यह कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करके भी इनसे होने वाले हृदय रोग के जोखिम को कम कर सकता है । ऐसे में हृदय को स्वस्थ रखने के लिए रागी को आहार में शामिल किया जा सकता है।

10. त्वचा के लिए रागी : रागी के फायदे सिर्फ सेहत के लिए ही नहीं, बल्कि त्वचा के लिए भी हैं। दरअसल, रागी में मौजूद फेरुलिक एसिड यूवी विकिरणों की वजह से होने वाली त्वचा की क्षति से बचाव कर सकता है। इतना ही नहीं, इसमें एंटी–एजिंग गुण भी मौजूद होता है, जिस कारण यह वक्त से पहले त्वचा पर एजिंग के प्रभाव को कम कर सकता है। रागी का उपयोग फेस मास्क के तौर पर किया जा सकता है। तो ये थे कुछ रागी खाने के फायदे। उम्मीद है कि जिन्होंने अभी तक इस पौष्टिक आहार को डाइट में शामिल नहीं किया है, वो इस लेख में दिए गए रागी के फायदे जानकर रागी का सेवन जरूर करेंगे। रागी का उपयोग अगर संतुलित मात्रा में किया जाए, तो रागी के फायदे स्वास्थ्य में दिख सकते हैं। ऐसे में रागी के लाभ के लिए इसे आहार में शामिल करें।

रागी के नुकसान –

इसमें कोई शक नहीं है कि रागी के फायदे कई सारे हैं, लेकिन कुछ मामलों में रागी के नुकसान भी हो सकते हैं। हालांकि, ये नुकसान इसके अधिक सेवन के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। हालांकि, इसके नुकसान से जुड़े सटीक शोध का अभाव है, लेकिन फिर हम सावधानी के तौर पर इसके कुछ संभावित नुकसान नीचे बता रहे हैः जैसा कि रागी कैल्शियम का एक स्रोत है। ऐसे में इसके अधिक सेवन से किडनी स्टोन का कारण बन सकता है।

- रागी में फाइब्रर भी पाया जाता है। ऐसे में अधिक फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ के सेवन से पेट संबंधी समस्याएं जैसे – गैस, पैंट फूलना और पेट में ऐंठन हो सकती है। अलग किसी को रागी से एलर्जी है. तो इसका सेवन एलर्जी का कारण बन सकता है।

रागी का उपयोग–

रागी के फायदे जानने के बाद जाहिर सी बात है कि आप इसका उपयोग भी जरूर करना चाहेंगे। ऐसे में लेख के इस भाग में हम रागी के उपयोग से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार करें रागी का उपयोग :रागी डोसा खा सकते हैं।

- रागी की रोटी बनाकर सेवन कर सकते हैं।
- पराठे बनाने के लिए भी रागी का आटा उपयोग कर सकते हैं।
- रागी से इडली बनाई जा सकती है।
- रागी मुद्दे जिसे रागी बॉल्स भी कहा जाता है, आप बना सकते हैं।
- रागी की चकली बनाई जा सकती है। रागी से बने फेस मास्क का उपयोग कर सकते हैं।

मधुमक्खी पालन की दिशा में रोजगार के अवसर

अनिल यादव
उप महाप्रबंधक (उत्पाद विकास),
निगमित कार्यालय

शहद तथा मोम की प्राप्ति हेतु मधुमक्खी को पालने के विज्ञान को मधुमक्खी पालन कहते हैं। इसे Apiculture या मोनापालन के नाम से भी जाना जाता है। कृषि आधारित उद्यम आरम्भ करने के लिए मधुमक्खी पालन अति उपयुक्त है। मधुमक्खी पालन को एक दिलचस्प रुचि, अतिरिक्त व्यवसाय मौन उत्पादों तथा परागण प्रबंधन से जोड़कर व्यावसायिक उद्यम के रूप में अपनाया जा सकता है।

मधुमक्खियां मकरंद और पराग एकत्रित करते समय पौधे के परागण में सहयोग करती है जिससे उत्पादन कई गुना बढ़ जाता है। ऐसी फसलें जिनमें पर परागण द्वारा निषेचन होता है, उन फसलों में परागण क्रिया मधुमक्खी द्वारा करने से औसतन 15 से 30 प्रतिशत उत्पादन में मुनाफा होता है। इस मुनाफा में कृषक को अपने पास से किसी भी प्रकार का निवेश नहीं करना पड़ता तथा इसके पालन से शहद एवं मोम उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। सरसों में औसतन उपज 880 किलो/हैक्टेयर है जो मधुमक्खी पालन करने पर 1056 किलो हैक्टेयर तक बढ़ जाती है। और बीजीय मसालों वाली फसलों में मधुमक्खी द्वारा परागण क्रिया से औसतन उपज में भी बढोतरी पायी गयी है।

मधुमक्खियों द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला शहद एक महत्त्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है जिसे औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। शहद के अतिरिक्त मौनवंशों से हमें मोम, पराग, प्रोपोलिस, रॉयल जेली तथा मौनविष प्राप्त होते हैं।

मधुमक्खियों की मुख्य प्रजातियाँ

1. छोटी मधुमक्खी, (एपिस फलोरिया)
2. जंगली मधुमक्खी (एपिस डॉरसेटा)
3 भारतीय मधुमक्खी (एपिस सिराना)
4 इटालियन मधुमक्खी (एपिस मेलिफेरा)

इनमें से पहली दो मधुमक्खियां जंगली है जिन्हें आधुनिक मौनगृहों में नहीं पाला जा सकता, जबकि देसी मधुमक्खी एपिस सिराना व विदेशी मधुमक्खी एपिस मेलिफेरा को आधुनिक मौनगृहों में पाला जा सकता है। उपरोक्त मधुमक्खियों की किस्में विभिन्न प्रकार के छत्ते बना कर रहती हैं तथा इनकी शहद पैदा करने की क्षमता भी भिन्न है।

मधुमक्खी के समूह की बात है समूह में अक्सर समी मधुमक्खियों एक जैसी होती हैं और हमें लगता है की सभी का कार्य भी एक जैसा ही होता होगा लेकिन यह सत्य नहीं है। मधुमक्खी के एक समूह में मुख्य रूप से तीन तरह की मधुमक्खियों होती हैं इसमें एक रानी मक्खी, सैंकड़ों की संख्या में हमलावर मक्खी एवं हजारों की संख्या में मेहनत करने वाली मधुमक्खियों होती है।

मधुमक्खियों के समूह में रानी मधुमक्खी का काम केवल बच्चे पैदा करना होता है वही मेहनतकश मधुमक्खियों का काम फूलों इत्यादि से परागगण को लाने का होता है, हमलावर मधुमक्खियों का कार्य सुरक्षा का। रानी मधुमक्खी की प्रजाति को मुख्य रूप से पांच भागों डैमर मधुमक्खी, छोटी मधुमक्खी, चट्टानी मधुमक्खी, भारतीय मधुमक्खी एवं इटली को मधुमक्खी में विभाजित किया जा सकता है।

मधुमक्खियों की संख्या

एक डिब्बे में कुल 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ रखी जाती है। इन तीन प्रकार की मधुमक्खियों में रानी मधुमक्खी, नर मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी शामिल होती हैं एक डिब्बे में श्रमिक मधुमक्खी की संख्या 30000 से 1 लाख तक की होती है इसमें नर मधुमक्खी की संख्या 100 के आस पास होती है इसमें रानी मधुमक्खी की संख्या केवल 1 होती है।

मधुमक्खियों की आयु

विभिन्न प्रकार की मधुमक्खियों की आयु विभिन्न होती है रानी मधुमक्खी की आयु 1 वर्ष की, नर मधुमक्खी की आयु 6 महीने और श्रमिक मधुमक्खी की आयु लगभग डेढ़ महीने होती है।

मधुमक्खी की मुख्य प्रजाति

एपिस मैलीफेरा इस मधुमक्खी को इटेलियन मधुमक्खी भी कहते हैं। यह आकार व स्वभाव में एपिस इंडिका की तरह होती है लेकिन इस प्रजाति की रानी मक्खी के अण्डे देने की क्षमता बहुत अधिक होती है। एक मीनवंश में 60,000–70,000 तक कमेरी मधुमक्खियो हो सकती हैं। नर, रानी व कमेरी मधुमक्खियां अलग–अलग काष्ठों में रहती है।

सन् 1962 में यह मधुमक्खी सबसे पहले नगरोटा मौन पालन केन्द्र उस समय पंजाब में, अब हिमाचल प्रदेश में स्थापित की गई। तत्पश्चात् इसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश इत्यादि में सफलतापूर्वक पाला जा रहा है। यह मधुमक्खी मैदानी क्षेत्रों के लिए काफी उपयुक्त है। यह मधुमक्खी भी देशी मधुमक्खी की भांति अंधेरे स्थानों में कई समानान्तर छत्ते बनाती है। एक मौनवंश से एक साल में औसतन 40–60 किलोग्राम शहद लिया जा सकता है। वैसे मधुमक्खी की 100 किलोग्राम तक शहद उत्पादन क्षमता होती है।

शहद निकालना (निष्कासन)

मोम द्वारा सील किये गये शहद के फ्रेमों को एपायरी में अगले स्थान (नेट हाउस) पर एकत्रित करते हैं। चाकू की सहायता से मोम की परत को हटा दिया जाता है। इन फेमों को हाथ से चलाने वाली मशीन में रखकर हैंडिल को घुमाने से फ्रेमों में जमाद्य गाढ़ा शहद मशीन के ड्रम में एकत्रित होता रहता है। शहद को छानकर प्लास्टिक के ड्रम अथवा बाल्टी में भण्डारण किया जा सकता है। उपयोग में लाने से पूर्व शहद को पानी के उपर गरम करके उपरी सतह पर मोम को अलग कर दिया जाता है। शहद को साफ कांच की बोतलों में भर लेना चाहिए।

पराग एकत्रित करना

प्रचुर मात्रा में पराग उपलब्ध होने पर इसका संचय कॉलोनी के बाहर ही किया जाता है। कॉलोनी के मुख्य द्वार पर लकड़ी से बना "पोलन ट्रेप" जिसमें 5.0 मि.मी. छिद्र की पट्टी (स्किन) को लगा देते है।कॉलोनी में प्रवेश के दौरान मधुमक्खी की टांगों में जमा पोलन इसी ट्रेप की ट्रे में एकत्रित होता रहता है। प्रतिदिन इस पोलन को निकालकर छलनी आदि की सहायता से साफ करके भण्डारण करना चाहिए।पराग का भण्डारण इसको सुखाकर रेफ्रीजिरेटर में रख कर किया जा सकता है।पराग का संग्रहण तब करें जब कॉलोनी में पर्याप्त मात्रा में भोजन हो और सप्ताह में दो दिन ही पराग का संग्रहण करें ।

शहद की पोषण संबंधी प्रोफाइल

डॉ. बजाज के अनुसार, 100 ग्राम शहद का पोषण विवरण इस प्रकार है।

– कैलोरी: 304 किलो कैलोरी
– कार्बोहाइड्रेट: 82.12 ग्राम
– शर्करा: 82.12 ग्राम
– प्रोटीन: 0.3 ग्राम
– वसा: 0 ग्राम
– विटामिन और खनिज: शहद में थोड़ी मात्रा में विटामिन और खनिज होते हैं, जिनमें विटामिन सी, कैल्शियम और आयरन शामिल हैं।

शहद के स्वास्थ्य लाभ

1. प्रतिरक्षा: शहद में रोगाणुरोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो प्रतिरक्षा स्वास्थ्य का समर्थन कर सकते हैं और संक्रमण से लड़ने में मदद कर सकते हैं।

2. पाचन स्वास्थ्य: शहद में प्रीबायोटिक गुण हो सकते हैं, जो लाभकारी आंत बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देते हैं। यह पाचन तंत्र पर अपने सुखदायक प्रभाव के लिए भी जाना जाता है।

3. घाव भरना: घाव भरने के गुणों के लिए शहद का उपयोग सदियों से किया जाता रहा है। इसकी रोगाणुरोधी प्रकृति घावों में संक्रमण को रोकने में मदद कर सकती है।

4. खांसी से राहत: गले पर सुखदायक प्रभाव के कारण खांसी की दवा में शहद एक आम घटक है। यह खांसी के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है।

कृषि-रसायनों के दुष्प्रभाव से मानव एवं पर्यावरण सुरक्षा

रोहित कुमार
प्रबंधक (विपणन),
अनुसंधान एवं विकास केंद्र

कृषि–रसायन वे पदार्थ हैं, जिनका उपयोग मनुष्य कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के प्रबंधन हेतु करता है।कृषि रसायनों का इस्तेमाल फसल उत्पादन में सुधार के लिए शुरू हुआ था, लेकिन वर्तमान में इन रसायनों का अधिक एवं असंतुलित मात्रा में प्रयोग हो रहा है। ये रसायन आ. सपास मृदा और जल निकायों में रिसते हैं और पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। कृषि रसायनों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आने वाले किसानों तथा उनके परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य भी गंभीरता से प्रभावित होता है। कृषि रसायनों में रासायनिक उर्वरक, मृदा का पी–एच बदलने के लिए उपयोग में आने वाले रसायन (लिमिडिंग और एसिडिंग एजेंट), मृदा कंडिशनर, कीटनाशक, खरपतवारनाशी, जीवाणुनाशक, फफूंदनाशी,
कृन्तकनाशी (चूहामार) और पशुधन के उपयोग में आने वाले रसायन (एंटीबायोटिक्स और हार्मोन) आदि रसायन शामिल हैं। कृषि रसायनों में सबसे अधिक हानिकारक पीड़कनाशी होते हैं। पौधों या पशुओं के लिए हानिकारक कीटों या अन्य जीवों को नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाने वाला पदार्थ पीड़कनाशी कहलाता है।

कीटनाशक, जीवाणुनाशक, फफूंदनाशक, खरपतवारनाशी (शाकनाशी), कृंतकनाशी आदि पीड़कनाशी रसायन हैं।
कृषि रसायन की नुकसान करने या रोगी करने की क्षमता उसकी विषाक्तता कहलाती है। यह दो प्रकार की होती है: तीव्र विषाक्तता और दीर्घकालिक विषाक्तता। तीव्र विषाक्तता किसी जीव को एक अल्प या सीमित समय में नुकसान तथा रोगी कर सकती है। दीर्घकालिक विषाक्तता किसी रसायन या कीटनाशक के लंबे समय तक छोटे खुराकों के ग्रहण करने से होती है। कीटनाशक की विषाक्तता की जानकारी लेबल के माध्यम से देना सभी निर्माताओं के लिए अनिवार्य है। विषाक्तता में चार अलग–अलग रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। लाल, पीले, नीले एवं हरे रंग का लेबल क्रमशः

कृषि रसायनों की विषाक्तता की पहचान

अत्यंत विषाक्तता, अत्यधिक विषाक्तता, मध्यम विषाक्तता एवं न्यूनतम विषाक्तता का प्रतिनिधित्व करता है।

कृषि रसायनों का मानव शरीर एवं पर्यावरण में प्रवेश :

मानव शरीर में पीड़कनाशी या अन्य रसायनों का प्रवेश मुख्यतः तीन तरह से होता है:

- कृषि रसायनों का त्वचा एवं आंखों से सीधा संपर्क
- कृषि रसायनों का हवा के साथ फेफड़ों में प्रवेश
- कृषि रसायनयुक्त खान–पान(अन्न, फल, सब्जी, मांस, मछली, दूध, पानी आदि) से मुंह द्वारा शरीर में प्रवेश

पर्यावरण में कृषि रसायन मुख्य रूप से प्रारंभिक तैयारी और अनुप्रयोग के दौरान हवा, सतह के जल निकाय, भूजल, मृदा, फसल, फल, सब्जी, अलग–अलग जीव आदि में प्रवेश करते हैं।

कृषि रसायनों का पर्यावरण पर प्रभाव असंतुलित उपयोग के कारण :

कीटनाशकों ने हमारे पर्यावरण के लगभग प्रत्येक हिस्सों को दूषित कर दिया है।

- कीटनाशक, मृदा, हवा, पानी ;सतह तथा भूजलद्ध और गैर–लक्षित जीवों में आम संदूषक के रूप में पाए जाते हैं।
- कीटनाशक पौधे, पशु, गैर–लक्षित पौधे, मछली एवं अन्य जलचर,

पक्षी, वन्यजीव, फायदेमंद या तटस्थ सूक्ष्मजीव एवं कीट आदि में जोखिम पैदा करते हैं तथा नुकसान पहुंचाते हैं।

● पीड़कनाशी के अत्यधिक प्रयोग से मृदा में उपस्थित लाभकारी सूक्ष्मजीवों की संख्या घट जाती है। इस स्थिति में मृदा स्वास्थ्य, उपजाऊपन, पैदावार आदि बुरी तरह से अनिश्चित समय के लिए प्रभावित होते हैं।

● कुछ पीड़कनाशी जैविक अपघटन के प्रतिरोधी होते हैं। इस कारण इनकी सांद्रता वर्ष दर वर्ष बढ़ती जाती है और वे जीवों के ऊतकों में संचयित हो जाते हैं। यह पर्यावरणीय पारिस्थितिकी तंत्रा के लिए बहुत बड़ा खतरा है।

कृषि रसायनों का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव :

जहरीले कृषि रसायन जिन पीड़कों पर लक्षित किये जाते हैं, दुर्भाग्य से वे उन पीड़कों से अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। इन रसायनों के संपर्क में आने पर निम्न प्रकार के तत्काल स्वास्थ्य प्रभाव हो सकते हैं:

- श्वसन मार्ग का दाह/जलन गले में खराश और खांसी
- एलर्जी संवेदीकरण
- आंख और त्वचा में जलन
- आंख और त्वचा में सूजन एवं लाल होना
- मिचली, उल्टी, दस्त
- सिरदर्द, अचेत होना
- अत्यधिक कमजोरी, दौरे पड़ना और मृत्यु

कृषि रसायनों की कम सांद्रता से तत्काल प्रभाव नहीं देते जाते है बल्कि समय के साथ, वे बहुत गंभीर रोगों का कारण बनते हैं। पीड़कनाशक सामान्यतः कार्सिनोजेनिक (कैंसर) उत्पन्न करने वाले) टैराटोजेनिक (विकृति उत्पन्न करने वाले) तथा ट्यूमरोजेनिक (ट्यूमर तथा सिस्ट उत्पन्न करने वाले) प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। कई अध्ययनों में पाया गया है कि कृषि रसायनों के असंतुलित तथा अत्यधिक प्रयोग से कैंसर होने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। इनमें ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, मस्तिष्क, गुर्दे, स्तन, प्रोस्टेट, अग्न्याशय, यकृत, फेफड़े और त्वचा के कैंसर शामिल हैं। पंजाब और हरियाणा में कृषि श्रमिकों के बीच कैंसर की बढ़ी हुई दर इस बात का प्रमाण है। किसान, श्रमिक, निवासी और इनसे जुड़े उपभोक्ता विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में, दैनिक गतिविधियों द्वारा कीटनाशकों के संपर्क में आते हैं, इसलिए उन्हें इन रसायनों से अधिक जोखिम होता है।

कृषि रसायनों का सुरक्षित इस्तेमाल एवं प्रबंधन

निम्न उपायों से कृषि रसायनों का सुरक्षित इस्तेमाल एवं प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकता हैः

● खरीद और भंडारण हमेशा प्रतिष्ठित एवं ब्रांडेड कपंनी द्वारा निर्मित कृषि रसायन केवल आवश्यक मात्रा में खरीदें। उचित/अनुमोदित लेबल के बिना कृषि रसायन न खरीदें। खरीदते समय लीक, ढीले, सील खुले हुए कंटेनर/डिब्बे/या पफटे बैग न खरीदें। कृषि रसायनों की खरीद के बाद पक्का बिल अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें और बिल को संबंधित कृषि रसायनों के परिणाम प्राप्त होने तक सुरक्षित रखें।

● कृषि रसायनों का भण्डारण, बच्चों एवं पशुओं की पहुंच से बाहर, घर के परिसर से दूर किसी सुरक्षित स्थान पर करें। ध्यान रहे कि भण्डारित कृषि रसायन प्रत्यक्ष सूर्य की किरण, बारिश, पानी आदि के संपर्क में न आएं।

● कृषि रसायनों के भण्डारण के स्थान पर अन्य सामग्रियां जैसे–पशुओं का चारा, भूसा, पशु खाद्य, फसल या फसल का कोई भी हिस्सा आदि संग्रहित न करें।

● कृषि रसायनों को हमेशा अपने मूल कंटेनर में रखें तथा किसी भी स्थिति में उन्हें अन्य कंटेनर में स्थानांतरित न करें।

●खरपतवारनाशी/ शाकनाशी रसायनों को कीटनाशक, फफूंदनाशक, जीवाणु नाशक आदि के साथ संग्रहित न करें।

प्रयोग

● कृषि रसायन किसी भी स्थिति में खाद्य सामग्री के साथ तथा सिर, कंधे या पीठ पर न ले जायें।

● कृषि रसायनों के कंटेनर/डिब्बे/बैग या अन्य पैकिंग खोलने के पूर्व अपने हाथ, नाक, कान, आंखें तथा मुंह को जाग दस्ताने, मुखौटा, रूमाल, कपड़े का मास्क, टोपी, सुरक्षा चश्मा आदि से ढकें। हमेशा पूरे कपड़े पहनें ताकि पूरा शरीर ढका रहे।

● कृषि रसायनों के कंटेनर/डिब्बे/बैग या अन्य पैकिंग खोलते

समय ध्यान रखें कि रसायन या पाउडर का संपर्क शरीर के किसी भी हिस्से के साथ न हो तथा खुले हुए कृषि रसायनों की गंध न लें।

● कृषि रसायनों का घोल बनाने के पूर्व कंटेनर पर दी गयी जानकारी ध्यान से पढ़ें और आवश्यकतानुसार घोल तैयार करें। छिड़काव के लिए हमेशा अनुशंसित मात्रा एवं सांद्रता का ही घोल बनायें। घोल बनाने के लिए स्वच्छ पानी का उपयोग करें।

● कृषि रसायनों के प्रयोग के लिए सही उपकरणों का चयन करें तथा उनकी साफ–सफाई सुनिश्चित कर लें। टपकते और दोषपूर्ण उपकरण का उपयोग न करें। उपकरण की साफ–सफाई तथा सुधार के लिए दांतों का इस्तेमाल, मुंह द्वारा हवा फूंकना, आंखों द्वारा निकट निरीक्षण आदि क्रियाएं करने से बचें।

● विपरीत हवामान की स्थिति जैसे–गर्म धूप, तेज हवा, बारिश से ठीक पहले, बारिश के तुरंत बाद और हवा की दिशा में कृषि रसायनों का छिड़काव न करें।

● कृषि रसायनों के छिड़काव के तुरंत बाद खेतों में पशुओं और श्रमिकों का प्रवेश प्रतिबंधित करें। कृषि रसायनों के प्रयोग के दौरान अन्न, पानी, फल, धूम्रपान, तम्बाखू, पान, गुटखा, दवाई आदि का सेवन न करें।

कृषि रसायनों के प्रयोग एवं इस्तेमाल के पश्चात

● कृषि रसायनों के छिड़काव के पश्चात उपकरण में बचे हुए घोल को तालाबों, कुओं, पानी के विभिन्न स्रोतों में या इनके पास नहीं बहाया जाना चाहिए।

● कृषि रसायनों के खाली कंटेनर किसी भी स्थिति में अन्य उद्देश्य/उपयोग के लिए इस्तेमाल न करें। इन्हें हमेशा पत्थर या छड़ी से कुचल कर पानी के स्रोत से दूर मिट्टी में गहरा गड्ढा खोदकर दबा देना चाहिए।

● कृषि रसायनों के छिड़काव के लिए इस्तेमाल की गयी सभी चीजों को प्रयोग करने के बाद साबुन के पानी से अच्छी तरह धो लें। इनका इस्तेमाल घरेलू उद्देश्यों एवं पशुओं के लिए किसी भी स्थिति में न करें।

● कृषि रसायनों के इस्तेमाल या प्रयोग के पश्चात उपयोगकर्ता अपने शरीर तथा सभी अंगों जैसे–आंख, नाक, कान, मुंह आदि की सफाई साबुन और पर्याप्त जल के साथ सुनिश्चित करें

● कृषि रसायनों से संपर्क/दुर्घटना के पश्चात प्राथमिक उपायों के तुरंत बाद नजदीकी चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें तथा सम्बंधित कृषि रसायन साथ में अवश्य ले जायें।

कृषि रसायनों के सुरक्षित एवं विवेकपूर्ण उपयोग के लिए ही रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में हिल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम लगातार चलाया जा रहा है।

विपणन में रणनीति का महत्वः उद्देश्यों की प्राप्ति और व्यावसायिक सफलता

कामिनी कुशवाहा

बाह्य साधनः विपणन समन्वय, निगमित कार्यालय

विपणन में रणनीति का महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह विपणन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और विशेषाधिकारी भूमिका निभाता है।
रणनीति विपणन की योजना बनाने, संगठन करने और विपणन कार्यों को संचालित करने का तरीका है। यह व्यवसाय के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है और सही समय पर सही उत्पादों और सेवाओं को सही लक्ष्य ग्राहक तक पहुंचाता है। विपणन रणनीति के माध्यम से व्यापारिक सफलता की गारंटी प्राप्त की जा सकती है।

प्रस्तावना: विपणन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें उत्पादों या सेवाओं को बाजार में प्रस्तुत किया जाता है ताकि ग्राहक उन्हें जानें, खरीदें और उपयोग करें। इसका मकसद ग्राहकों की आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करना है, जिससे उन्हें उनकी संतुष्टि मिले और कंपनी को लाभ मिले। विपणन में सफलता प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व रणनीति है। इस लेख में, हम विपणन में रणनीति के महत्व पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

विपणन में रणनीति का महत्वः

1. उद्देश्य की प्राप्ति: विपणन रणनीति का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। रणनीति के माध्यम से कंपनी निर्धारित लक्ष्यों को साधने की दिशा में कदम उठाती है और अपने उत्पादों या सेवाओं को वास्तविक ग्राहकों के तक पहुंचाने के लिए योजना बनाती है।

2. बाजार अध्ययन: रणनीति बनाने में बाजार अध्ययन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बाजार के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करके कंपनी अपनी रणनीति को समृद्ध बनाती है, जिससे उसे विभिन्न बाजारों में अधिक साफलता प्राप्त होती है।

3. उत्पाद या सेवा की निर्माण: रणनीति के माध्यम से कंपनी अपने उत्पादों या सेवाओं की निर्माणशीलता को बढ़ाती है। यहाँ उत्पादों या सेवाओं के विशेषताओं को बढ़ावा दिया जाता है ताकि वे अन्य कंपनियों से अलग हों और ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करें।

4. ब्रांडिंग और प्रचार: रणनीति के माध्यम से कंपनी अपने उत्पादों या सेवाओं को ब्रांड के रूप में स्थापित करती है और उन्हें बाजार में प्रचारित करती है। इससे उत्पादों या सेवाओं की मान्यता और बिक्री में वृद्धि होती है।

5. ग्राहक संबंधः रणनीति के माध्यम से कंपनी ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करती है। यह ग्राहकों को कंपनी के साथ संवाद करने और उसकी सेवाओं का लाभ उठाने का माध्यम बनाता है, जिससे उनकी वफादारी बढ़ती है।

6. विपणन बजट: रणनीति के माध्यम से कंपनी अपने विपणन कार्यों के लिए उचित वित्तीय संसाधन आवंटित करती है। यह उसे विपणन बजट का निर्धारण करने में मदद करता है और उसे अपने विपणन कार्यों को पूरा करने के लिए सही संसाधन प्राप्त करने में मदद करता है।

समाप्ति: इस लेख में, हमने विपणन में रणनीति के महत्व पर विस्तार से चर्चा की है। रणनीति का सही रूप से उपयोग करना विपणन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का महत्वपूर्ण कारक होता है, जिससे कंपनी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम होती है।

विपणन में कभी भी समझौता नहीं किया जाने वाले चीज़ें:

1. ग्राहक महत्व: ग्राहक की सेवा और संतुष्टि को कभी भी कमजोर नहीं किया जा सकता।

2. उत्पाद गुणवत्ता: उत्पाद की गुणवत्ता और प्रदर्शन को हमेशा बनाए रखना चाहिए।

3. नैतिकता: नैतिकता और उचितता के मामले में कभी कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

4. ब्रांड मानक: अपने ब्रांड के मानकों और मूल्यों को कभी भी खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए।

5. विपणन रणनीति: समझौता के दौरान विपणन रणनीति को संक्रमित नहीं किया जाना चाहिए।

6. वित्तीय स्थिति: वित्तीय स्थिति को कमजोर न करने के लिए कभी समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

सतर्कता विभाग की भूमिका एवं कार्य

सतर्कता प्रभाग

डॉ0 शिवेन्द्र सिंह
प्रबंधक (प्रशासन), निगमित कार्यालय

सतर्कता का अर्थ 'सावधानी अथवा चौकसी' । इस लिए यह एक मानसिक अवस्था है और सारे जन समूह पर लागू है । इस संगठन का 'सतर्कता विंग' कमजोर स्थानों, ग्रे क्षेत्र और बुरे तत्वों को पहचानने का कार्य करती है। इस प्रकार, 'सतर्कता विंग' संगठन की चौकन्नी आँखों और सावधान कानों के रूप में कार्य करता है ।

भ्रष्टाचार : सरकारी सेवा में रहते हुए किसी व्यक्ति का सरकारी कार्य को करने के लिए अथवा उसकी सहायता करने के लिए उस व्यक्ति से किसी प्रकार का पारितोषिक स्वीकार करना अथवा स्वीकार करने के लिए सहमत होना अथवा लेना अथवा लेने का प्रयास करना भष्टाचार कहलाता है ।

सतर्कता विभाग का मुख्य उद्धेश्य, यथोचित दण्डात्मक एवं निवारक सतर्कता के जरिए तथा जागरुकता एवं सुदृढ प्रणाली के बल पर एक ऐसा पारदर्शी वातावरण निर्मित करना है जहां बिना किसी डर एवं पक्षपात के क्रियाकलाप संपन्न हो सके।

सतर्कता कार्य के कार्य क्षेत्र :

सतर्कता कार्य के कार्य क्षेत्र में भष्टाचार, दुराचरण और अन्य अपराध की रोकथाम, जांच पड़ताल और पता लगाना, प्रणाली सुधार एवं दंडात्मक कार्रवाइयों द्वारा प्रणाली को सरल और कारगर बनाना शामिल है।

कार्यप्रणाली :

सतर्कता शाखा के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जाते हैं

शिक्षाप्रद – प्रशिक्षण द्वारा आम जनता और कर्मचारियों में जागरूकता पैदा करने के ज़रिए ।

निवारक –विभिन्न क्षेत्रों में नियमित जांच आयोजित करके ।

पता लगाना –शिकायतों की जांच–पड़ताल द्वारा ।

सुधारक –प्रणालियों में सुधार के सुझाव और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित अनुशासनिक कार्रवाई द्वारा

सतर्कता विभाग की भूमिका, कर्तव्य और जिम्मेदारियां संक्षेप में :

- मौजूदा संगठन प्रक्रिया की जांच करें और भष्टाचार या कदाचार के अवसर प्रदान करने वाले कारकों को खत्म या कम करें और उपचारात्मक उपाय सुझाएं।
- योजना बनाएं, नियमित निरीक्षण करें और औचक निरीक्षण करें। संवेदनशील पोस्टों की पहचान करें, ऐसी पोस्टों के नियमित और औचक निरीक्षण की योजना बनाएं।
- सहमत सूची और संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की सूची तैयार करना।
- शिकायतों की जांच.
- सतर्कता मंजूरी प्रदान करना।
- संपत्ति रिटर्न की समीक्षा
- सतर्कता मामलों पर सीवीसी, सीबीआई और प्रशासनिक मंत्रालय के साथ घनिश्ठ संपर्क/बातचीत बनाए रखें।

भ्रष्टाचार को रोकने तथा दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने के लिए सतर्कता विंग के डिटेक्टिव एवं दंडात्मक आवश्यक पहुएं हैं, परन्तु भष्टाचार के निवारण पर अधिक जोर दिया जाता है क्योंकि इलाज से अच्छा निवारण होता है । किसी भी दुर्भावनापूर्ण कृत्य को होने से रोकने के लिए सतर्कता विंग विभिन्न क्षेत्रों में नियमित तौर पर 'निवारक जाँचों' का आयोजन करती है । ऐसे जाचों से भ्रष्ट कर्मचारी यदि वे किसी गलत कार्य में लिप्त हों तो पकड़े जाने के डर से भयभित होते हैं । भ्रष्ट कर्मचारियों पर अंकुश लगाने के लिए आकस्मिक जाँच एवं डिकॉय जाँच भी आयोजित किए जाते हैं ।

केंद्रीय सतर्कता आयोग के विषय में (CVC)

भारत सरकार ने 1964 में किसी भी कार्यकारी प्राधिकार के नियंत्रण से मुक्त केंद्रीय सतर्कता आयोग नामक एक सर्वोच्च सतर्कता संस्थान का गठन किया । केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार के अधीन सभी सतर्कता गतिविधियों का मानिटरिंग करता है और केंद्र सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों को उनके सतर्कता योजना, कार्यकारी, पुनरीक्षा और सुधार कार्यों के संबंध में परामर्श देता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है । अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत केंद्रीय सतर्कता आयोग में दर्ज किया जा सकता है ।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा सु. निश्चित करने के उद्देश्य से गठित एक सर्वोच्च संगठन है । यह आयोग समय–समय पर परिपत्रों (सर्कुलर्स)/निदेशों के माध्यम से आवश्यक दिशानिर्देश जारी करता है, ताकि भारत सरकार के सभी विभागों/ संगठनों (स्वायत्त निकायों सहित) में सतर्कता संबंधी कामकाज कारगर ढंग से हो सके । ये परिपत्र और निदेश आयोग के वेबसाइट (http:@@ www-cvc-gov-in) पर दिए हुए हैं ।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) एक शीर्ष भारतीय सरकारी निकाय है जिसे 1964 में सरकारी भ्रष्टाचार को संबोधित करने के लिए बनाया गया था । 2003 में, संसद ने सीवीसी को वैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला एक कानून बनाया। इसे एक स्वायत्त निकाय का दर्जा प्राप्त है, जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकारी के नियंत्रण से मुक्त है, इस पर भारत की केंद्र सरकार के तहत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करने , केंद्र सरकार के संगठनों में विभिन्न प्राधिकरणों को उनके सतर्कता कार्य की योजना बनाने, कार्यान्वयन, समीक्षा करने और सुधार करने में सलाह देने का आरोप है।

इसकी स्थापना 11 फरवरी 1964 को भारत सरकार के प्रस्ताव द्वारा की गई थी । सतर्कता के क्षेत्र में केंद्र सरकार की एजेंसियों को सलाह देने और मार्गदर्शन करने के लिए के. संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों पर। नित्तूर श्रीनिवास राव को भारत के पहले मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में चुना गया था।

सीवीसी की वार्षिक रिपोर्ट न केवल इसके द्वारा किए गए कार्यों का विवरण देती है बल्कि सिस्टम की विफलताओं को भी सामने लाती है जिसके कारण विभिन्न विभागों/संगठनों में भष्टाचार होता है, सिस्टम में सुधार होता है, विभिन्न निवारक उपाय होते हैं और ऐसे मामले जिनमें आयोग की सलाह को नजरअंदाज किया गया आदि। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को राष्ट्रपति ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई, वह असम–मेघालय कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और पहले सतर्कता आयुक्त के रूप में भी कार्य कर चुके हैं।

केंद्रीय सतर्कता आयोग के सामान्य सलाहकार क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक विभाग/संगठन में एक सतर्कता विभाग होता है जिसका नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी (सी.वी.ओ.) के रूप में नामित एक वरिष्ठ स्तर का अधिकारी करता है। मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति केंद्रीय सतर्कता आयोग की सहमति से की जाती है। मुख्य सतर्कता अधिकारी आयोग की विस्तारित शाखा के रूप में कार्य करता है और सभी सतर्कता मामलों में आयोग का प्रतिनिधित्व करता है। सीवीओ संगठन और सीवीसी के बीच कड़ी के रूप में कार्य करता है। सीवीओ की जिम्मेदारियां संगठन में ईमानदारी, अखंडता और दक्षता बनाए रखना है। सीवीओ भष्टाचार, कदाचार, लापरवाही, बर्बादी और संगठन को गलत नुकसान पर अंकुश लगाने के लिए सतर्क नजर के रूप में कार्य करता है।

विकसित भारत की ओर कदम बढ़ायें।
आओ भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाए ।।

भारत की राजभाषा हिंदी : दशा और दिशा

भाषा प्रभाग

अजीत कुमार
सहायक प्रबन्धक (राजभाषा),
निगमित कार्यालय

लार्ड मैकाले द्वारा 2 फरवरी 1835 को ब्रिटेन संसद में दिए भाषण का एक अंश, पूरे भारतवर्ष के भ्रमण के दौरान मैंने एक आदमी भी ऐसा ना देखा जो चोर हो। मैंने उस देश में ऐसी समृद्धि और प्रतिभाएं देखी है, ऐसे श्रेष्ठ नैतिक मूल्य और लोग देखे है, कि मुझे नहीं लगता कि उनके सास्कृतिक एवं नैतिक मेरुदंड को तोडे. बगैर हम उन्हें पराजित कर लेंगे। इसीलिए मेरा प्रस्ताव है कि भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति और संस्कृति के स्थान पर अंग्रेजियत भर दी जाए ताकि भारतवासियों के दिल और दिमाग में यह सोच घर कर जाए कि जो कुछ भी विदेशी और अंग्रेजी है वही बेहतर और श्रेयस्कर है। ऐसा न होने से वे अपना स्वाभिमान एवं अपनी संस्कृति भूल जाएंगे और जैसा हम चाहते हैं, ये एक पराधीन कौम बन जाएंगे। इसी सोच ने 'बाँटों और राज करो' की नीति दी और भारत में इसका पहला शिकार हुई भाषा।

संवैधानिक प्रावधानः भारत देश में पहली बार हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा 14 सितम्बर 1949 में दिया गया। आठवीं अनुसूची में भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक शामिल अनुच्छेद आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है।

अनुच्छेद 343ः भारत संघ की राजभाषा होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी।

अनुच्छेद 351ः संघ का गह कर्तव्य होगा कि यह हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाए उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहीं उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।

राजभाषा एवं इसकी वर्तमान दशाः

हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। इतना ही नहीं हिंदी आज दुनिया की सबसे बड़ी आबादी द्वारा बोली और समझे जानी वाली भाषा है। भाषाई सर्वेक्षणों के आधार पर दुनिया की आबादी का 18 प्रतिशत इसे समझता है. जबकि अन्य भाषा की बात करें तो चीनी भाषा मैंडरीन समझने वालों की संख्या 15.27 और वहीं अंग्रेजी समझने वालों की संख्या 13.85 प्रतिशत कही गई है।

राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में प्रमुख कठिनाइयांः

निश्चित तौर पर हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी में कार्य करने की आदत एवं राजभाषा हिंदी के नियमों एवं जानकारी का अभाव इसे कम रुचिकर बनाता है। कार्यालयों में उच्च व शीर्ष स्थानों पर कार्यरत अधिकारियों के द्वारा आयोजित बैठकों में अंग्रेजी भाषा का उपयोग होना भी इरो पूरी तरह लागू करने में एक कठिनाई है।

सरकार द्वारा राजभाषा को लागू करने के प्रयासः

हिंदी के उत्थान हेतु भारत सरकार ने विभिन्न प्रावधानों को लागू किया जिससे कि आम जनमानस के साथ साथ सभी सरकारी, अर्धसरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में हिंदी का अधिकाधिक उपयोग किया जा सके।

राजभाषा अधिनियम 1963ः

इस नियम की धारा 3(3) के अनुसार 14 प्रलेखों को द्विभाषा यानी हिंदी एवं अंग्रेजी में साथ–साथ जारी किया जाना अनिवार्य है।

राजभाषा नियम 1976ः

राजभाषा निगम 1976 के अंतर्गत देश को तीन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात क्षेत्र 'क' क्षेत्र 'ख' और क्षेत्र 'ग' ताकि राजभाषा के प्रयोग का उचित व व्यवस्थित विस्तार हो।

राजभाषा/हिन्दी समितियाँ

संसदीय राजभाषा समितिः

मह उच्चाधिकार प्राप्त समिति है इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं जिसमे से 20 लोक सभा एवं 10 राज्य सभा से होते है। इसको 3 उप–समितिओं में बांटा गया है. 'पहली', 'दूसरी' व 'तीसरी' उप–समिति।

हिन्दी सलाहकार समितिः ये समिति मंत्रालयों/विभागों / उपक्रमों में हिन्दी की प्रगति की समीक्षा करती हैं, विभाग में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के तरीके सोचती है और राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए ठोस कदम उठाती हैं।

केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्यवन समिति:

यह समिति सभी मंत्रालयों/विभागों की कार्यान्वयन समितियों में समन्वय का कार्य करती है।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति:

यह राजभाषा विभाग द्वारा निर्मित समिति होती है जो नगर स्तर पर राजभाषा कार्यान्वय सम्बन्धी कार्य देखती है। भारत सरकार द्वारा हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जिनका मूल उद्देश्य जनमानस में गुणवत्तापूर्ण हिंदी भाषा का सृजन करना है:

1. राजभाषा गौरव पुरस्कार संकल्प
2. राजभाषा कीर्ति पुरस्कार संकल्प

नगर राजभाषा कार्यान्वय समिति 'नराकास' का गठनः राजभाषा विभाग के दिनांक 22.11.1976 के का ज्ञा.सं. 1/14011/12/76–रा.भा. (का–1) के अनुसार देश के उन सभी नगरों में जहां केंद्रीय सरकार के 10 या इससे अधिक कार्यालय हो, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया जा सकता है। इन समितियों के गठन का प्रमुख उद्देश्य केंद्रीय सरकार के कार्यालयों/ उपक्रमों/ बैंकों आदि में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करना, इसे बढ़ावा देना और इसके मार्ग में आई कठिनाइयों को दूर करना है।

राजभाषा हिंदी की दशा को सुधारने हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझाव :

1 हिंदी को एक बेहतर स्थिति में लाने के लिए केवल भारत सरकार ही नहीं अपितु प्रत्येक भारतीय को अपना छोटा ही सही परन्तु योगदान देना होगा।

2. राजभाषा में कार्यान्वयन केवल राजभाषा अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं है अपितु प्रत्येक स्टाफ को इस कार्य में अपना योगदान सुनिश्चित करना होगा।

3. शुरुआत में हिंदी के उपयोग में संकोच न करें और अपनी आदतों में धीरे धीरे बदलाव लाएं जैसे– हिंदी में हस्ताक्षर करना, फाइलों पर नाम हिंदी में लिखना हिंदी में वार्तालाप करना आदि।

4. सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अपनी राजभाषा के प्रति हृदय में सम्मान रखें व इसे किसी भी अन्य भाषा से कम ना समझें और यही भावना आपको राजभाषा को अंगीकृत करने हेतु प्रेरित करेगी।

इसलिए यह कहना कतई अनुचित न होगा की यदि हम हिंदी को एक बेहतर दशा में ले जाना चाहते है तो इसके लिए हमें उचित दिशा में सदैव प्रयत्नशील रहना होगा।

कवि मुहम्मद इकबाल ने कहा था – 'यूनान, मिश्र, रोमा, सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। यह शक्ति हमारी भाषा, साहित्य और संस्कृति की है।'

टिक सके आदमी के मग में ?
खम ठोंक ठेलता है जब नर,
पर्वत के जाते पाँव उखड़,
मानव जब जोर लगाता है,
पत्थर पानी बन जाता है।

राजभाषा संबंधी प्रमुख प्रावधान

प्रतिभा पाटिल
सहायक अधिकारी (राजभाषा),
रसायनी यूनिट

भारत का संविधान: भाग 5 (अनुच्छेद 120), भाग 6 (अनुच्छेद 210) एवं भाग 17 (अनुच्छेद 343 से 351)

भाग 5 (अनुच्छेद 120): इसमें संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान किया गया है।

भाग 6 (अनुच्छेद 210): इसमें विधान मण्डल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान किया गया है।

भाग 17: संघ की राजभाषा

अनुच्छेद 343 (1): संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

अनुच्छेद 343 (2): संविधान के प्रारम्भ से 15 वर्ष तक की अवधि तक उन सभी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका पहले प्रयोग किया जा रहा था।

परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, आदेश द्वारा, संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

अनुच्छेद 343 (3): इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद उक्त पंद्रह वर्ष की अवधि के पश्चात, विधि द्वारा –

(क) अंग्रेजी भाषा का. या

(ख) अंकों के देवनागरी रूप का, ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

अनुच्छेद 350: व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, यवास्थिति, संघ में था राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा।

अनुच्छेद 351: हिन्दी भाषा के विकास के लिए निदेश

राजभाषा अधिनियम, 1963 संविधान के अनुच्छेद 343 (3) के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए 10.05.1963 को राजभाषा अधिनियम, 1963 बनाया गया। इसके अनुसार हिन्दी संघ की राजभाषा व अंग्रेजी सह–राजभाषा के रूप में प्रयोग में लाई गई। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के तहत प्रावधान के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेज (कुल 14) हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जाएंगे: संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएँ, प्रषासनिक प्रतिवेदन अन्य प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्तियाँ, संसद के किसी सदन अथवा दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन और (6 सरकारी कागजात, संविदा, करार, अनुज्ञप्ति (लाइसेंस), अनुज्ञा पत्र (परमिट) निविदा सूचनाएँ निविदा फॉर्म।

राजभाषा नियम (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976

नियम 2: विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित तीन क्षेत्रों में बांटा गया है।

(क) क्षेत्र क में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड राज्य तथा दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र है।

(ख) क्षेत्र ख में पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य तथा चंडीगढ़, दमन और दीव एवं दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र है।

(ग) क्षेत्र ग में खंड अ एवं ब में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य और संघ राज्य क्षेत्र है।

नियम 5: हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से हिन्दी में दिए जाएंगे।

नियम 7: कोई कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी या अंग्रेजी में कर सकता है।

नियम 8 (1): कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पण या कार्यवृत्त हिन्दी या अंग्रेजी लिख सकता है।

नियम 8 (4): अधिसूचित कार्यालयों द्वारा हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों को टिप्पण, प्रारूपण और अन्य ऐसे शासकीय प्रया. `जनों के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाए व्यक्तिशः आदेश जारी किए जाते हैं।

नियम 10 (4): केंद्रीय सरकार के जिन कार्यालयों के कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन कार्यालयों के नाम, राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे।

हिंदी का विकास

ओम प्रकाश साह
कनिष्ठ सहायक, निगमित कार्यालय

प्रस्तावना :

पृथ्वी के सभी प्राणी बोली द्वारा अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। जीवों में मात्र एक मानव ही है जो अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए बोली के सुगठित स्वरूप भाषा से अपने भावों को अभिव्यक्त करता है। इसलिए जिस प्रकार प्रत्येक प्राणियों की एक निश्चित बोली है उसी प्रकार प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले मानवों की एक निश्चित भाषा है जिसे मातृभाषा कहकर संबोधित किया जाता है। मनुष्य अपनी मातृभाषा में ही अपना वास्तविक विकास कर सकता है। भारत क्षेत्र में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की मातृभाषा हिन्दी है जो समग्र भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने में सक्षम है। महात्मा गांधी ने भी कहा है– राष्ट्रीय व्यवहार में हिन्दी को काम में लाना देश की उन्नति के लिए आवश्यक है। हिन्दी को राष्ट्रभाषा होने का गौरव प्राप्त है।

हिन्दी संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा है, किन्तु व्यावहारिक रूप से इसे यह संमान अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है। हिन्दी को उसका वास्तविक संमान नहीं दि जाने का मुख्य कारण भाषावाद है। भारत में अनेक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। इन सभी भाषाओं में हिन्दी भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। आज देश में हिन्दी बोलने वालों की संख्या 60 करोड़ से भी अधिक है। भाषा की बहुलता का ही नतीजा है कि देश में भाषावाद की स्थिति उभरी है, जिससे हिन्दी को नुकसान उठाना पड़ा। कुछ स्वार्थी राजनीतिज्ञ नहीं चाहते कि हिन्दी को राजभाषा का वास्तविक संमान मिले। वे इसका विरोध करते रहते हैं।

हिन्दी को राजभाषा का सम्मान देने के कारण :

स्वतंत्रता आंदोलन के समय राजनेताओं ने यह महसूस किया था कि हिन्दी, दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर पूरे देश की संपर्क भाषा है। देश के विभिन्न भाषा–भाषी आपस में विचार–विनियम करने के लिए हिन्दी का सहारा लेते हैं। हिन्दी को इसी सार्वभौमिकता के कारण राजनेताओं ने हिन्दी को राजभाषा का दर्जा देने का निर्णय लिया था।

हिन्दी की सर्वग्राह्यता :

हिन्दी, राष्ट्र के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है। इसकी लिपि देवनागिरी है, जो अत्यंत सरल है। हिन्दी में आवश्यकतानुसार देशी–विदेशी भाषाओं के शब्दों को सरलता से आत्मसात् करने की शक्ति है और देशवासियों में भावात्मक एकता स्थापित करने की पूर्ण क्षमता है।

डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद के शब्दों में –

'हिन्दी चिकारल से ऐसी भाषा रही है, जिसने मात्र विदेशी होने के कारण किसी शब्द का बहिष्कार नहीं किया।'

14 सितंबर, 1949 को संविधान सभा ने एक मत से हिन्दी को भा. रत की राजभाषा बनाए जाने का निर्णय लिया था, इसलिए भारत में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को 'हिन्दी दिवस' के रूप में मनाया जाता है। 'हिन्दी दिवस' मनाए जाने का उद्देश्य इसका व्यापक प्रचार–प्रसार एवं राजकीय प्रयोजनों में इसके उपयोग को बढ़ावा देना है। हर वर्ष सरकारी प्रतिष्ठानों एवं कार्यालयों में धूमधाम से हिन्दी दिवस का आयोजन किया जाता है और लोग हिन्दी में कार्य करने की शपथ लेते हैं। इससे न सिर्फ हिन्दी को बढ़ावा मिला, बल्कि लोगों में हिन्दी के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। वर्तमान समय में, हिन्दी ने विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा के रूप में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है।

डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल ने 'भाषा शोध अध्ययन–2012' में यह सिद्ध कियाकि हिन्दी विश्व में सबसे ज्यदा बोली जाने वाली भाषा है। इसने अंग्रेजी सहित विश्व की अन्य भाषाओं को भी इस मामले में पीछे कर दिया है। यदि हम हिन्दी की संवैधानिक स्थिति की बात करें, तो आजादी से पहले जो छोटे–बड़े नेता राष्ट्रभाषा या राजभाषा के रूप में हिन्दी को अपनाने के मुद्दे पर सहमत थे, उनमें से अधिकांश गैर–हिन्दी भाषी नेता स्वतंत्रता मिलने के समय हिन्दी के नाम से दूर भागने लगे और फिर स्थिति यह बनी कि संविधान सभा में केवल हिन्दी का विचार न कर अंग्रेजी सहित संस्कृत एवं हिन्दुस्तानी पर भी विचार किया गया।

संघर्ष की स्थिति सिर्फ हिन्दी और अंग्रेजी के समर्थकों में देखने को मिली, हालांकि आजाद भारत में एक विदेशी भाषा, जिसे यहां के मुट्ठी–भर लोग पढ़–लिख एवं समझ सकते थे, देश की राजभाषा नहीं बन सकती थी, लेकिन अंग्रेजी को यूं छोड़ा भी नहीं

जा सकता था। ऐसे में हिन्दी का ही विचार किया गया। वैसे यह देश की 46% से अधिक जनता की भाषा थी। इन सब बातों पर गौर करते हुए संविधान निर्माताओं ने यह फैसला किया कि हिन्दी को भारत की राष्ट्रभाषा नहीं, बल्कि राजभाषा बनाया जाए।

आचार्य विनोवा भावे ने एक बार कहा भी था–

'मैं दुनिया की सब भाषाओं की इज्जत करता हूं, पर मेरे देश में हिन्दी की इज्जत न हो यह मैं नहीं सह सकता।'

हिन्दी के प्रसार के लिए सरकारी प्रयास : आज हिन्दी भाषा देश की राजभाषा है। राजभाषा को राष्ट्रभाषा बनाने एवं इसके व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए भारत सरकार ने अनेक योजनाओं को मूर्त रूप प्रदान किया है, जिनमें कक्षाओं, कवि सम्मेलनों, नाटकों, संगोष्ठियों, हिन्दी अनुसंधानों, हिन्दी–टंकण आदि को बढ़ावा देने के साथ–साथ हिन्दी पत्र–पत्रिकाओं को आर्थिक सहायता दिया जाना प्रमुख है। वहीं कम्प्यूटर, इन्टरनेट, ई–बुक, विज्ञापन, टेलीविजन, रेडियो आदि क्षेत्रों में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करके इसके विकास एवं संवर्द्धन का कार्य किया है।

हिन्दी का मौलिक विस्तार :

देश के युवाओं ने भी नए–नए स्तरीय लेखों द्वारा इसे उच्च शिखर पर पहुंचाया है। हिन्दी को आज भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी लोकप्रियता मिली है। मॉरिशस, फिजी, श्रीलंका आदि देशों में हिन्दी बोली व समझी जाती है। आज विश्वभर में 10 जनवरी को 'विश्व हिन्दी दिवस' के रूप में मनाया जाता है और समय–समय पर 'विश्व हिन्दी सम्मेलन' का आयोजन किया जाता है। नौवां विश्व हिन्दी सम्मेलन वर्ष 2012 में जोहानिसबर्ग (दक्षिण अफ्रिका) में संपन्न हुआ। एक आंकलन के अनुसार विश्व के अनेक राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में हिन्दी की शिक्षा दी जाती है। आज हिन्दी की इन सारी उपलब्धियों को देखकर पंडित गोविंद बल्लभ पंत की कही यह बात सत्य साबित होती है–'हिन्दी का प्रचार और विकास कोई रोक नहीं सकता।'

राजभाषा विभाग का गठन एवं उसके कार्य :

सरकार द्वारा समय–समय पर राजभाषा हिन्दी के संदर्भ में जारी आदेशों का अनुपालन करने के लिए गृहमंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग का गठन जून, 1973 में किया गया था। राजभाषा हिन्दी के प्रचार–प्रसार और प्रयोग से जुड़ी राजभाषायी गतिविधियों तथा कार्यक्रमों के माध्यम से केन्द्र सरकार के कार्यालयों में सरकारी कामकाज में अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी के प्रयोग के बढ़ावा देना इस विभाग का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस विभाग के अंतर्गत केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित आठ क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन कार्यालय कार्यरत हैं। राजभाषा के रूप में हिन्दी को उचित स्थान पर विराजमान करने के उद्देश्य से समय–समय पर कई समितियों का भी गठन किया गया है। संसदीय राजभाषा समिति, केन्द्रीय हिन्दी समिति, हिन्दी सलाहकार समिति, केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति इत्यादि कुछ ऐसी ही समितियां हैं।

उपसंहार :

हिन्दी आज भारत की एक प्रमुख संपर्क भाषा है। कुछ लोग अंग्रेजी को भारत की संपर्क भाषा कहते हैं, किन्तु ऐसा कहते हुए वे भूल जाते हैं कि अंग्रेजी देश के आम आदमी की भाषा न कभी थी और न कभी हो पाएगी। हिन्दी भारत की एक ऐसी भाषा है, जिसके माध्यम से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न भाषा–भाषी आपस में विचार–विनियम करते हैं। पश्चिम बंगाल का एक बांग्लाभाषी व्यक्ति दिल्ली के हिन्दी भाषी व्यक्ति से हिन्दी में ही बात करता है। पंजाब के पंजाबी बोलने वाले व्यक्ति को उत्तर प्रदेश एवं बिहार के लोगों से बात करने के लिए हिन्दी का सहारा लेना पड़ता है। इतना ही नहीं एक गुजराती बोलने वाला व्यक्ति यदि पश्चिम बंगाल जाता है तो उसे संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी का ही सहारा लेना पड़ता है।

एनी बेसेंट का यह कथन बिल्कुल सत्य है कि–

'भारत के विभिन्न प्रांतों में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में जो भाषा सबसे प्रभावशाली बनकर सामने आती है वह है–हिन्दी। वह व्यक्ति जो हिन्दी जानता है, पूरे भारत की यात्रा कर सकता है और हिन्दी बोलने वालों से हर तरह की जानकारी प्राप्त कर सकता है।' बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी अपने उत्पादों का प्रचार–प्रसार हिन्दी में ही करना पड़ता है।

हिन्दी की प्रगति हेतु भारतेंदु हरिचन्द्र की ये पंक्तियां आज भी उल्लेखनीय हैं–

'निजभाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल ।
बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हि को शूल ।।
अंग्रेजी पढ़ि–पढ़ि भये केते लोग प्रवीन ?
पै निज भाषा ज्ञान के रहे हीन के हीन।।'

मिट्टी चिकित्सा : स्वास्थ्य संवर्धन के लिए

सतीश सिंह
योगाचार्य एवं प्राकृतिक चिकित्सक

परिचय

प्राकृतिक चिकित्सा का इतिहास बहुत पुराना है राष्ट्र पिता महात्मा गाँधी भी प्राकृतिक चिकित्सा के बहुत बड़े समर्थक थे। उनके अनुसार जब तक लोग अपनी स्वास्थ अवाश्यकताओं के लिए पूर्ण तथा डाक्टरों और अस्पतालों पर निर्भर है तब तक वह वास्तव में मुक्त नहीं है–

हमारे शरीर की रचना पाँच तत्वो से हुई है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इन्ही के आधार हमारे पाँच कोष भी है अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, विज्ञानमय कोष, और आनन्दमय कोष, इसके बारे में दूसरे लेखन में विस्तृत चर्चा करूगा।

प्राकृतिक चिकित्सा एक बहुत पुरानी परंपरा और विज्ञान है। इनका परिचय हमें वेदो और ग्रंथों में भी मिलता है।

प्राकृति चिकित्सा अलग–अलग रोगों के अलग–अलग सिद्धान्त पर विश्वास नहीं रखती बलिन आप्रकृतिक तरीके से जीवन व्यतीत करने गलत रहन–सहन खान–पान, सोना–जागना, गलत यौन आ. चरण तथा इन विषमताओं को रोगों के कारण के रूप में स्वीकार करती हैं

प्राकृतिक चिकित्सा का सार

प्रकृतिक चिकित्सा व्यक्ति को मानसिक, शारिरीक, भौतिक नैतिक तथा अधात्मीक विमान के लिए तथा इन सबके संतुलन के लिए एवं रचनात्मक तथा लाभदायक पड़ते है

प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धान्त –

1. रोग अनेक कारण एक (इसमें कोई दुर्घटना चोट शामील नहीं है)
2. कसी भी रोग का प्रथम कारण बिजातीय तत्वों का शरीर के एकत्र होना– बाड में यह जीवाणु के रूप ले सकते है।
3. तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र है: जीर्ण रोग तीव्र रोग के गलत उपचार का नतीजा है।
4. प्राकृतिक चिकित्सा रोग की नहीं वल्कि रोगी भी होती है
5. प्राकृति स्वयं सबसे बड़ी चिकित्सक है।
6. प्राकृतिक चिकित्सा में सभी रोगों का निदान बहुत आसानी से होता है।
7. जीर्ण रोगों का भी इलाज जल्दी हो सकता है
8. प्राकृतिक चिकित्सा में रोग को दबाते नहीं बल्कि उभार कर ठीक करते है
9. प्राकृतिक चिकित्सा में केवल शारीरिक ही नहीं अपितु मानसिक, नैतिक अध्यात्मिक अन्य पहलुओं में भरी लाभ होता है
10. प्राकृतिक चिकित्सा में पूरे शरीर का इलाज एक साथ होता है
11. प्राकृतिक चिकित्सा में औषधियों का प्रयोग नहीं होता।
12. प्राकृतिक चिकित्सा को आप घर पर भी आराम से कर सकते है
13. प्राकृतिक चिकित्सा में भारी भरकम दवाओं का खर्च भी नहीं होता

प्राकृतिक चिकित्सा के विभिन्न पहलु है :

1. मिट्टी की चिकित्सा
2. जल चिकित्सा
3. वायु चिकित्सा
4. धूप चिकित्सा
5. आकाश चिकित्सा
6. आहार चिकित्सा

मिट्टी की चिकित्सा बहुत प्रभावी अथवा सरल है, इसके इस्तेमाल करने के लिए जहाँ धूप की सीधी रोशनी पड़ती हो वहाँ की 3–4 फूट गहरी खोदी गई साफ–सूथरी मिट्टी होनी चाहिए

इसमें कोई रसायन अथवा कंकड़ पत्थर न मीले हों। मिट्टी को हमारे ऋषि–मुनियों ने भी बहुत महत्वपूर्ण समझा है, पहले आक्षम व्यवस्था, गुरूकुल में भूमि पर कोना नंगे पैर मिट्टी पर चलना मिट्टी से स्नान, हाथ पैरो की सफाई, घर को मिट्टी से लेपन करना इत्यादी शामिल है

मिट्टी की चिकित्सा के मुख्यता दो प्रकार है

1. मिट्टी की पट्टी
2. मिट्टी स्नान (मिट्टी से पूरे शरीर को लेप करके स्नान)

1. मिट्टी की पट्टी – मिट्टी की पट्टी एक लोकप्रिय उपचार है ज्यादातार पेट एवं माथे पर इसका प्रयोग होता है परन्तु आवश्यकता पड़ने पर पूरे शरीर में भी इसका प्रयोग कर सकते है

पेट की पट्टी

इसके लिए एक बर्तन में आट्टे की तरह मिट्टी को गूंध ले मिट्टी ज्यदा गिली न हो। एक सूती कपड़ा लेकर मिट्टी को लकड़ी की सहायता से इस पर फैला ले। फिर इसको नाभि के नीचे इस प्रकार इसे भी पेट को मिट्टी धुति रहे उपर के इसे सूखे कपड़े से ढक दे ठंड के दिनों में इसमें ऊपर ऊनी कपड़ा रख ले।

20 मिनट बाद पट्टी हटाकर स्थान को साफ कर ले और हाथों के रगडकर गर्मकर ले। इसी प्रकार माथे तथा अन्य भागों में भी पट्टी की जा सकती है मिट्टी का स्थान (Mud Bath) मिट्टी स्नान के लिए आवश्यकता अनुसार मिट्टी का घोल बनाना है, यह न पतला हो न ज्यदा गाढ़ा हों। यह इस प्रकार हो की इसका लेप पूरे शरीर में आराम से किया जा सके। इसमे रोग के अनुसार धूप या छाया में बैठा देते है। स्वस्थ व्यक्ति भी इस लेप का पूरा लाभ उठा सकते है। 20 से 40 मिनट में लेप सूख जाता है। इसके पश्चात् ताजे पानी से नहाना है तथा अच्छी तरह रगड़कर घर्षण से पूरी मिट्टी साफ करनी है। इसके बाद शरीर नारियल या तिल के तेल की मालिश करनी है।

मिट्टी चिकित्सा के लाभ

यह शरीर में दूषित तत्वों को धोलकर और अवशोषित कर शरीर से बाहर निकालता है। मिट्टी स्नान के रक्तचाप, कष्ट सिरदर्द तथा विशेषकर इसका चर्म रोग किसी भी प्रकार के चर्म रोग में आश्चार्यजनक लाभ है, सिरदर्द तथा उच्चरक्तचाप में पेट के साथ माथे पर भी पट्टी करने से इसमें अत्यन्त लाभ मिलता है इसके आलावा यह पूरे शरीर को शीतल तथा सभी अंग को शुद्ध करके उन्हें नई ऊर्जा तथा ताकत प्रदान करती है।

मिट्टी हमारे पृथ्वी तत्व है इसलिए इसके हमारे शरीर के हड्डीयों भी स्वस्थ एवं मजबूत होती है तथा कई प्रकार के बिटामिन की कमी को भी पूरा करने में यह सहायता करता है। वर्तमान में यह चिकित्सा बहुत लाभकारी प्रभावशाली व प्रचलित होती जा रही है। ●

बदलती जीवन शैली का स्वास्थ्य पर प्रभाव

उमाशंकर प्रसाद
सहायक, निगमित कार्यालय

एक व्यक्ति तब स्वस्थ माना जाता है जब वह अच्छा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का आनंद ले रहा हो। एक प्राचीन कहावत है 'पहला सुख निरोगी काया'। इसका मतलब है कि सुखी जीवन का भोग करने के लिए स्वस्थ शरीर का होना जरुरी है। लेकिन वर्तमान में लोग अपने दैनिक जीवन में इतने व्यस्त हो गए हैं कि अच्छे स्वास्थ्य को भूल कर अस्वास्थ्यकर जीवन शैली को अपनाने लगे हैं। लोग कठिन परिश्रम कर रहे हैं और अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने के अलावा सब कुछ कर रहे हैं।

जो सुख साधन अर्जित करने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, वास्तव में उसका आनंद उठा नहीं पा रहे हैं। जीवन में धैर्य और सतुष्टि लगभग गायब हो गए हैं। लोगों ने बाहरी क्षेत्र जीत लिये हैं किन्तु भीतर से टूटे और हारे हुए है। इस तनाव को कम करने के लिए, लोग धूम्रपान और नशीली दवाओं का उपयोग करते हैं और स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं से घिर जाते हैं। 25–35 आयु वर्ग के युवा लोग दिल का दौरा पड़ने जैसी समस्याओं से पीड़ित होने लगे हैं, अत्यधिक तनाव में रहते हैं, जक फूड का सेवन करते हैं, मोटापे व अन्य बीमारियों से ग्रस्त है।

घरों और दफ्तरों में अधिक देर तक एक जगह बैठकर कंप्यूटर पर काम करने के कारण वयस्कों में मृत्युदर बढ़ी है। डॉक्टरों का मानना है कि लंबे समय तक कंप्यूटर पर काम करने के कारण मासपेशियां संकुचित हो जाती है जिसके कारण ब्लड स्ट्रीम से वसा बहुत धीमी गति से निकलती है और शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है और मेटाबोलिज्म धीमा पड़ जाता है। यही कारण है कि अधिक देर तक कंप्यूटर पर काम करने के लिए मना किया जाता है। कंप्यूटर का इस्तेमाल सभी उम्र के लोगों, विशेषरूप से बच्चों को सुस्त और आलसी बना रहा है जिसके कारण बाद में उनमें मोटापे की संभावना बढ़ जाती है।

आधी रात तक स्मार्टफोन, कंप्यूटर और अन्य उपकरणों का उपयोग करना नींद के पैटर्न को प्रभावित करता है। नींद हमारे समग्र स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जब हम सोते हैं, तो हमारा शरीर विषाक्त पदार्थों से छुटकारा पाता है, शरीर की मरम्मत करता

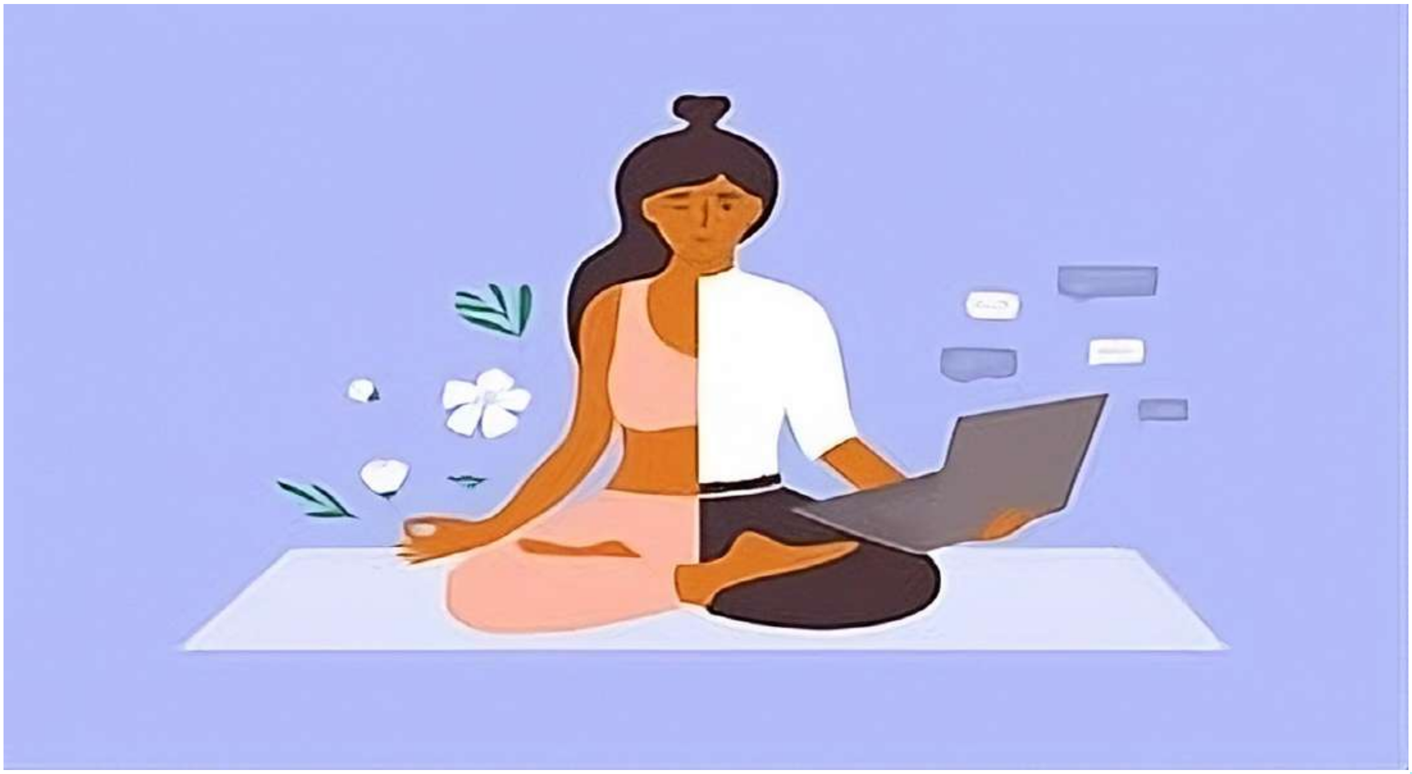

है, और तनाव को कम करता है। लोगों को मोबाइल फोन और इंटरनेट का उपयोग करने की लत पड़ गयी है। दिन में सोने और रात में काम करने से मोटापा और डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है।

देर रात तक काम करने से महत्वपूर्ण हार्मोन के परिसंचरण और उत्पादन में गड़बड़ी हो जाती है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया को लेकर लोग इतने जुनूनी हो गए हैं कि इनमें से किसी को भी छोड़ने का विचार बहुत असहज लगता है। आत्महत्या जैसी समस्या बढ़ती जा रही है। स्वयं को समय–समय पर डिजिटल डिटॉक्स करना मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संक्रामक रोगों पर काबू किया जा सकता है परन्तु जीवन शैली से जुड़े यह रोग एक नई चुनौती के रूप में उभरकर सामने आ रहे हैं।

वर्ष 2020 में आई कोविड–19 महामारी ने भी लोगों के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों के अलावा लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाला है। लोगों को अपने जीवन में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी उथल–पुथल मची। घर से काम करने की प्रथा का विकास हुआ। बच्चों की कक्षाएं कंप्यूटर के माध्यम से चलने लगी और इसके साथ साथ तनाव और स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएं भी बढ़ने लगी। इंटरनेट और आभासी संचार नेटवर्क पर निर्भरता बढ़ती चली गयी जिनके कारण व्याकुलता और डिप्रेशन जैसी मनो–वैज्ञानिक समस्याएं पैदा हो रही हैं। कम्प्यूटर के अधिक प्रयोग से लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

आज कल के व्यस्त जीवन में लोगों के पास समय की बहुत कमी है, माता पिता बच्चों को समय न देकर उनके हाथ में मोबाइल दे देते हैं या फिर टीवी पर कार्टून लगा कर व्यस्त कर देते हैं ताकि बच्चे उन्हें बार–बार परेशान ना करे। मोबाइल आने से बच्चे आभासी (वर्चुअल) जीवन का हिस्सा बन रहे हैं और वास्तविक जीवन से दूर जा रहे हैं। उनके सीखने की क्षमता कमजोर हो रही है. पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा। बच्चे शारीरिक मेहनत नहीं करना चाहते और ना ही मानसिक मेहनत करना चाहते हैं। मोबाइल रेडियेशन की वजह से उनकी नींद पर बुरा असर पड़ता है तथा डिप्रेशन, एंजाईटी, ध्यान नहीं लगना, नींद नहीं आना. उन्माद जैसी समस्याएं होने लगती हैं।

बच्चों को व्यस्त रखने के लिए बच्चों को फूल पौधे लगाना सिखाएं और उसमें पानी डालने की जिम्मेदारी दें। बच्चों को बाहर खेलने से भी मना नहीं करें। सबसे अच्छा होगा कि आप अपने बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताने की कोशिश करें। बच्चे टीवी और मोबाइल से दूर रहे तो आप उनमें कुछ रचनात्मक कामों की आदत डालने का प्रयास करें। जैसे कि आप अपने बच्चो को पेंटिंग, डांस और पहेली सुलझाने जैसी चीजों में व्यस्त करें। इससे बच्चों का दिमाग तेज होता है और बच्चों का ध्यान टीची और मोबाइल से दूर रहता है। बच्चे की उम्र के अनुसार घर के छोटे–मोटे कामों में सहयोग ले।

हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति अच्छा स्वास्थ्य है, 'मनुष्य जीवन' प्रकृति का दुर्लभ, अति सुन्दर तथा सर्वश्रेष्ठ उपहार है। इसे भाग दौड़ में व्यर्थ न करें। दैनिक समस्याओं में उलझे न रहें। जो जीवन शैली हम जी रहे हैं उससे हम अधिक धन कमा सकते हैं, परन्तु इससे हम अपना जीवन काल छोटा कर रहे हैं। अभी भी समय है अगर हम अपनी आदतों को बदल लें तो यह हमारे लिए वाकई लाभकारी सिद्ध होगा। हमें एक अच्छी जीवन शैली की आदत डालनी चाहिए। प्रकृति के नियमों के अनुसार कार्य करना चाहिए। आदते शुरू में मकड़ी की जाले के सामान सूक्ष्म होती है परन्तु कालान्तर में वे लौह श्रृंखला के समान शक्तिशाली हो जाती हैं।

अच्छे स्वास्थय के लिए उत्तम आदतों को अपनाना जरूरी है जैसे पूरा विश्राम करना तथा रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना। किसी भी मामले में नींद से समझौता नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार, अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए जंक फूड और स्नैक्स का त्याग करना आवश्यक है। निर्धारित समय पर खाना और सोना तथा हल्का व्यायाम करना लाभदायक है। योग पीढ़ियों से चला आ रहा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है जो मस्तिष्क और शारीरिक विकास के लिए जरूरी है। योग एकाग्र होने में मदद करता है और मन को शांत रखता है।

सकारात्मक एवं ऊर्जावान लोगों के साथ रहते हुए स्वस्थ और सार्थक चर्चाओं में शामिल होना जीवन में बेहतरी के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रकृति के करीब रहना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। हरियाली से मन का तनाव कम होता है और दिमाग को शांति मिलती है। भगवान ने इन सभी चीजों का निर्माण मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया है। एक बीमार शरीर या टूटे हुआ मन को प्रकृति की गोद में आने से बहुत सांत्वना, साहस और आराम महसूस होता है। यह व्यक्ति को नई ऊर्जा देता है। दुर्भाग्य से, आधुनिक व्यक्ति सांसारिक सुख की खोज में प्रकृति से दूर होता चला जा रहा है।

प्रातः कैसे टहलना चाहिए

कृष्णलाल
सहायक अधिकारी (तकनीकी),
निगमित कार्यालय

आप समझते होंगे कि टहलने में कौन सी कला है ? केवल पैदल चलना टहलना मानते हैं तो आपका यह भ्रम है, जैसे भा. `जन करना केवल पेट भरना नहीं है। भा. `जन पचना चाहिए। भोजन जब तक पचेगा नहीं, वह हमें शक्ति एवं स्वास्थ्य प्रदान नहीं करेगा। टहलने की पहली आवश्यकता है कि टहलने के कारण हम बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर टहलनेवाले बीमार पड़ते हैं तो इसका मतलब है कि टहलने की प्रक्रिया ठीक नहीं है और वह सुधार माँगती है।

जब साइकिल, रिक्शा, कार, ट्रेन, हवाई जहाज आदि नहीं थे तो पैदल चलना हमारी मजबूरी थी। लेकिन अब उसने व्यायाम एवं मनोरंजन का स्थान ले लिया है। स्वस्थ्य रहने के लिए टहलना अब हमारी मजबूरी हो गई है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार, तेजी से 3 किलोमीटर तक पैदल चलने से किसी भी व्यक्ति को दिल की बीमारी होने का खतरा 28 प्रतिशत तक कम हो जाता है। पैदल चलनेवालों की संगत कई बार बहुत बढ़िया होती है। सुकरात और अरस्तू टहलते–टहलते ही अपना दार्शनिक चिंता किया करते थे। थॉमस जेफर्सन इसे बढ़िया बताते थे। हेनरी डेविड, वर्ड्सवर्थ आदि रचनाकार अपनी रचनाएँ टहलते कर डालते थे। अमेरिका के राष्ट्रपति हेनरी ट्रूमैन भी प्रतिदिन टहला करते थे। प्रख्यात वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन भी घूमते वक्त अपनी नोटबुक साथ रखते थे, ताकि कोई विचार आए तो उसे फौरन नोट कर लें। महात्मा गांधी भी प्रतिदिन इतनी तेज गति से घूमते थे कि कई लोग उनका साथ नहीं दे पाते थे। गांधीजी किसी को बात करने का समय जब नहीं दे पाते थे तो उसे घूमने के वक्त का समय देते थे, ताकि उससे बातचीत हो सके। प्रसिद्ध उद्योगपति श्री घनश्यामदास बिड़ला भी अपने साथियों के साथ नित्य घूमा करते थे और उस समय विभिन्न विषयों पर चर्चा हुआ करती थी। संगी–साथी श्री बिड़ला के विचारों से अपने को लाभान्वित होना स्वीकार करते थे। इस लेख का लेखक भी पिछले पचास वर्षों से लगातार घूमता है, चाहे देश में रहे या परदेश में या विदेश में। किसी भी कारण से घूमना बाधित नहीं होता। यही कारण है कि लेखक द्वारा दिए गए तीन सूत्र दिन पर दिन अधिक पुष्ट होते जा रहे हैं– पहला, नित्य घूमनेवाला कभी बीमार नहीं पड़ेगा। स्वाभाविक है, जब घूमने की क्रिया निरंतर बिना नागा चालू रहेगी तो शरीर में इतनी प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाएगी कि शरीर में रोग का प्रवेश ही नहीं हो पाएगा। दूसरा सूत्र है–कभी बूढ़ा नहीं होना, यानी जब बीमार नहीं होगा तो बुढ़ौती आएगी कहाँ से? बुढ़ौती की परिभाषा भी समझने लायक है। बुढ़ौती की कोई उम्र नहीं होती । मैंने बीस वर्ष के बूढ़े को देखा है तथा पचासी वर्ष के जवान को देखा है। बीस वर्ष का जवान जब जिंदगी में उदास, निराश एवं हताश दिखाई दे, उसे कोई उमंग एवं उत्साह नहीं रहे, जीवन भार लगने लगे तो समझ लेना कि बीस वर्ष का जवान भी बूढ़ा है। इसके विपरीत, अगर पचासी वर्ष का व्यक्ति जब अपना परिचय देता है तो कहता है कि पचासी वर्ष का जवान हूँ, पूरे उत्साह एवं उमंग से भरा है। अपना काम स्वयं करता है, किसी पर आश्रित नहीं है। हमेशा प्रसन्न रहता है एवं औरों को प्रसन्न रखता है। ऐसे व्यक्ति को कौन बूढ़ा कहेगा ? हमारे सभी देवी–देवता पूर्ण युवावस्था में दिखाई देते हैं। आप भी अपने में देवत्व ले आइए तो आप भी बूढ़े नहीं होंगे। देवत्व लाने का अर्थ है–दूसरे की आलोचना–प्रत्यालोचना से बचें तथा सबसे सम–भाव रखें। किसी के प्रति भी विषम–भाव आने ही न दें। आयुर्वेद में भी त्रिदोष रूपी वात–पित्त–कफ जब सम अवस्था में रहते हैं, तभी निरोग हैं, वरना एक के भी विषम होते ही हम रोगी हो जाते हैं, चाहे वात के रोगी हों या पित्त के या कफ के या तीनों के । अतः सम–भाव में रहना भी हमें स्वस्थ्य प्रदान करेगा और बूढ़ा होने से बचाएगा। लेखक भी जब अपने साथियों के साथ घूमता है तो व्यापार की , परिवार की एवं राजनीति की कोई चर्चा नहीं करता। किसी दूसरे की आलोचना एवं प्रत्यालोचना से भी बचना है। केवल अध्यात्म एवं हास्य की चर्चा होती है। इस अध्यात्म एवं हास्य के समन्वय ने हमें निरोग बनाया–केवल तन से नहीं बल्कि मन से भी। प्रत्येक मनुष्य केवल तन का रोगी नहीं है। काम, क्रोध, मोह आदि मन के रोग हैं। मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए तन व मन से निरोगी रहना अति आवश्यक है। तीसरा सूत्रहै– चल के चिता पर जाएगा। यह सूत्र हमने श्री घनश्याम दासजी बिड़ला की जीवनी से लिया। इस सूत्र को श्री बिड़ला ने

दिया था। इस सूत्र का अर्थ है कि न कष्ट पाएँगे और न दूसरों को कष्ट देंगे। चलते–चलते या काम करते–करते मृत्यु का आलिंगन करेंगे। हुआ भी यही कि श्री बिड़ला लंदन में प्रातः भ्रमण के लिए निकले थे कि रास्ते में ही उनका स्वर्गवास हो गया। न कष्ट पाए और न कष्ट दिया। इसी को कहते हैं–चल के चिता पर जाना। इन तीनों सुत्रों को अपने जीवन में उतारने के लिए टहलनेवालों को कैसे टहलना चाहिए, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। 'गीता' के सूत्र बड़े महत्व के हैं–अभ्यास एवं वैराग्य। अभ्यास का अर्थ तो समझ में आता है कि टहलने की क्रिया निरंतर होनी चाहिए, चाहे जहाँ रहें । वैराग्य का व्यवहारिक अर्थ समझने लायक है। यहाँ वैराग्य का अर्थ है आवश्यकतानुसार चीजों का सेवन, इच्छानुसार नहीं। अगर हमारा शरीर दो रोटी से चल सकता हो तो हम स्वाद के लिए तीन रोटी नहीं खाएँगे। यह वैराग्य–वृत्ति जीवन के हर क्षेत्र में जब उतर जाएगा तो न हम भोगी रहेंगे, न रोगी होंगे। वैराग्य–वृत्ति में अनावश्यक चीजों का सेवन भी वर्जित है, जैसे–पान, पानमसाला, शराब, सिगरेट आदि। ये चीजें शरीर के लिए आवश्यक नहीं हैं। अतः सेवन करने योग्य भी नहीं हैं। इस वैराग्य–वृत्ति में कहीं घर–बार छोड़ना नहीं है, केवल आवश्यकतानुसार सेवन करना है। जब इस प्रकार अभ्यास एवं वैराग्य सध जाएगा तो हमें कौन रोगी बनएगा ?

हमारे यहाँ एक सूत्र है–'पहला सुख निरोगी काया'। संस्कृत में कहते हैं 'शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्', यानी सारे धर्मो को करने को माध्यम यह शरीर ही है। अगर काया ही रोगी रहेगी तो न भोजन अच्छा लगेगा, न काम, न वस्त्र यानी कोई क्रिया अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए हमारे ऋषि जब आशीर्वाद देते हैं तो ' शतं जीवेत्' के साथ' श्रृणुयाद शरदः शतं पश्येत् शरदः शतं'–यानी सौ वर्ष जीने के साथ सौ वर्ष तक हम सुन सकें तथा देख सकें यानी हमारी सारी इंद्रियाँ सौ वर्ष तक काम करें। इसलिए इस शरीर को निरोग रखना आवश्यकता है।

अगर प्रातः भ्रमण की कमी पूरी करनी हो तो आधे घंटे का ' योग' आपको पूरा निरोगी बना देगा। टहलना एवं योग एक–दूसरे के पूरक हैं। आप योग की क्रिया किसी योगिराज से एक बार समझकर ही करें। आपको आपकी आवश्यकता के अनुसार वे जब यौगिक क्रियाएँ बता देंगे तो ही आप रोग–मुक्त रह सकेंगे। लेखक दोनों क्रियाओं को करके सत्तर वर्ष की उम्र में भी रोग–मुक्त है एवं शरीर पूरा सुख देता है, आनंद एवं उल्लास भरा हुआ है और जिंदगी जीने का मन करता है। लेखक स्वयं तो प्रसन्न रहता ही है, दूसरों को भी प्रसन्न करने का प्रयास करता है।

टहलने का केवल यही लाभ नहीं कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है। टहलने में जो श्रम पड़ता है, उससे पसीना निकलता है और इस प्रकार पसीने के मार्ग से शरीर में संगृहीत विजातीय द्रव्य भी निकल जाते हैं। हम लोग जो कुछ भी खाते–पीते हैं उसमें बहुत से रासायनिक पदार्थ शरीर को उपलब्ध होते हैं। अतः शरीर को स्वस्थ्य रखने के लिए यह आवश्यक है कि उनमें शरीर के लिए जो अनपेक्षित अंश है, वह निकल जाए। पसीना इसका एक बड़ा सशक्त साधन है।

हम चौबीस घंटे में एक घंटा शरीर को टहलने एवं योग के लिए देते हैं तो यह क्रिया हमें नीरोग एवं स्वस्थ रखती है। यह कितना सस्ता सौदा है–' एक लगावे तेईस पावे' का , यानी एक घंटा जब शरीर को देते हैं तो यह हमें तेईस घंटे फिट रखता है। टहलने के लिए सूर्योदय के पहले उठना आवश्यक है। उठने के बाद बासी जल 3–4 गिलास पिएँ, शौच जाकर एवं ब्रश या मंजन करके प्रातः टहलने के लिए निकट खुले स्थान में जाएँ, जहाँ हरियाली भी हो। तेज गति से चलें। अगर टहलने में साथी लोग हों तो केवल अध्यात्म एवं हास्य की चर्चा करें। अध्यात्म आपके मन के विकारों को दूर करेगा। इस प्रकार, आप तन और मन से तृप्त रहेंगे। आपकी तृप्ति ही आपको निरोगी काया देगी। आप जब तक जिएँ, आपका शरीर आपके वश में रहे। यह वश में तभी रहेगा जब स्वस्थ रहेगा, वरना आप भी रोगी हो जाएँगे। जब यह संकल्प होना चाहिए कि मैं अपनी गलतियों के कारण बीमार नहीं पड़ूँगा। जब हम गलत आदतों से परहेज रखेंगे तो स्वाभाविक है कि टहलना हमें पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करेगा। जीवन में मस्ती रहेगी। किसकी हस्ती है, जो हमारी मस्ती को मिटा दे। इसीलिए कहते हैं कि मस्ती बड़ी सस्ती है। बीमार पड़ने पर ठीक होने के लिए पैसा चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए अधिक धन की आवश्यकता नहीं। हलका एवं साधारण भोजन ही सुपाच्य एवं स्वास्थ्यकर होता है। अतः वैराग्य–वृत्ति रखते हुए नियमित टहलने का अभ्यास डालें। नियमित टहलने के कारण बढ़ती उम्र की बीमारियाँ जैसे–मधुमेह, प्रोस्टेट कैंसर आदि भी आपकों परेशान नहीं करेंगी।

आजीवन निरोग रहने की कला

चैतन्य दीक्षित
बाह्य साधन: विधि अधिकारी, निगमित कार्यालय

सूर्योदय से पहले यथाशीघ्र उठें, यथ. ासंभव एकाग्रता से ईश्वर का ध्यान करें, कम–कम से 3–4 गिलास पानी पिएँ, शौच–निवृत्ति, ब्रश–मंजन–दातून आदि करके मुख –षुद्धि मालिष अँगूठा एवं तर्जनी अँगुली से मसूड़ों को थोड़ा दबा. कर करें। इससे पायरिया समाप्त होगा एवं दाँतों को हिलना रूकेगा, पिसी हुई फिटकरी सरसों के दाने के बरा. बर लेकर दाँतों में लगा लें, ताकि दाँतों में पानी लगने या अन्य बीमारियों से छुटकरा मिले। आँखों में ठंडे जल का कम–से–कम 10–10 बार छींटा दें, नाक भी छिड़ककर साफ कर लें।

प्रातः काल खुले मैदान में तेज गति से कम–से–कम 3 से 5 किलोमीटर भ्रमण के उपरांत सभी जोड़ों को घुमाना एवं उनकी कसरत करनी चाहिए, ताकि आगे चलकर जोड़ों का दर्द तकलीफ न दे। थोड़ा प्राणायाम भी फंफड़ों की मजबूती के लिए आवश्यक है। 24 घंटों में भ्रमण–कसरत एवं प्राणायाम में दीजिए, बाकी के 23 घंटे षरीर आपका पूरा साथ देगा, शरीर निरोगी रहेगा।
आँखों को भी घुमा लिया करें, ताकि नेत्र–दोष से बचे रहें।
स्नान यथासाध्य ठंडे या कुनकुने पानी से करें। स्नान के समय बदन को हाथों से रगड़ें।

सुबह के नाश्ते में ताजा मौसमी फलों का सेवन करें। पेट साफ रखने के लिए प्रतिदिन पपीता–बेल का सेवन जरूर करें। बेल का गूदा या शरबत दोनों लाभकारी हैं। फलों के सेवन के उपरांत अन्न ग्रहण करना चाहें तो बिना तली ब्रेड–खाँखरा आदि का सेवन एक या दो पीस कर सकते हैं। मौसमी फलों का रस, सब्जियों का सूप, कच्ची सलाद भी सेवन करें। चाय व दूध का सेवन यथासमय ही करें। विचारवान् पाठक भोजन–विज्ञान को भली भाँति समझ लें–

क्या भोजन करना चाहि?
कब करना चाहिए?
कैसे करना चाहिए?
कितना करना चाहिए?
जो भोजन में संयम–नियम न निभा सकेगा, वह इंद्रियों का संयम कैसे कर सकेगा? जो संयमी नहीं होगा, वह अवश्य ही आलसी–. विलासी, भोगी–रोगी बनेगा। सभी प्रकार के रोग भोजन के असंयम से उत्पन्न होते हैं। जवानी को दीर्घकाल तक सुरक्षित रखने के लिए भोजन, स्वास्थ्य एवं दीर्घायु के सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त कर नियमित दिनचर्या बनानी आवश्यक है।

दोपहर का हलका भोजन

चावल, दाल, रोटी, हरी सब्जी लें। चटनी आदि के साथ मिर्च–मसाला व अचार का सेवन कम–से कम करें।

सांय चार–पाँच बजे के लगभग फल या दो बिस्कुट चाय के साथ सेवन कर सकते हैं। चाय में दूध की मात्रा अधिकाधिक रहना उत्तम है।

रात्रि का भोजन

दो या तीन रोटियाँ हरी सब्जी के साथ लें। भोजन और शयन के बीच दो घंटे का अंतर होना चाहिए भोजन के उपरांत थोड़ा टहल लें। भोजन के साथ पानी पीना वर्जित है। भोजन के एक घंटे पश्चात् पानी पीना चाहिए।

24 घंटे में अधिक–से–अधिक पानी पीना चाहिए–कम–से–कम 8 गिलास। भोजन खूब चबाकर करना चाहिए, ताकि दाँतों का काम आँतो के न करना पड़े।

रात्रि को दाँत–नाक साफ करके एवं पानी पीकर सोएँ और ईश्वर का ध्यान करें। दस बजे तक सो जाना चाहिए। सख्त पलंग या चौकी पर सोना अधिक लाभप्रद है।
सारी बीमारियों का मुख्य कारण है पेट का साफ न रहना। अतः एनिमा, मिट्टी की पट्टी एवं फलों का सेवन आवश्यक है।

वित्तीय योजना

आरती गुप्ता
प्रबंधक (वित्त), निगमित कार्यालय

बढ़ती हुई मंहगाई से आम आदमी के जीवन स्तर पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। ऐसे समय में महगाई से जूझ रहे आम आदमी के सामने अपनी वर्तमान जरूरतों एवं भविष्य के लिए बचत करने के बीच सामंजस्य रख पाना एक बड़ा मुश्किल काम हो गया है। अब हमारे पास दो ही रास्ते हैं–पहला मंहगाई के खिलाफ आंदोलन करें या दूसरा फाइनेंशियल प्लानिंग के द्वारा अपने सार्थक प्रयासों से वर्तमान एवं भविष्य के लिए नियमित बचत के बीच साम्य बैठाए। उपर्युक्त प्रथम उपाय को तो हम नौकरी पेशा वर्ग के लोगों के लिए अपनाना दुर्लभ कार्य है। ऐसे में अब हमारे सामने एक ही विकल्प है कि हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में गम्भीरता पूर्वक विचार विमर्श करे।

फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है:–

फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में काफी भ्रांतियां है। कुछ लोग इसे कंवल एक टैक्स प्लानिंग समझते हैं. कुछ निवेश प्लानिग। वास्तव में फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही व्यापक विषय है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आवश्यकता एवं जोखिम क्षमता को ध्यान में रखकर बजटिंग, रिस्क प्रोफाइलिंग, कैश फ्लो मेनेजमेंट ऋण प्रबंधन, टैक्स प्लानिंग, निवेश प्लानिंग, रिस्क मेनेजमेंट, इंश्योरेंस प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, एस्टेट प्लानिंग की जाती है। फाइनेशियल प्लानिग उन सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक है जो अपने जीवन के लक्ष्य को पाना चाहते हैं। फाइनेंशियल प्लानिग से न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य की भी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। यह पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी सभी समस्याओं के निदान में मददगार है। परतु यहां पर हम उन्हीं बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे जो मंहगाई से संबंधित है। फाइनेंशियल प्लानिंग निम्नलिखित प्रकार से मंहगाई का सामना करने में सहायता करती है–

अनावश्यक खर्चो पर लगाम:–

फाइनेंशियल प्लानिंग में बजटिंग के अंतर्गत आय व्यय का पूर्ण लेखा जोखा तैयार करके यह आकलन किया जाता है कि किस मद में कितनी राशि खर्च की जा रही है. साथ ही आवश्यक एवं अनावश्यक खर्चो की सूची बनाते है और अनावश्यक खर्च कम करते हैं, जो अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाने में सहायक होती है।

लोन और ब्याज के भार को कम करने में सहायक:–

फाइनेंशियल प्लानिंग में ऋण प्रबंधन के अंतर्गत ऐसे विभिन्न उपाय किए जाते है जिससे लोन एवं ब्याज के भार में कमी की जा सके।

टैक्स की बचत में सहायक:– टैक्स प्लानिंग के अंतर्गत न सिर्फ टैक्स बचत के लिए न केवल कॉस्ट इफेक्टिव निवेश साधन पर ध्यान देते हैं बल्कि ऐसे उपाय भी करते हैं कि जिससे विभिन्न मदों जैसे निवेश आदि पर भी टैक्स का भार हल्का किया जा सके।

निवेश पर अधिक रिटर्न:–

अधिक रिटर्न वाले साधनों में रिस्क भी अधिक होती है परंतु फाइनेशियल प्लानिंग के अधीन ऐसे उपाय किए जाते हैं कि जिससे निवेश पर रिस्क कम हो सके साथ ही साथ रिटर्न को भी बढ़ाया जा सके।

इमरजेंसी फंड का प्रबंधन:–

इमरजेंसी फंड यह धनराशि है जिसे किसी इमरजेंसी घटना के समय उपयोग किया जा सके, हम लोग ऐसा फंड सेविंग अकाउण्ट या कैश में रखते हैं जिसमें न के बराबर रिटर्न मिलता है. परंतु फाइनेशियल प्लानिंग में ऐसे उपाय करते है कि जिससे हमें रिटर्न भी मिलता रहे और जरूरत पड़ने पर पैसों की निकासी भी अतिशीघ्र हो सके।

अनिश्चितता में मददगार:–

हमारा जीवन अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है। कोई अप्रिय घटना हमारे द्वारा की गई बचत को खत्म कर सकती है। फाइनेंशियल प्लानिंग में रिस्क मैनेजमेंट के तहत ऐसे उपाय किए जाते है जिससे अनिश्चित घटनाओं के समय हमे आर्थिक मदद मिल सके। इन उपायों की खास बात यह होती है कि यह बहुत ही कम खर्च में किए जा सकते हैं।

कॉस्ट इफेक्टिव विकल्प:–

हम सबको अपने वित्तीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिये विभिन्न उत्पादों का सहारा लेना होता है आज हम सबके पास बाजार में बहुत विकल्प मौजूद हैं, ऐसे में हमारे सामने जटिल चुनौती यह है कि कौनसा उत्पाद हमारी जरूरतों को पूरा करने के साथ सबसे कम लागत पर लिया जा सकता है। फाइनेंशियल प्लानिंग कॉस्ट इफेक्टिव विकल्प को चुनने में भी हमारी सहायता करती है।

यदि आप अपने सकारात्मक प्रयासों से महगाई का सामना करना चाहते है तो आज ही अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करें यदि आप को इस बारे में जानकारी का अभाव है तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर की मदद भी ले सक्ते हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था एवं ई - भुगतान

अभिरंजन शर्मा
सहायक प्रबंधक (वित्त), निगमित कार्यालय

सर्वज्ञात है कि वर्तमान युग में ई बैंकिंग का युग है। बैंकिंग सिर्फ हमारे आर्थिक विकास की रीढ़ ही नहीं है बल्कि उपयुक्त तरलता (लिक्विडिटी) के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली का आधार बिन्दु है। प्रसिद्ध अर्थश. ास्त्री चाणक्य के अनुसार, देश से ही नागरिक होता है, नागरिक से देश नहीं। इसलिए देश की अर्थव्यवस्था के हित के लिए प्रत्येक नागरिक का एक समान दा. यित्व होता है इसलिए प्रत्येक नागरिक को देश निर्माण में संपूर्ण सहयोग देना चाहिए। देश की रक्षा से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। कहते है कि ठहरा हुआ पानी और धन, दोली ही लाभ की बजाय नुकसान पहुंचाते है। इसी संदर्भ में लिक्विडीटी शब्द का जन्म हुआ। पानी तरल रूप में बहता रहे और धन की भी तरलता लगातार बनी रहे, तभी दोनों लाभदायक है। किसी भी प्रकार के विकास के प्रमुख घटकों में से एक घटक तरलता बहुत ही प्रमुख हैं विशेषकर आर्थिक विकास के लिए। किसी भी अर्थव्यवस्था में भुगतान प्रणाली की भूमिका वैसी ही है जैसे किसी भौगोलिक प्रदेश के विकास के लिए सड़क निर्माण। आज के युग में बैंकिंग क्षेत्र दिन प्रतिदिन निरंतर विकास की तरफ बढ़ रहा है।

इसी विकास के क्रम में ई–भुगतान अपनी अहम भूमिका अदा कर रहा है। जब हम भुगतान की बात करते है तो इसके बारे में क्या विचार आता है? रोजमर्रा के बिल जैसेः–विद्युत व फोन बिल, मकान, कार आदि के लिए किए गए ऋण का भुगतान, मकान किराया व क्रेडिट कार्ड, का मासिक भुगतान आदि। विश्व में भुगतान प्रणाली के क्षेत्र में और मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के क्षेत्र में हुए सतत विकास एवं परिवर्तन कागजी लेन–देन पर आधारित भुगतान प्रणाली की जगह इलेक्ट्रॉनिक सुपुर्दगी के प्रति बदलते व्यवहार को दर्शाता है। इसका एक मुख्य कारण रख– रखाव में आसानी एवं इसका सुविधाजनक उपयोग है।

इलेक्ट्रोनिक सुपुर्दगी को ई–भुगतान यानी कि डिजिटल भुगतान कहा जाता है । ई–भुगतान प्रणाली के सभी माध्यमों जैसे ई–निधि अंतरण, ई–शभाषीधन, क्रॉडिट कार्ड डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड आदि में ई–मुद्रा की संकल्पना ने विगत कुछ वर्षों में जीर पकड़ा है। विगत वर्ष 2016 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने जब विमुद्रीकरण की घोषणा करते हुए 500 और 1000 के नोटों की 8 नवंबर 2016 की रात 12 बजे से बंद किया तभी से ई– भुगतान प्रणाली ने रोजमर्रा के भुगतानी के लिए एक विशेष भूमिका निभाई। नोटबंदी का फैंसला लागू होने के बाद बड़ी तादाद में लोगो ने ऑन–लाईन पेमेंट और डिजिटल भुगतान को अपनाया है। किसी भी भुगतान के लिए ई–वॉलेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हर एक छोटे–बड़े व्यापार में ई–भुगतान का प्रवीण हो रहा है। विमुद्रीकरण के फैसले से ई–भुगतान करने वाली कंपनियों उभर कर सामने आई है। छोटी से लेकर बड़ी कंपनियों ने अपने–अपने ई–वॉलेट ऐप लॉंच किए है, जैसे कि पेटीएम, ऑक्सिजन वॉलेट फ्री–चार्ज, एयरटेल, मोबी क्विक आदि। इन कम्पनियों के संस्थापकों और मुख्य अधिकारियों का मानना है कि सरकार का यह फैसला सही है और यह फैसला भारतीय अर्थव्यवस्था में एक नया दौर लाया है. जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। इस के अतिरिक्त देश के बैंक संस्थानों ने भी अपने ई– वॉलेट लॉंच किए है जैसे कि यूपीआई, ईवॉलेट, वी पे क्विक आदि और भारत सरकार ने भी ई–भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भीम नामक ऐप को लॉंच किया। ई–भुगतान के जरिए जो लेन–देन होते हैं उसकी विस्तृत जानकारी आयकर विभाग के पास जाती है, जिससे हमारे देश का खजाना मजबूत होता है। प्राचीन युग से ही यह माना जाता है कि एक राष्ट्र तभी समृद्ध और सुसज्जित हो सकता है जब राष्ट्र में खाद्यान्न और खजानी की अपूर्ति न हो। जिसके लिए प्रत्येक नागरिक का निष्ठावान और ईमानदार होना अनिवार्य है वह तभी संभव है जब देश का प्रत्येक नागरिक अपनी आय और व्यय का संतुलित लेखा–जोखा सरकार को बताएगा।

अतः एक कैशलेस लेन–देन ही इसका सरल उपाय है। तभी कोई राज्य वा देश विकासशील से विकसित की ओर अग्रसर हो सकता है। आधुनिक युग में देश की समस्या यह है कि बड़े उद्योगपति से लेकर बड़े पूंजीपति दिन–ब–दिन अपनी जमापूंजी बढ़ाते जा रहे हैं. जिसका कोई लेखा–जोखा सरकार के पास संपूर्ण रूप में नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि सारे लेन–देन कैश में ही रहे थे। परिणामस्वरूप मंहगाई और गरीबी देश की अर्थव्यवस्था

को दीमक की तरह खा चुकी है और भारतीय अर्थव्यवस्था विदेशी कर्ज में डूबकर कमजोर और असहाय होती प्रतीत हो रही है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक कैंसर रूपी अर्थ–संकट रोग से ग्रस्त है जिसको सशक्तिकरण करने के लिए भारतीय खजानों की पूर्ति करनी होगी और यह तभी संभव है जब सम्पूर्ण भारत के नागरिक अपना लेन–देन काले धन रूपी कैश की बजाय पारदर्शी रूपी धन अर्थात ई–भुगतान करें, जिससे हर बड़े पूंजीपतियों और उद्योगपतियों की सही जमा पूँजी का अनावरण हो सके और देश में छुपे काले धन का अनुपात नगण्य हो जाए ताकि भारतीय खजानों में आवश्यकतापूर्ण खजानों की पूर्ति हो सके और भारतीय अर्थ व्यवस्था सशक्त हो सके।

कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते है। ई–भुगतान के फायदों के साथ–साथ कुछ नुकसान भी जुड़े हैं यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर संपूर्ण व्यवस्था ई–भुगतान पर निर्भर हो जाए तो इसका सीधा दुष्प्रभाव निम्न वर्गीय मतलब अत्यंत आर्थिक रूप से पिछड़े समाज के जन–जीवन पर पड़ेगा क्योंकि अगर देखा जाएं तो भारत की कुल आबादी में से 30 से 40 प्रतिशत लोग प्रतिदिन मजदूरी करके जीवनयापन करते हैं।

अनपढ़ होने के साथ–साथ तकनीकी ज्ञान की कमी की वजह से वह ई–भुगतान सर्विस का उपयोग नहीं कर पाते और उनका जीवनयापन तथा लेन–देन कैश पर ही निर्भर है।

इसके अतिरिक्त अगर सुरक्षा की बात की जाए तो ई–भुगतान का सीधा संपर्क इंटरनेट से जुड़ा हुआ है और आधुनिक युग में हैकिंग और साईबर क्राईम इस प्रणाली को चुनौतियाँ दे रहे हैं। कभी–कभी हमारी की गई भुगतान राशि इंटरनेट संपर्क टूटने से या धीमा होने की वजह से असफल हो जाती है जबकि राशि हमारे खाते से कट जाती है और पुनः उसे प्राप्त करने के लिए हमें इंतजार भी करना पड़ता है। कभी–कभी तो हमें वस्तु के वास्तविक मूल्य से अधिक भुगतान करना पड़ता है और कई बार एक ही रकम दो या अधिक बार चुकता हो जाती है।

अंततः अगर निष्कर्ष की बात करें तो ई–भुगतान सेवा भारतीय अर्थव्वस्था को समृद्ध बनाने के लिए ठीक उसी प्रकार भूमिका निभा रही है जिस प्रकार एक पौधे को हरा–भरा रखने के लिए जलवायु और मिट्टी करती है। ई–भुगतान के साथ साथ ई–निधि अंतरण, ई–समाषोधन आदि में नागरिकों का भी बढ़–चढ़ कर सहयोग होना चाहिए। हर वर्ग के नागरिकों को यह संकल्प लेना होगा कि कोई भी लेन–देन अवैध न करें बल्कि ई–भुगतान का उपयोग करें जिससे एक सुसज्जित और संगठित राष्ट्र का निर्माण हो सके। जिस दिन वह प्रणाली संपूर्ण रूप से स्वीकार कर ली जाएगी। उस दिन अमीरी और गरीबी के बीच का बहुत बड़ा फासला कम हो जाएगा मंहगाई और बेरोजगारी की समस्या भी काफी हद तक दूर हो जाएगी।

औद्योगिक सुरक्षा

सुरक्षा एवं रसायन प्रभाग

सचिन रामचंद्र भोवते
उप प्रबंधक (सुरक्षा), रसायनी यूनिट

औद्योगिक सुरक्षा का क्या अर्थ है? औदयोगिक सुरक्षा का अर्थ किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों को सभावित खतरों से सुरक्षित होने के उपकरण उपलब्ध करवाना है। विज्ञान व तकनीक की प्रगति को चलते आज हर काम मशीनी द्वारा समय हो पाया है। बढ़ी तादाद में लोगों को औद्योगिक संस्थानी में रोजगार मिल रहा है। इसके साथ ही इन उद्योगों में काम करने का खतरा भी काफी अधिक है। उद्यम के अन्य क्षेत्रों की तुलना औद्योगिक संस्थानों को गम्भीर एवं जानलेवा जोखिमों की श्रेणी में रखा जाता है। यहाँ पर कार्य करने वाले व्यक्ति को काम के साथ साथ अपनी सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखना पडता है। प्रत्येक औद्योगिक सस्थान प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों की सुखस को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण तथा सुरक्षा उपकरण भी प्रदान कराए जाते है। इस तरह की व्यवस्था से मशीनी कामकाज से सुरक्षा को बढ़ाया तो मिलता ही है. साथ ही व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा का ध्यान स्वयं ही रखना पड़ता है।

औद्योगिक सुरक्षा की आवश्यकता

एक अच्छे औदयोगिक सुरक्षा प्रकान को अपने संस्थान में सुरक्षा सबंधी सभी उपायों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। साथ ही उसे यह भी पता होना चाहिए कि उनके कर्मचारी जिन मशीनों पर कार्य कर रहे हैं वे उनमें दक्ष है अथवा नहीं। काम करते वक्त किसी से बातचीत न करना, काम पर ध्यान देना, उद्योग में ज्वलनशील पदार्थ न हो. प्राथनिक उपचार का उचित प्रबंध हो, कर्मचारियों के स्वास्थ्य से संबंधित उनके पास सम्पूर्ण डिटेल्स होनी चाहिए, जिससे किसी बढ़ी समस्या अथवा नुकसान से बचा जा सके।

औद्योगिक सुरक्षा की आवश्यकता और महत्व

इंडष्ट्रियल सेफ्टी मैनेजर उद्योग संबंधी में सुरक्षा प्रबंधन से जुड़े कार्यों की देख रेख करते हैं। जैसे–जैसे उद्योगों का विस्तार हो रहा है उन पर कड़े नियम भी बनाए गए हैं। वास्तविक सुरक्षा से जुड़े विषय जैसे दुर्घटना अथवा चोट व नुकसान को कम करने की तमाम तकनीकों का मैनेजर को अच्छी तरह ज्ञान होना चाहिए। खतरे एवं सम्पति के बीच दूरी बनाकर रखना काफी मुश्किल है मगर यह असम्भव नहीं, यदि औदयोगिक सुरक्षा से जुड़े मानदंडी, कानूनों तथा नियमों का सही से ध्यान रखा जाए। आज इन संस्थानों में होने वाली घटनाओं में निरंतर इजाफा हो रहा है. जिसके बलते सेपटी मैनेजर की नियुक्ति आवश्यक मानी जाती है। औद्योगिक सुरक्षा का अर्थ इंडस्ट्री में जान माल के खतरे से रक्षा करना अथवा निर्धारित सुरक्षा उपायों की पालन करना जिससे कोई अप्रिय घटना घटित न हो। हाल ही में सरकार द्वारा औद्योगिक नियमों में काफी बदलाव किए गए हैं।

अधिक कार्यावधि तथा स्वास्थ्य के लिहाज से खतरनाक श्रेणी के कार्यों में महिलाओं तथा बाल श्रमिकों का उपयोग गैर कानूनी कर दिया है। साथ ही प्रत्येक संस्थान के लिए यह निर्धारित किया गया है कि वहां सुरक्षा से जुड़े तमाम पुख्ता इन्तजाम हों। इन संस्थानों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को व्यक्तिगत स्तर पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। उनकी स्वयं की सुरक्षा उन्हीं के हाथ में होती है। यही हर पल शरीर के साथ नुकसान होने, किसी अंग विशेष पर चोट लगने का खतरा हमेशा बना रहता है। अतः बिना लापरवाही के अपने कार्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

उद्योगों में सुरक्षा में व्यक्ति के काम की परिस्थिति व वातावरण से उसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर को भी सम्मिलित किया है। मूल रूप से कांच की फैक्ट्री, कम रोशनी में काम करने अथवा स्वच्छ वायु के अभाव व धुए के चलते भी कामगार मजदूर का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। यदि किसी औद्योगिक संस्थान में कार्य करने वाले कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है अथवा उसके साथ किसी तरह की घटना घटित होती है तो संस्थान के मैनेजर तथा मृत/पीड़ित के परिवार पर बुरा असर पड़ता है। कम्पनी अच्छे स्तर का कर्मचारी खो देगी। वहीं वह इन्सान अपने जीवन से हाथ धो बैठेगा। औद्योगिक सुरक्षा की आवश्यकता हर समय है तथा इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए।

मूल रूप से औद्योगिक संस्थानों में दुर्घटना होने का अधिकतर

कारण मशीने ही होती हैं। कई बार तकनीकी खराबी के चलते वे सुचारू रूप से कार्य नहीं करती है। माल के नुकसान को बचाने के लिए कर्मधारी अपनी जिन्दगी को दाव पर लगा देते हैं। कुछ परिस्थितियों में विद्युत का करंट लगने से भी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है। इसलिए प्रत्येक सस्थान को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि विद्युत् कनेक्शन तथा उनकी वायरिंग ठीक तरीके से की गई ही. खासकर बारिश के मौसम में इन कनेक्शनों को समय–समय पर जांचा जाना चाहिए।

रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटनाएं

विज्ञान व प्रोद्योगिकी के विकास के साथ साथ विभिन्न प्रकार के रसायनों का प्रयोग भी तेजी से बढ़ा है. फसलों की सुरक्षा हेतु रासायनिक खाद, पेयजल की शुद्धता तथा घरों के लिए विभिन्न प्रकार के रंगों व फसल उत्पादन वृद्धि हेतु कीटनाशकों का निर्माण किया जाता है। लेकिन दुविधा यह है कि विकास की इस अंधी दौड में सामान्य से लगने वाले ये रसायन मनुष्य व पर्यावरण के लिए संकट खड़ा कर रहे है। कुछ खतरनाक रसायनों का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में इतना अधिक बढ़ गया है कि जरा सी असावधानी से हम भयंकर दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। कुछ खतरनाक रसायन हमारे घरों में पाए जाते हैं जैसे हेयर सरे, डीयो रप्रे, नेल पोलिश, नेल व हेयर रिमूवर टायलेट क्लीनर आदि।

कुछ अत्यंत ज्वलनशील रसायनों की आसान उपलब्धता से कुछ असंतुष्ट व भटके लोग जनविनाशक आयुध बहुत आसानी से बना कर मानवता का खून बहा रहे हैं। इनके अनुचित भंडारण, उपयोग व परिवहन से ही दुर्घटनाएं होती हैं। रसायनी का असुरक्षित ढंग व स्वार्थपूर्ण उपयोग व उनका रिसाव पूरे समुदाय के लिए खतरा पैदा कर सकता है। भारत में वर्ष 1984 में भोपाल शहर में यूनियन कार्बाइड को कीटनाशक बनाने वाले कारखाने से जहरीली गैस के रिसाव से कुछ ही घंटो में लगभग तीन हजार लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। जो बचे थे ये आज भी उसके दुष्परिणामों को भुगत रहे हैं।

रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटनाएं कम करने के उपाय

ऐसे उद्योगों की स्थापना बस्तियों से दूर की जाए। निकट रहने वाले समुदाय के लोगों को बनने वाले रसायन तथा उनके आकस्मिक रिसाव से उन पर पड़ने वाले दुष्प्रभावी की स्थानीय प्रशासन को जानकारी है। किसी भी विकट परिस्थति में किये जाने वाले सभी सुख्खा उपायों से लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए। उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट का बेहतर नियोजन होना चाहिए ताकि पर्यावरण को नुकसान न. हो। उद्‌योगों का बीमा व सुरक्षा कानून सख्ती से लागू होने चाहिए।

"सुरक्षित आदत विकसित करने का कष्ट क्षणिक है. लेकिन पश्चताप का दर्द स्थायी होता है"

केमिकल प्लांट : रखरखाव एवं सुरक्षा

मनोज कुमार चौधरी
उप प्रबंधक (अभियांत्रिकी), रसायनी यूनिट

प्रस्तावना:

केमिकल प्लांट उद्योग विशेष रूप से महत्वपूर्ण और संवेदनशील होता है क्योंकि इसमें उपयोग किए जाने वाले उत्पाद अत्यंत अपराधपूर्ण होते हैं। इसके साथ ही, केमिकल प्लांटों में दुर्घटनाओं की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसलिए, प्लांट रखरखाव और सुरक्षा की महत्वपूर्णता बहुत अधिक होती है। इस निबंध में, हम केमिकल प्लांटों में प्लांट रखरखाव और सुरक्षा की महत्वता, उनके लाभ, चुनौतियों, और उपायों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

केमिकल प्लांट में प्लांट रखरखाव का महत्व:

केमिकल प्लांट में प्लांट रखरखाव का महत्व बहुत अधिक होता है क्योंकि यह दुर्घटनाओं को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपकरणों के संचालन में कोई त्रुटि होने पर या उनके निर्माण में कोई अव्यवस्था होने पर, खतरा हो सकता है। इसलिए, प्लांट रख. रखाव का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी उपकरण सही तरीके से काम कर रहे हों। इसमें नियमित रूप से अवधारणा, स्वचालन, और निर्वाह के लिए प्रत्येक उपकरण के लिए आवश्यक रखरखाव के कार्य शामिल होते हैं। प्लांट रखरखाव के अंतर्गत, विभिन्न तकनीकी और प्रबंधनीय कौशलों की आवश्यकता होती है, जो कार्यक्षमता और उत्कृष्टता को बनाए रखने में मदद करती हैं।

केमिकल प्लांट में सुरक्षा का महत्व:

केमिकल प्लांट में सुरक्षा की महत्वपूर्णता भी अत्यंत अधिक होती है। केमिकल प्लांट में उपयोग किए जाने वाले उत्पाद अत्यंत अपराधपूर्ण होते हैं और इनमें किसी भी त्रुटि या अव्यवस्था के कारण दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए, सुरक्षा के मामले में केमिकल प्लांटों में अत्यधिक सावधानी और प्रभावी प्रबंधन की जरूरत होती है। सुरक्षा की प्रमुख धाराओं में समुचित प्रशिक्षण, सुरक्षा के प्रति जागरूकता, उपकरणों का सही तरीके से उपयोग, और उपकरणों की सुविधाओं की जांच और सुनिश्चिति शामिल होती है। इसके साथ ही, आवश्यक सुरक्षा उपकरणों का उपयोग और प्रयोग किया जाना चाहिए जो कि कर्मचारियों को सुरक्षित रखता है।

प्लांट रखरखाव और सुरक्षा के लाभ:

प्लांट रखरखाव और सुरक्षा के प्राथमिक उद्देश्य हैं दुर्घटनाओं को कम करना और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। यह न केवल कर्मचारियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, बल्कि उत्पादन की कार्यक्षमता को भी बढ़ावा देता है। उच्च स्तर की सुरक्षा के साथ–साथ, एक सुव्यवस्थित और प्रभावी प्लांट रखरखाव प्रक्रिया भी उत्पादन को बढ़ावा देती है और उत्पादन की लागत को कम करती है। इसके अलावा, अधिक सुरक्षा और प्लांट रखरखाव की प्रक्रिया अधिक विश्वसनीयता और दृढ़ता को भी साबित करती है।

समृद्धि हेतु सुरक्षा

केमिकल प्लांट में प्लांट रखरखाव और सुरक्षा की चुनौतियां: केमिकल प्लांट में प्लांट रखरखाव और सुरक्षा के क्षेत्र में कई चुनौतियां हो सकती हैं। केमिकल प्लांट में उपयोग किए जाने वाले उत्पाद अत्यंत अपराधपूर्ण होते हैं और इनमें किसी भी त्रुटि या अव्यवस्था के कारण दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए, सुरक्षा के मामले में केमिकल प्लांटों में अत्यधिक सावधानी और प्रभावी प्रबंधन की जरूरत होती है। अधिक सुरक्षा के साथ–साथ, प्लांट रखरखाव में अधिक उपकरणों की सुविधाओं की जांच और सुनिश्चिति के लिए भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है।

केमिकल प्लांट में प्लांट रखरखाव और सुरक्षा के उपाय:

केमिकल प्लांट में प्लांट रखरखाव और सुरक्षा के क्षेत्र में विभिन्न उपाय होते हैं जो दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करते हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं:

1. **सही प्रशिक्षण:** सभी कर्मचारियों को सुरक्षा के मामले में उच्च स्तर का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। वे उपकरणों को सही तरीके से प्रयोग करने के तरीकों को सीखने चाहिए।

2. **सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग:** केमिकल प्लांट में सुरक्षा उपकरणों का सही तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। इसमें विभिन्न प्रकार के हेलमेट, ग्लोव्स, सेफ्टी गोगल्स, और बूट्स शामिल हो सकते हैं।

3. **नियमित अवधारणा:** सभी उपकरणों की नियमित अवधारणा और निरीक्षण किया जाना चाहिए ताकि किसी भी असमर्थता या खतरे को पहचाना जा सके।

4. **उपकरणों की सेफ्टी:** केमिकल प्लांट में सुरक्षित उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए जो कि कर्मचारियों को सुरक्षित रखता है।

5. **आपसी समझ:** सभी कर्मचारियों के बीच आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए।

संक्षेप:

केमिकल प्लांट में प्लांट रखरखाव और सुरक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अवश्यक विषय है। यह उद्योग के कर्मचारियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, साथ ही संचालन में सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने में मदद करता है। इसलिए, सभी केमिकल प्लांटों में प्लांट रखरखाव और सुरक्षा की महत्वपूर्णता को उच्च स्तर पर ध्यान में रखा जाना चाहिए।

जेहि का जेहि पर सत्य सनेहू ।
सो तेहि मिलहिं न कछु संदेहू ।।

भवार्थ : जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है, वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है।

सशक्त समाज के निर्माण में महिलाओं की भूमिका और चुनौतियां

अर्चना खरे
साहित्कार एवं स्वतंत्र विचारक

भारत के सशक्त समाज के निर्माण में स्त्रियों का सदा से ही अभूतपूर्व योगदान रहा है। बिना नारी के सशक्त हुए समाज सशक्त नहीं हो सकता है। वर्तमान समय में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें आज महिलाओं का प्रवेश न हुआ हो। नारी समाज का केंद्र बिंदु है। बिना नारी के सशक्त हुए सभ्य समाज की संकल्पना अधूरी है।

आज के ज़माने में महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रही हैं, उदाहरण के लिए जज, वकील, इंजीनियर, पायलट, खिलाड़ी, डॉक्टर, कंडक्टर, टीचर, पुलिस इत्यादि। उपरोक्त उपलब्धियों के बावजूद भारत में महिलाओं को अभी भी महत्वपूर्ण चुनौति;ों का सामना करना पड़ रहा है।

वर्तमान समय में स्त्रियाँ बहुत से महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान हैं, और रही हैं, उनमें से कुछ उल्लेखनीय नाम इस प्रकार हैं –

- देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी ।
- देश की पहली महिला राष्ट्रपति और 12वी राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल
- देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति और 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
- भारतीय वायु सेना की युवा अधिकारी स्कवाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी 'मिग–21 बाइसन' को अकेले उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट बनीं।
- चन्द्रयान–3 के सफल परीक्षण के पीछे कई वैज्ञानिक महिलाओं का हाथ रहा है जिसमें से एक ऋतु करिधाल भी हैं। उन्हें चन्द्रयान–3 की लैंडिंग की जिम्मेदारी सौंपी गयी थी, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया और अपनी धाक जमा दी।

अन्य प्रभावशाली महिलाओं में लता मंगेशकर, सुषमा स्वराज, मैरी कॉम, पी. टी. ऊषा, साइना नेहवाल इत्यादि को कौन भूल सकता है। ये सूची बहुत लम्बी है। इन सभी महिलाओं ने हमारे देश का नाम विश्वपटल पर रोशन किया है। समाज उनके योगदान के लिए चिरऋणी है।

भारतीय संविधान में स्त्री और पुरुष को बराबर का दर्जा दिया गया है, तथापि कुछ लोगों का मानना हैं स्त्रियाँ सामाजिक स्तर और विकास के दृष्टिकोण से पुरुषों से पीछे हैं। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को कम आंकना उचित नहीं हैं। आज की महिलाओं ने राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के प्रसिद्ध काव्य "यशोधरा" में उद्धृत इन पंक्तियों की सार्थकता को परिवर्तित कर दिया है –

अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी है।
आँचल में है दूध और आँखों में पानी है।।

भारतीय समाज में अभी भी स्त्रियाँ शत प्रतिशत शिक्षित नहीं है जिसके कारण वे आज भी स्वावलम्बी नहीं हैं। वे बचपन में अपने पिता पर आश्रित रहती हैं, युवावस्था में पति पर आश्रित रहती हैं और वृद्धावस्था में लड़के पर आश्रित हो जाती हैं।

समाज के समक्ष आज भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कैसे स्त्रियों की स्थिति में सुधार किया जाये। आज भारत देश विकसित देशों में शुमार हो रहा है तथापि हमारे देश की स्त्रियों की स्थिति बहुत सी जगहों पर आज भी उतनी मजबूत नहीं है जितनी होनी चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण हैं कि आज भी हमारे देश में दहेज प्रथा प्रचलित है, दहेज़ न देने पर ससुराल में लड़कियों को तरह–तरह की यातनाओं से प्रताड़ित किया जाता है। देश में यदा–कदा बलात्कार की घटनाएं होती रहती हैं, हालांकि इसके खिलाफ कड़ी सजा का भी प्रावधान है। इतना ही नहीं कई जगह पर महिलाओं का देर रात में निकलना भी सुरक्षित नहीं है। इसके विपरीत कबीरदास जी ने नारी के महत्व को दर्शाते हुए कहा है कि –

नारी निंदा न करो, नारी रतन की खान।
नारी से नर होत है, ध्रुव प्रहलाद समान।।

यद्यपि कन्या भ्रूण की हत्या एक क्रूर अपराध है, फिर भी यह अपराध लाख कोशिश के बाद भी अभी पूर्णतः ख़तम नहीं हुआ है, जिसके कारण स्त्री और पुरुष का अनुपात तेजी से बिगड़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में, कुल आबादी में सेक्स अनुपात 106.45 आदमी और 100 महिलायें है। कुल आबादी में महिलाओं की आबादी 48.44 प्रतिशत है, जबकि पुरुषों की आबादी, कुल आबादी का 51.56 प्रतिशत है।

18 वर्ष से कम उम्र में शादी बाल विवाह कहलाती है। देश में दू. रदराज के गांवों व क्षेत्रों में आज भी बाल विवाह होते हैं जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं। प्राचीन काल में पति के मरने पर स्त्रियां स्वत: या दबाव में आकर आकर सती हो जाया करती थीं। इस प्रथा का अंत 4 दिसंबर 1929 को राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया। तब से आज तक क्रमश: स्त्रियों की स्थिति में सुधार हो रहा है।

वर्तमान सरकार भी स्त्रियों की दशा सुधारने में प्रयासरत है जि. सका उद्देश्य है कि स्त्रियाँ पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकें और एक सशक्त समाज का निर्माण हो तथा हमारा देश प्रगति के पथ पर और मजबूती के साथ अग्रसर हो। देश में केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए बहुत से प्रयास किये हैं और योजनाएं बनाई हैं। ●

जीवन में लक्ष्य का होना जरूरी क्यों है ?

मोनिका शर्मा
बाह्य साधन : वरिष्ठ सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी)
निगमित कार्यालय

यदि आपसे पूछा जाये कि क्या आपने अपने लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित कर रखे है तो आपके सिर्फ दो ही जवाब हो सकते हैं हाँ या ना।

लक्ष्य पर साधे निशाना!

अगर जवाब हीं है तो ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि ज्यादातर लोग तो बिना किसी निश्चित लक्ष्य के ही अपनी जिन्दगी बिताये जा रहे हैं और आप उनसे कहीं बेहतर स्थिति में हैं। पर यदि जवाब ना है तो ये थोड़ी चिंता का विषय है। थोड़ी इसलिए क्योंकि भले ही अभी आपका कोई लक्ष्य ना हो पर आप जल्द ही सोच–विचार कर अपने लिए लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं।

लक्ष्य या गोल्स होते क्या है?

लक्ष्य एक ऐसा कार्य है जिसे हम सिद्ध करने की मंशा रखते हैं। कुछ उदाहरण लेते हैं एक छात्र का लक्ष्य हो सकता है फाइनल परीक्षा में 90% से ज्यादा अंक लाना, एक एम्प्लोयी का लक्ष्य हो सकता है अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर प्रमोशन पाना, एक हाउसवाइफ का लक्ष्य हो सकता है अपने घर से ही किसी बिजनेस की शुरुआत करना, एक ब्लॉगर का लक्ष्य हो सकता है अपने ब्लॉग के लिए ब्यूवर बढ़ाना, एक समाजसेवक का लक्ष्य हो सकता है किसी गाँव के सभी लोगों को साक्षर बनाना।

लक्ष्य का होना जरूरी क्यों है?

1) सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए: जब आप सुबह घर से निकलते हैं तो आपको पता होता है कि आपको कहाँ जाना है और आप यहां पहुँचते हैं। सोचिए अगर आपको यह नहीं पता हो कि आप को कहाँ जाना है तो मला आप क्या करेंगे? इधर–उधर भटकने में ही समय व्यर्थ हो जाएगा। इसी तरह जीवन में भी यदि आपने अपने लिए लक्ष्य नहीं बनाए हैं तो आपकी चलती रहेगी पर जब बाद में आप पीछे मुड़ कर देखेंगे तो शायद आपको पछतावा हो कि आपने कुछ खास अचीव नहीं किया ! लक्ष्य व्यक्ति को एक सही दिशा देता है। उसे बताता है कि कौन सा काम उसके लिए जरूरी है और कौन सा नहीं। यदि लक्ष्य क्लियर होंगे तो हम उनके मुताबिक अपने आप को तैयार करते है। हमारा अवचेतन मन (subconscious mind) हमें उसी के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। दिमाग में लक्ष्य साफ हो तो उसे पाने के रास्ते भी साफ नजर आने लगते हैं और इंसान उसी दिशा में अपने कदम बढ़ा देता है।

भगवान ने इंसान को सीमित उर्जा और सीमित समय दिया है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम इसका उपयोग सही तरीके से करें। लक्ष्य हमें ठीक यही करने को प्रेरित करता है। अगर आप अपने अंतिम लक्ष्य (end-goal) को ध्यान में रख कर कोई काम करते हैं तो आपकी एकाग्रता और ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा होता है।

3) सफल होने के लिए: जिससे पूछिए वही कहता है कि मैं एक सफल व्यक्ति बनना चाहता हूँ पर अगर ये पूछिए कि क्या हो जाने पर वह खुद को सफल व्यक्ति मानेगा तो इसका उत्तर कम ही लोग पूरे विश्वास से दे पाएंगे। सबके लिए सफलता के मायने अलग– अलग होते हैं और यह मायने लक्ष्य द्वारा ही निर्धारित होते हैं। तो यदि आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आप एक बार को औरों की नज़र में सफल हो सकते हैं पर खुद की नज़र में आप कैसे यह तय करेंगे कि आप सफल हैं या नहीं? इसके लिए आपको अपने द्वारा तय किए हुए लक्ष्यों को देखना होगा, उनके साथ अपनी उपलब्धियों को तौलना होगा।

4) अपने मन के विरोधाभास को दूर करने के लिए: हमारे जीवन में कई अवसर आते–जाते रहते हैं। कोई चाह कर भी हर एक अवसर का फायदा नहीं उठा सकता। हमें अवसरों को कभी हाँ तो कभी नाकरना होता है। ऐसे में ऐसी परिस्थितियां आना स्वाभाविक है जब हम यह निर्णय नहीं कर पाते कि हमें क्या करना चाहिए, किस अवसर को पकड़ना चाहिए और किस अवसर को छोड़ देना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में आपका लक्ष्य ही आपका गाइड होता है, आपको रास्ता दिखाता है।

अर्नोल्ड एच ग्लासगो ने कहा है कि फुटबाल की तरह ज़िन्दगी में भी आप तब–तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आपको अपने लक्ष्य का पता ना हो। मुझे भी यह बात बिलकुल सही लगती है। तो यदि आपने अभी तक अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है तो आज ही इस दिशा में सोचना शुरू कर दीजिए। लक्ष्य बनाइए, बड़े लक्ष्य बनाइए, और उन्हें हासिल करके ही दम लीजिए!

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

कान्ता
वरिष्ठ सहायक, निगमित कार्यालय

जन्म देती है तुम्हें हर बला बचाती है,
जो तुम्हारी लंबी उम्र के लिए
सजदे करती है
वह नारी कहलाती है
नारी है सदा खुद की आभारी,
नारी नहीं है नर की जिम्मेदारी
नारी का सदा करो सम्मान,
रखो उसकी प्रतिष्ठा का ध्यान
नारी ही भाक्ति है नर की, नारी ही शोभा है घर की
जो उसे उचित सम्मान मिले घर में खुशियों के फूल खिले,
आंचल में ममता लिए हुए, नैनो में आंसु पिए हुए,
सौंप दे जो पूरा जीवन फिर क्यों आहत हो उसका मन

औरत एक जीता जागता विषय है जो अक्सर ही चर्चा में रहता है.......... कभी करूणा, कभी शक्ति, कभी शोषण तो कभी अपनी परंपरागत भूमिका के निः शब्द निर्वाहन या फिर इसी भूमिका से बगावत के कारण। लेकिन आज हम उसकी किसी भूमिका पर विचार नहीं करेंगे बल्कि उस दिन पर बात करेंगे जो औरत के अस्तित्व और अस्मिता दोनो को ही हर हाल में सुरक्षित रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर 8 मार्च को मनाया जाता है।

नारी कभी मां बनकर , कभी बहन बनकर तो कभी पत्नी बनकर आदमी को सही राह दिखाती है, नारी को कभी कम मत समक्षना वो हर मोड़ पर आपका साथ निभाती है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दुनिया भर के कई देशों में एक साथ मनाया जाता है। महिला दिवस के दिन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के साहसिक कार्यों और उनकी उपलब्धियों को याद किया जाता है। इस विशेष दिन में महिलाओं के विभिन्न मुद्दों को लेकर जगह–जगह सम्मेलन आयोजित होते है, रैलियां निकाली जाती है और सेमिनार आयोजित करके महिलाओं के अधिकारों से जुड़े विषयों पर बात की जाती है और लोगों को उनका हक दिलाने के लिए जागरूक किया जाता है। महिला दिवस के दिन महिलाओं को लैगिक समानता और समाज में पुरूषों के बराबर हक दिलाने का भी मुदा बड़े स्तर पर कई बड़ी संस्थाएं उठाती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दुनियाभर में 8 मार्च को मनाया जाता है। आइए जानते है महिला दिवस की थीम, इतिहास, प्रतीक, मनाने का कारण और दिन की जानकारी। महिला दिवस 19वीं सदी के शुरूआत से ही मनाया जाता है और अब इसे 8 मार्च को मानाने की मान्यता प्राप्त हो चुकी है। यह किसी भी समूह से संबद्ध नही है, लेकिन सरकारों, महिला संगठनों, एवं कई ऑर्गनाइजेशन एक साथ मिलकर महिला दिवस का आयोजन करते है।

जरा सोचिए जिस हिन्दुस्तान में घर में रहने वाली एक आम औरत जो सेटेलाइट के इस दौर में भी सिर से पल्लू तक गिरने में संकोच महसूस करती है तो उसे अगर चौराहे पर बेइज्जत किया जाए तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। मगर अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि आज ऐसे कम लोग बचे है जो दूसरे की आंख के आंसू को अपना समझते है। इससे अधिक खराब स्थिति और क्या हो सकती है कि महिला दिवस मना कर हमें इंसानों को यह एहसास कराना पड़ रहा है कि औरत कोई वस्तु नहीं है वह भी इंसान है उसका भी कुछ सपने है। लेकिन जो एक बात मुझे इस वक्त महसूस हो रही है वह यह है कि समाज को यह एहसास कराने के साथ ही हमें औरत को भी वह सब महसूस कराना होगा जो उसे एक संमानपूर्ण पृष्ठभूमि दे सकें।

हलांकि इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। उनको हितों की रक्षा के लिए बने कानूनों, संविधान में उन्हे दिए गए अधिकारों, मानवधिकारों सहित तमाम अहम जानकारियां देने की कोशिश की जाती है ताकि वह खुद अपने हक के लिए आवाज उठाएं क्योंकि वे स्वयं शक्ति की प्रतीक हैं। जरूरत महत एहसास कराने की है। तो चलिए आज और अभी से हर स्त्री को सशक्त और जागरूक बनाने के लिए हम एक स्वर से कहे 'जाग। तुझको दूर जाना है,' महादेवी वर्मा के इन्ही प्रेरक वचनों के साथ हम इस अधिकारपूर्ण दिन की सभी स्त्रियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देते है।

जीवन रूपी खेत

अभिप्रेरणा

परम प्रकाश खरे
ई.एम.पी.आई. बिजनेस स्कुल, छत्तरपुर, दिल्ली

प्रेम रावत जी का परिचय

- प्रेम रावत जी मानवता एवं शांति के विषय पर चर्चा करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के वक्ता हैं। शांति को पाने की प्रेरणा देने के लिए विश्व भर में कई सरकारी और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा उन्हें 'शान्तिदूत' की उपाधि प्रदान की गई है।
- विगत साठ से भी अधिक वर्षों से वे विश्व भर में लोगों को शांति, मानवता और भाईचारे का सन्देश देते आ रहे हैं, फिर चाहे वे किसी भी देश, धर्म अथवा जाति के हों या किसी भी जीवनशैली को अपनाने वाले हों। उनका संदेश एक ऐसा अनुपम सन्देश है जो लोगों को बताता है कि जीवन में शांति संभव ही नहीं, बल्कि यह मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार भी है।
- आज विश्व के 174 देशों के लोग प्रेम रावत जी के शांति और मानवता के इस अद्भुत संदेश का आनंद उठा रहे हैं। उनके संदेश का 70 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया जाता है।
- प्रेम रावत जी का जन्म 1957 में भारतवर्ष के उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार जिले में हुआ। उन्होंने मात्र चार वर्ष की अल्पायु में अपना पहला शांति सन्देश लोगों के समक्ष रखा। तेरह वर्ष की आयु में उन्हें लंदन और लॉस एंजेलिस में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। यह सिलसिला जो स्कूल की छुट्टियों से शुरू हुआ था, उनके पूरे जीवनकाल की यात्रा के रूप में विकसित हुआ और वे पूरे विश्व में एक–एक मनुष्य के लिए अपना अनूठा संदेश लेकर जाने लगे।
- प्रेम रावत जी देश भर में अनेक कार्यक्रमों को सम्बोधित करते हैं जिनमें वे लाखों–लाखों लोगों को अपने अंदर स्थित शांति को पाने के लिए प्रेरित करते हैं। शहरों से लेकर गांवों तक, वे समाज के सभी वर्गों को अपना शांति और मानवता का सन्देश देते हैं।
- उन्हें कई प्रतिष्ठित मंचों पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है जिनमें यूनाइटेड नेशन्स, यूरोपियन संसद और कई देशों की संसद शामिल हैं। उन्होंने युवा पीढ़ी को भी विश्वविद्यालयों में जाकर अपना संदेश दिया है जिनमें हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, आई आई टी दिल्ली, आई आई एम लखनऊ और आई आई एम अहमदाबाद, इनफोसिस पुणे, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली आदि शामिल हैं।
- प्रेम रावत की शिक्षाओं पर आधारित शांति शिक्षा कार्यक्रम, विश्व के 80 से अधिक देशों में 600 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों एवं 775 जेलों में 40 से अधिक भाषाओं दिखाया जाता है। इसमें अब तक तीन लाख, 60 हजार से अधिक लोग भाग ले चुके हैं।
- उनकी परोपकारी संस्था "द प्रेम रावत फाउंडेशन" द्वारा बिहार प्रदेश के ग्राम बनटोली, जिला गुमला में संचालित जन भोजन योजना के अंतर्गत 500 जरूरतमंद ग्रामीण बच्चों एवं बुजुर्गों को प्रति दिन पोषक भोजन एवं साफ पीने का पानी उपलब्ध कराया जाता है। नेपाल व घाना में भी इसी तरह की जन भोजन योजना ग्रामीण बच्चों के लिए संचालित की जा रही है।
- प्रेम रावत जी के संदेश के संबंध में और अधिक जानकारी वेबसाइट www.rajvidyakender.org और www.premrawat.com द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

यदि कोई उपजाऊ जमीन है और हम उस जमीन पर खेती न करें, कोई मेहनत न करें तो धीरे–धीरे वह जमीन बंजर हो जाएगी। अगर उस जमीन पर अच्छे से बीज नहीं बोए जा रहे हैं और उसमें पानी नहीं दिया जा रहा है तो वही जमीन जिसमें पहले हरियाली होती थी, वहां ऐसी चीजें उगना शुरू हो जाएंगी, जो मनुष्य के लिए निरर्थक हैं और वह जमीन धीरे–धीरे बंजर हो जाएगी।

ठीक उसी प्रकार हमको जो यह जीवन रूपी खेत मिला है, इसमें हम कितना परिश्रम कर रहे हैं। इस खेत में हमने क्या–क्या बोया है ? कौन–सी फसल उगाई है और इस खेत में अगर मेहनत नहीं की गयी, पानी नहीं डाला गया तो यह भी धीरे–धीरे बंजर हो जाएगा। हम अपने इस जीवन रूपी खेत में हर स्वांस के साथ कुछ न कुछ बो रहे हैं। हम चाहे कुछ करें या ना करें, बीज तो बोए जा रहे हैं,

फसल तो उगेगी ही।

अगर हम यह कोशिश करें कि बीज न बोया जाए तो यह असंभव है। सिर्फ यह संभव है कि हम कौन–सा बीज बोना चाहते हैं और कौन–सी फसल लगाना चाहते हैं। हर एक अनमोल स्वांस, जो हमारे अंदर चल रही है, वह हमारे लिए जीवन लाती है, जिसमें हम मुस्कुरा सकें और आनंद का अनुभव कर सकें। आज जो कुछ भी हम इस संसार में कर रहे हैं, जैसे बड़े–बड़े आविष्कार, भौतिक सुख–सुविधाओं का विस्तार, यह सब इसी स्वांस के कारण ही संभव है।

जब हम अपने जीवन में इस बात को अच्छे से स्वीकार कर लेंगे कि हम भी प्रत्येक स्वांस के साथ इस जीवन रूपी खेत में उस बीज को बोएं, जिसके फल को पाने के बाद हमें जीवन में दुखी न रहना पड़े, तब इस जीवन का मिलना सार्थक होगा।

उठो! जागो! आंखें खोलो! और अपने इस दिन को शुरू करो। जागने का समय हो गया है, क्योंकि हमने जो कुछ भी आज तक सबसे बढ़िया से बढ़िया सपना देखा, असलियत उन सारे सपनों से ज्यादा बढ़िया है– 'इस स्वांस की असलियत'। इसका कोई दाम नहीं है। यह अनमोल है और हमेशा हमारे साथ है। जिस दिन यह नहीं रहेगा, हम नहीं रहेंगे। हम जो भी हैं, इसी के कारण हैं। इसमें वह आनंद है, जो हम हमेशा से पाना चाहते हैं।

हमने अभी तक जीवन में ऐसे आनंद का अनुभव ही नहीं किया जो हमेशा रहे। तो अब हम अपने इस जीवन रूपी खेत में उस बीज को बोएं, जिसकी फसल के निकलने के बाद हम आनंद में रहें। हम इस जीवन रूपी खेत को बंजर न होने दें, क्योंकि ऐसा करने की जरूरत नहीं है। दरअसल हमारे अंदर संभावना है, उस जीवन रूपी खेत को खुशहाल बनाने की, उसका आनंद लेने की।

स्वयं को जानो और पहचानो

एक कहानी है। दो मुसाफिर जा रहे थे। उनमे से एक मुसाफिर चोर था। चोर ने मुसाफिर से पूछा कि ''भाई तुम कहां जा रहे हो ?''

उस मुसाफिर ने कहा, ''मैं धन कमाने के लिए विदेश गया था। अब अपनी सारी कमाई लेकर अपने घर जा रहा हूँ।''

चोर ने कहा, ''मैं भी वहीं जा रहा हूं, दोनों साथ रहेंगे तो ठीक रहेगा।''

मुसाफिर ने कहा, ''अच्छा है भाई। एक से भले दो।''

चलते–चलते रात हो गयी, दोनों एक सराय में ठहरे। जैसे ही वह मुसाफिर खाना खाने नीचे गया, चोर ने उसके सामान और बिस्तर की खूब तलाशी ली परन्तु उसे कुछ नहीं मिला।

चोर सोचता रहा, ''सारी जगह ढूंढ़ लिया परंतु धन कहीं नहीं मिला, आखिर इसने धन छुपाया कहां ? कहीं यह झूठ तो नहीं बोल रहा।''

अगली सुबह वे दोनों आगे की यात्रा पर निकल पड़े।

चोर ने मुसाफिर से पूछा, ''क्या तुमने वाकई धन कमाया है ?''

मुसाफिर बोला, ''हां, बहुत सारा धन कमाया है, इतना अधिक कमाया है कि अब मुझे काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।

रास्ता लम्बा था, रात हो गयी। इस बार भी उन्हें सराय में ठहरना पड़ा। वहां भी चोर ने सब जगह तलाश ली। इस बार भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा।

अगले दिन गांव पहुंचने के बाद उस चोर ने मुसाफिर से कहा, ''अब तुम अपने घर पहुंच गए हो और सुरक्षित भी हो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। दरअसल मैं एक चोर हूं। जब तुम नीचे खाना खाने के लिए जाते थे तो मैं धन के लालच में तुम्हारे सामान की तलाशी लेता था। दोनों रात मैंने तुम्हारे सामान की तलाशी ली किन्तु मुझे कुछ नहीं मिला। तुमने कुछ कमाया भी है या झूठ बोल रहे हो ?

मुसाफिर ने कहा, ''मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ।''

उसने चोर को अपना कमाया हुआ धन दिखाया और कहा, ''तुमने हर जगह मेरे धन को ढूंढ़ा, मेरे बक्से, मेरे बिस्तर, मेरे तकिये के नीचे भी ढूंढ़ा, किन्तु तुमने इसे अपने तकिये के नीचे नहीं ढूंढ़ा।''

चोर ने हैरानी से पूछा, ''अपने तकिये के नीचे !''

मुसाफिर बोला, ''तुमने इस धन को पाने के लिए हर जगह ढूंढ़ा किन्तु वहां नहीं ढूंढ़ा जहां वह था, तुम्हारे खुद अपने तकिये के नीचे। मुझे मालूम था तुम सब जगह ढूँढ़ोगे, परन्तु अपने तकिये के नीचे कभी नहीं ढूँढ़ोगे, इसलिए तुमसे नजर बचाकर इस धन को मैं तुम्हारे तकिये के नीचे रख देता था।''

चोर ने निराश होते हुए कहा, ''काश! मैंने अपने तकिये के नीचे देखा होता।''

ठीक उसी प्रकार वह बनाने वाला जिसे हम खोजने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, वो बाहर ढूंढ़ने से नहीं मिलेगा। क्योंकि वो हमारे ही अंदर मौजूद है।''

इंटरनेट सुरक्षा

सूचना प्रौद्योगिकी

सुशांत कुमार जेना
बाह्य साधनः वरिष्ठ सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी)
निगमित कार्यालय

इंटरनेट सुरक्षा ऑनलाइन लेनदेन, डेटा और गतिविधियों की सुरक्षा के लिए उठाया गया कोई भी साइबर सुरक्षा उपाय है। इसका उद्देश्य इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को हेकरों से बचाना और डेटा उल्लंघनों को सीमित करना या ख़त्म करना है।

इंटरनेट सुरक्षा क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है?

इंटरनेट सुरक्षा में ऑनलाइन गतिविधियों, लेनदेन और डेटा की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम शामिल हैं। इंटरनेट सुरक्षा एक रणनीति हो सकती है, जैसे ऑनलाइन सेवाओं के लिए केवल जटिल पासवर्ड का उपयोग करना। इसमें सुरक्षा सॉफ़्टवेयर स्थापित करने जैसे चरण भी शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, विंडोज़ या मैक ओएस के लिए फ़ायरवॉल सेट करने से दुर्भावनापूर्ण कनेक्शन को ब्लॉक किया जा सकता है, जबकि एंटीवायरस सॉफ़्टवेयर इंस्टॉल करने से आपके कंप्यूटर को मैलवेयर से मुक्त रखने में मदद मिलती है।

लोगों और उनकी ऑनलाइन निजी जानकारी की सुरक्षा के लिए इंटरनेट सुरक्षा महत्वपूर्ण है। कई कंपनियां डेटा उल्लंघनों की शिकार रही हैं, जिससे उनके ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी उजागर हो गई है। यही कारण है कि अच्छी साइबर सुरक्षा प्रथाएँ इतनी महत्वपूर्ण हैं।

इंटरनेट सुरक्षा खतरे

आपको किन खतरों से सबसे अधिक चिंतित होना चाहिए?

- मैलवेयरः मैलवेयर, "दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर" का संक्षिप्त रूप, एक व्यापक शब्द है जो कंप्यूटर या डिवाइस को हाईजैक करने, क्षति पहुंचाने या नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किए गए किसी भी सॉफ़्टवेयर को संदर्भित करता है। वायरस, वॉर्म और रैनसमवेयर सभी मैलवेयर के उदाहरण हैं।

- रैंसमवेयरः अधिकांश विषेशज्ञों ने रैंसमवेयर को सबसे तेजी से बढ़ते और सबसे अधिक चिंताजनक मैलवेयर प्रकारों में से एक बताया है। रैंसमवेयर के साथ, पीड़ित का डेटा या तो लॉक कर दिया जाता है या फिरौती का भुगतान होने तक हटा दिया जाता है, जो हमेशा यह गारंटी नहीं देता है कि आपको अपना डेटा वापस मिल जाएगा।

बॉटनेट्सः बॉटनेट रिमोट एक्सेस ट्रोजन नामक एक प्रकार के मैलवेयर का उपयोग करते हैं, जो साइबर अपराधियों को अन्य हमलों को अंजाम देने के लिए संक्रमित कंप्यूटर को दूर से नियंत्रित करने की अनुमति देता है।

वाई–फाई के खतरेः इंटरनेट सुरक्षा में राउटर की भूमिका को अक्सर भुला दिया जाता है। रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में, राउटर लोगों, उपकरणों और इंटरनेट के बीच प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। खुले नेटवर्क हमलावरों के लिए उसी नेटवर्क पर उपकरणों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए आसान लक्ष्य हैं।

फ़िशिंगः फ़िशिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग साइबर अपराधी पीड़ितों को संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए लुभाने के लिए करते हैं। फ़िशिंग हमले के दौरान, कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक संचार जैसे ईमेल या टेक्स्ट भेजता है जो ऐसा लगता है कि यह किसी वित्तीय संस्थान या अन्य इकाई से है। इसके बजाय, संदेश में लिंक पीड़ित को हमलावर द्वारा नियंत्रित एक नकली वेबसाइट पर ले जाता है। पीड़ित द्वारा वेबसाइट पर दर्ज किए गए किसी भी डेटा से छेड़छाड़ की जाती है। नुस्पायर साइबर सुरक्षा विश्लेशक जोश स्मिथ कहते हैं, श्फ़िशिंग खतरे वाले अभिने. ताओं के लिए बेहद कम कौशल और कम क्षमता वाला है। "उन्हें हमला शुरू करने के लिए बातचीत करने के लिए केवल एक पीड़ित की आवश्यकता होती है।"

हैकिंगः हैकिंग में एक सुरक्षित खाते से समझौता करना शामिल है। आम तौर पर, जो व्यक्ति "हैक" किया जाता है, उसके लॉगिन क्रेडेंशियल चोरी या लीक हो जाते हैं। हालाँकि यह अक्सर दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया जाता है, कुछ हैकर इसे केवल बदनामी

के लिए, यह साबित करने के लिए या बोरियत के कारण करते हैं।

डेटा हानिः डेटा उल्लंघनों के माध्यम से डेटा ऑनलाइन चोरी किया जा सकता है। जब कोई किसी वेबसाइट के लिए साइन अप करता है और उसमें अपनी साख जोड़ता है, तो वह उस प्लेटफ़ॉर्म की सुरक्षा की दया पर निर्भर होता है। यदि वह वेबसाइट आपके डेटा को सुरक्षित रखने में विफल रहती है और डेटा उल्लंघन से पीड़ित होती है, तो वास्तविक संभावना है कि आपका डेटा समझौता किया जा सकता है, दूषित हो सकता है, या पूरी तरह से खो सकता है।

दूषित वेबसाइटः सभी आधुनिक वेब ब्राउज़र में दुर्भावनापूर्ण वेबसाइटों से कुछ प्रकार की बुनियादी सुरक्षा शामिल होती है। उदाहरण के लिए, Chrome प्रत्येक व्यक्ति द्वारा देखी जाने वाली वेबसाइट को एंटीवायरस टूल के माध्यम से चलाता है, और यह आपके द्वारा कोई असामान्य कार्रवाई करने से पहले आपको सूचित करेगा। सुरक्षित रहने के लिए, केवल उन्हीं वेबसाइटों पर जाएँ जिनके पास SSL या TLS प्रमाणपत्र है।

ऑनलाइन सुरक्षित कैसे रहें:

● बहुकारक प्रमाणीकरण सेट करें: मल्टीफैक्टर प्रमाणीकरण (एमएफए) आपके खातों के लिए सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत के रूप में वन–टाइम पासवर्ड का उपयोग करता है। एमएफए स्थापित करना आपके ऑनलाइन खातों को सुरक्षित करने के सबसे आसान तरीकों में से एक है। इसे जोड़ना आसान है और अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है। ''उन सेवाओं से दूर रहें जो किसी प्रकार का एमएफए प्रदान नहीं करती हैं। एक प्रमुख विशेषता की पेशकश न करने के अलावा, यह सुरक्षा के प्रति उनके समग्र दृष्टिकोण के बारे में भी बताता है।''

● फ़ायरवॉल का उपयोग करने पर विचार करें: फ़ायरवॉल या तो सॉफ़्टवेयर–आधारित या हार्डवेयर–आधारित उपकरण हैं जो आपके कंप्यूटर और खुले इंटरनेट के बीच एक बाधा के रूप में कार्य करते हैं, अज्ञात या संदिग्ध ट्रैफ़िक को रोकते हुए वैध ट्रैफ़िक की अनुमति देते हैं।

●मजबूत पासवर्ड का प्रयोग करे : अपने प्रत्येक खाते के लिए मजबूत, अद्वितीय पासवर्ड सेट करने के लिए एक अच्छे पासवर्ड मैनेजर का उपयोग करना। डेटा उल्लंघन अब सामान्य बात है, और खोए हुए पासवर्ड से होने वाली क्षति को कम करना महत्वपूर्ण है।

● एंटीवायरस सॉफ़्टवेयर का उपयोग करें : एंटीवायरस सॉफ़्टवेयर आपको कई इंटरनेट सुरक्षा खतरों से बचा सकता है, जिनमें नए और उभरते खतरे भी शामिल हैं – जो अक्सर सबसे खतरनाक होते हैं। केवल एंटीवायरस सॉफ़्टवेयर इंस्टॉल करना पर्याप्त नहीं है। इसके प्रभावी बने रहने के लिए आपको इसे अद्यतन भी रखना होगा।

● वीपीएन का प्रयोग करें : वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) को स्थापित करना और उसका उपयोग करना ऑनलाइन रहते हुए खुद को सुरक्षित रखने का एक और तरीका है, क्योंकि आपका सारा इंटरनेट ट्रैफ़िक एक एन्क्रिप्टेड सुरंग से होकर गुजरता है जिसे हैकर्स के लिए तोड़ना मुश्किल होता है। याद रखें कि आप जो भुगतान करते हैं वही आपको मिलता है। मुफ़्त या सस्ते वीपीएन अच्छा विकल्प नहीं हैं। ऐप दुर्भावनापूर्ण हो सकता है, बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता है, या इससे भी बदतर, यह सक्रिय रूप से आपकी जासूसी कर सकता है।

● पहचान की चोरी से सुरक्षा सेवा का उपयोग करें : हालांकि यहां सुझाए गए सभी कदम उठाने से आपके सफलतापूर्वक हैक होने का जोखिम काफी हद तक कम हो जाएगा, लेकिन यह इसे खत्म नहीं करेगा। यदि आपकी व्यक्तिगत जानकारी से छेड़छाड़ की गई है तो पहचान चोरी सुरक्षा सेवा का उपयोग आपको सचेत कर देगा।

● सॉफ़्टवेयर अपडेट करें : यह सुनिश्चित करने के लिए कि सॉफ़्टवेयर यथासंभव सुरक्षित है, अपने डिवाइस के ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके सुरक्षा सॉफ़्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट

करना महत्वपूर्ण है।

यह एक चिरस्थायी मज़ाक बन गया है कि संदेश आने पर लोग तुरंत सॉफ़्टवेयर अपडेट को ख़ारिज कर देते हैं, विलंब कर देते हैं या अनदेखा कर देते हैं। "लेकिन जब इन सूचनाओं को लंबे समय तक नजरअंदाज किया जाता है, तो डिवाइस उज्ज्वल, चमकदार लक्ष्य बन जाते हैं।" कमजोरियों का अक्सर तुरंत फायदा उठाया जाता है, इसलिए जितनी जल्दी आप अपडेट करेंगे, उतना बेहतर होगा।

● वेबकैम एक्सेस को ब्लॉक करें : यह समीक्षा करना भी एक अच्छा विचार हो सकता है कि आपने वेबकैम की पहुंच किसे दी है। क्रोम में, आप इसे गोपनीयता और सुरक्षा, फिर साइट सेटिंग्स और फिर 'कैमरा या माइक्रोफ़ोन' पर क्लिक करके पा सकते हैं। सफ़ारी उपयोगकर्ता प्राथमिकताएँ पर क्लिक करके समान सेटिंग्स पा सकते हैं।

● एक विज्ञापन अवरोधक का प्रयोग करें : यह न केवल एक शांत और कम अव्यवस्थित उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करता है, बल्कि संदिग्ध विज्ञापनों के माध्यम से मैलवेयर को आप तक पहुंचाना भी कठिन बना देता है।

● माता–पिता के नियंत्रण का उपयोग करें : यदि आपको चिंता है कि आपके बच्चे असुरक्षित या अनुपयुक्त वेबसाइटा. ` पर जा सकते हैं, तो माता–पिता के नियंत्रण का उपयोग करके इसे रोका जा सकता है। माता–पिता अपने बच्चा. ` के Google खातों को प्रबंधित कर सकते हैं और क्रोम के भीतर स्पश्ट साइटों या अन्य साइटों तक पहुंच को प्रति. बंधित कर सकते हैं, सफ़ारी वेब ब्राउज़र और अन्य iOS उपकरणों के लिए Apple की समान कार्यक्षमता उपलब्ध है। इंटरनेट सुरक्षा एक जटिल और निरंतर विकसित होने वाला क्षेत्र है जो निरंतर सतर्कता और अनुकूलन की मांग करता है। जैसे–जैसे साइबरस्पेस हमारे जीवन का अभिन्न अंग बनता जा रहा है, मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। इंटरनेट सुरक्षा के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाकर और प्रभावी रणनीतियों को लागू करके, हम साइबर जोखिमों को कम कर सकते हैं और डिजिटल संपत्तियों और सूचनाओं की अखंडता, गोपनीयता और उपलब्धता की रक्षा कर सकते हैं। ऐसा करने पर, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि डिजिटल युग में इंटरनेट नवाचार, संचार और वाणिज्य के लिए

प्रेरक प्रसंग

ऋषिपाल सिंह
सहायक, विपणन

एक बार की बात है किसी राज्य में एक राजा था जिसकी केवल एक टांग और एक आँख थी। उस राज्य में सभी लोग खुशहाल थे क्यूंकी राजा बहुत बुद्धिमान और प्रतापी था। एक बार राजा के मन में विचार आया की क्यूँ ना खुद की एक तस्वीर बनवाई जाए। फिर क्या था देश विदेश से चित्रकारों को बुलवाया गया और एक से एक बड़े चित्रकार राजा के दरबार में आए। राजा ने उन सभी से हाथ जोड़कर आग्रह किया कि वे उसकी एक बहुत सुंदर तस्वीर बनाएँ जो राजमहल में लगाई जाएगी। सारे चित्रकार सोचने लगे कि राजा तो पहले से ही विकलांग है और फिर उसकी तस्वीर को बहुत सुंदर कैसे बनाया जा सकता है। यह तो संभव ही नहीं है और तस्वीर सुंदर नहीं बनी तो राजा गुस्सा होकर दंड देगा। यही सोचकर सारे चित्रकारों ने राजा कि तस्वीर बनाने से मना कर दिया। तभी पीछे से एक चित्रकार ने हाथ खड़ा किया और बोला कि मैं आपकी बहुत सुंदर तस्वीर बनाऊँगा जो आपको बहुत पसंद आएगी।

फिर चित्रकार जल्दी से राजा कि आज्ञा लेकर चित्र बनाने में जुट गया। काफी देर बाद उसने एक तस्वीर तैयार की जिसे देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ, और सारे चित्रकारों ने अपने दातों तले उंगली दबा ली।

उस चित्रकार ने राजा की ऐसी तस्वीर बनाई जिसमे राजा एक टांग को मोड़कर जमीन पर बैठा है और एक आँख बंद करके अपने शिकार पर निशाना लगा रहा है।

राजा यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ कि उस चित्रकार ने राजा की कमजोरियों को छिपाकर कितनी चतुराई से एक सुंदर तस्वीर बनाई है। राजा ने उसे ढेर सारा इनाम दिया ।

क्यूँ ना हम भी दूसरों की कमियों को छुपाएँ, उन्हें नज़रअंदाज़ करें और अच्छाइयों पर ध्यान दें। आजकल देखा जाता है कि लोग एक दूसरे की कमियाँ बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं चाहे हममे खुद कितनी भी बुराइयाँ हों लेकिन हम हमेशा दूसरों की बुराइयों पर ही ध्यान देते हैं कि अमुक आदमी ऐसा है, वो ऐसा है।

सोचिए अगर हम भी उस चित्रकार की तरह दूसरों की कमियों पर पर्दा डालें, उन्हें नज़रअंदाज़ करें तो धीरे धीरे सारी दुनियाँ से बुराइयाँ ही खत्म हो जाएगी और रह जाएगी सिर्फ अच्छाईयां।

प्रकृति की अनुपम देन : पीपल

कुलभूषण
वरिष्ठ सहायक (विशेष श्रेणी),
निगमित कार्यालय

भगवान् श्रीकृष्ण ने 'श्रीमद्भगवद्गीता' में कहा है कि मैं वृक्षों में अश्वत्थ (पीपल) वृक्ष हूँ। पीपल में तो कोई ऐसा फल भी नहीं लगता, जिसके कारण उसको वृक्षों में सर्वोच्च स्थान मिला। जरूर कोई गुण होगा जिसके कारण भगवान् कृष्ण ने वृक्षों में पीपल का वृक्ष होने की बात कही। पीपल के गुणों का अध्ययन करने पर पता लगा कि पर्यावरण को यह वृक्ष निरंतर शुद्ध करता रहता है। प्रकृति में यह अकेला वृक्ष है जो बराबर प्राणवायु' ऑक्सीजन' छोड़ता है। जबकि अन्य वृक्ष कार्बन डाइ–ऑक्साइड या नाइट्रोजन छोड़ते हैं। हमारा देश गाँवों में बसा हैं। गाँवों में प्रत्येक घर तथा मंदिर के पास आपको प्रायः एक पीपल का वृक्ष तथा एक नीम का वृक्ष मिल जाएगा। पीपल पर्यावरण को शुद्ध करता है तथा नीम हमारा गृह चिकित्सक है। नीम से हमारी कितनी ही व्याधियाँ दूर होती हैं। आज पर्यावरण को शुद्ध रखना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हिन्दुओं में पीपल, तुलसी, सूर्य, बेल आदि की पूजा की जाती है, क्योंकि उनका हमारे जीवन में अत्यधिक उपकार है। अतः उनकी पूजा कर उनके प्रति हम अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। बिजली कंपनी तो अपना बिजली का बिल देगी, लेकिन सूर्य ने कभी अपना बिल नहीं भेजा है। अतः हमारे जीवन में जिन प्राकृतिक तत्त्वों का अत्यधिक उपकार है, उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रदर्शित करना हमारा नैतिक दायित्व है।

भगवान् बुद्ध को गया में पीपल के वृक्ष के नीचे की ज्ञान प्राप्त हुआ। पीपल के वृक्ष के नीचे आप एकाग्रचित होकर बैठकर देखें तो पत्तों के हिलने की कर्णप्रिय आवाज आपकी एकाग्रचित्तत में सहायक होगी। पीपल से निरंतर ऑक्सीजन का निकलना तथा पत्तों की कर्णप्रिय आवाज हमारे चित्त की साधना में साधक बनती है।

हाथी कया खाता है– अधिकतर पीपल के पत्ते। हाथी दुनिया का सबसे बड़े आकारवाला पशु है। उसमें ताकत भी प्रायः अन्य जानवरों की अपेक्षा अधिक है। इसका अर्थ यह हुआ कि पीपल के गुणों में आकार भी है तथा ताकत भी है। पीपल में जरूर कोई ऐसा गुण होगा जिसके कारण हाथी को आकार तथा शक्ति दोनों ही मिली। ऐसे वृहद् आकार एवं शक्तिवाले हाथी की गरदन ही काटकर गणेशजी को क्यों लगाई गई ? गणेशजी महाराज हमारे शास्त्रों के अनुसार बुद्धि–विवेक के प्रदाता, ऋद्धि–सिद्धि के दाता तथा विध्नहर्ता के रूप में वर्णित हैं। हम यात्रा या कोई मंगल कार्य गणेशजी का नाम लेकर ही प्रारंभ करते हैं। हम पूजा का प्रारंभ भी गणेश–पूजन से करते हैं। चूँकि गणेशजी के ऊपर हाथी का सिर काटकर लगाया गया है, अतः हाथी में बुद्धि–विवेक अधिक होगा, ऐसा प्रतीत होता है।

भारतीय जड़ी–बूटियाँ अपने गुणों में अद्भुत हैं। इन जड़ी–बूटियों एवं पेड़–पौधों में परमात्मा ने दिव्य शक्तियाँ भर दी हैं। भारतीय वन–संपदा के गुणों और रहस्यों को जानकर मनुष्य आश्चर्यचकित हो जाता है। भारतीय जड़ी–बूटियों से मनुष्य का कायाकल्प हो सकता है, खोया हुआ स्वास्थ्य एवं यौवन पुनः लौट सकता है, भयंकर–से–भयंकर रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है, आयु को लंबा किया जा सकता है। आवश्यकता है इनके गुणों का मनन–चिंतन कर इनके उचित उपयोग की।

आम आदमी पीपल को पानी चढ़ाकर, सिर नवाकर या वृक्ष के चारों ओर सूत लपेटकर ही समझ लेते हैं कि पीपल देवता को प्रसन्न कर दिया। वे यह भूल जाते हैं कि पीपल का लाभ उसके सेवन से मिलेगा, केवल पूजन से नहीं। पूजा तो हमारा कृतज्ञता–ज्ञापन है, लेकिन उसका लाभ लेने के लिए उसका सेवन एवं उपयोग आवश्यक है। औषधि का गुण गाने से या पूजन से लाभ मिलनेवाला नहीं, जब तक हम उसका सेवन न करें। पीपल की पूजा आदि करने से थोड़ी देर के लिए पीपल के सान्निध्य में रहने से उसकी प्राणवायु (ऑक्सीजन) के संपर्क में रहते हैं और उसका लाभ मिलता है। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्रों में पीपल के वृक्ष को काटने का निषेध है। अगर कहीं काटना ही पड़ा तो उसकी अलग से विधि बताई गई। यह शास्त्रीय व्यवस्था इसलिए दी गई कि हम इन वृक्षों के प्रति कृतध्न न हों।

'अथर्ववेद' कहता है कि जहाँ पीपल का वृक्ष होता है वहाँ

ज्ञानी–ध्यानी लोग यानी प्रबुद्ध लोग रहते हैं। अतः पीपल ज्ञानवान् बनाने में भी सहायक है। पीपल में फूल नहीं लगते, सीधे फल लगते हैं। इसीलिए पीपल का एक नाम 'गुह्य पुष्पक' है। पीपल घनी छाँव देता है, स्वस्थ रखता है, सौ रोगों को दूर करता है। कोई भी प्राणी इसके नीचे आकर सुख की साँस ले सकता है। पीपल की छाँव और इसके पत्तों से छनी हुई हवा मस्तिष्क को चेतनता तथा ताजगी देती है। पीपल केवल निरोग ही नहीं रखता, दीर्घायु भी देता है। यह वृक्ष खुद भी लंबी आयु का है। पक्षी इसके फल खाकर जहाँ भी जाकर बीट कर देते हैं। उसमे मौजूद पीपल के बीज बिना किसी सहायता के उग जाते हैं। पीपल के पंचा. ंग (जड़,डंठल, छाल, फल तथा शाखा) का यथोचित सेवन अत्यंत लाभप्रद है।

पीपल के पेड़ में यह सबसे बड़ी विशेषता है कि अंतरिक्ष एवं पृथ्वी के बीच की सभी विषैली गैसों को शुद्ध करके यह वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ता है। दमा एवं तपेदिक के रोगि. यों को पीपल तले रहने की सलाह दी जाती है। पीपल का पेड़ कितना ही सघन क्यों न हो जाए, सूर्य की किरणों को ठंडा करके धरती तक आने देता है। पीपल तले दिन में कभी अँधेरा नहीं रहता।

वेद में पीपल को अमृतमय माना गया है।'अमृतस्य चक्षणम्' अर्थात् पीपल का विधिवत् सेवन करने से अमृत की प्राप्ति होती है। जहाँ पीपल होता है वहाँ शिवलिंग की स्थापना की जाती है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। विद्वान् कहते हैं कि पीपल एवं शिव की तरह सभी मनुष्यों को समाज एवं राष्ट्र के लिए कल्याणकारी एवं उपयोगी होना चाहिए। वेद में लिखा है कि गरमी में पेड़ पर उगने वाले पीपल का सेवन करने से पुरूष (पिता बनने का बल) आता है। वेद में लिखा है कि 'देवाः कुष्ठमवन्च' अर्थात् कुष्ठ (आलस्य, चर्म. विकार और फोड़े–फुंसी) से मुक्ति के लिए पीपल की उपासना यानी पीपल तले आसन लगाना और पीपल का सेवन करना चाहिए। वेद के कथनानुसार' पुत्रस्य वेदनं तत्स्त्री एवा भरामसी'–अर्थात् स्त्रियों द्वारा पीपल का सेवन करने से उनकी गोद भर आती है।

पीपल कर्मयोग का ज्ञान देता है। अकर्मण्य एवं निकम्म बैठना पीपल को रास नहीं आता। निरंतर जीवंत कर्मठ रहना पीपल का स्वभाव है। पीपल के पत्ते तब भी हिलते रहते हैं जब और पेड़ों के पत्ते हिलते नहीं। इसी कारण पीपल का एक नाम'चल–पत्र' है, अर्थात् जिसके पत्ते लगातार जीवन स्पंदन से छलकते हैं एवं वायु में तरंगित होते हैं। पीपल के पत्ते, उनका रस, को। पलें और नर्म शाखाएँ घोंट– पीसकर सेवन करने से तुरंत निरोग करते हैं। ये हलके होते हैं एवं सब मौसम में सबके लिए अनुकूल हैं। नवजात की वृद्धि तक के लिए पीपल हितकारी है। पीपल तो रावण ने भी लंका में लगवाए थे। रावण महापंडित एवं चारों वेदों का प्रकांड विद्वान् था। प्राणवायु (ऑक्सीजन) आज भी रोगियों को अस्पतालों में दी जाती है। पीपल तो है ही ऑक्सीजन का सिलेंडर। साँस, दमा, तपेदिक, ब्रोंकाइटिस ओर डिफ्थीरिया के रोगियों के लिए पीपल प्रकृति–प्रदत्त अद्भुत वरदान है। रात को सब पेड़ घातक वायु (नाइट्रोजन) छोड़ते हैं मगर पीपल दिन–रात ऑक्सीजन छोड़ता है। यूनानी चिकित्सा – पद्धति ने भी पीपल के महत्व को अपने ग्रंथों में उद्धृत किया है। पीपल के किस अंग यानि जड़, छाल, पत्तें, फल डंठल का किस विधि से, किस रोग में प्रयोग करें, इसका उल्लेख आयुर्वेद के ग्रंथों में मिलेगा। पीपल का लाभ अनेकानेक बीमारियों में मिलता है। सब बीमारियों की सूची काफी लंबी हो जाएगी। हमें आवश्यकता है पूजन से अधिक सेवन की।

आर्थिक विकास एवं चुनौतियाँ

पवन कुमार
परिचालक श्रेणी – II, रसायनी यूनिट (विशेष श्रेणी),
निगमित कार्यालय

विगत दशकों में भारत का आर्थिक विकास उत्साहवर्द्धक रहा है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, पी.पी.पी. (परचेजिंग पावर पैरिटी) के आधार पर वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में भारत की भागीदारी 6.4% है और इस आधार पर आज हमारा देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, किन्तु अभी भी यह विश्व में उस स्थान को प्राप्त नहीं कर सका है, जिसका यह वास्तव में हकदार है। इसका कारण है–देश में समस्याओं का अम्बार लगा होना, जिनका समाधान एक कठिन चुनौती बनकर हमारे सामने खड़ा है।

देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्व. लालबहादुर शास्त्री का भी मानना था कि बिना इन समस्याओं का समाधान किए देश का आर्थिक विकास सम्भव नहीं है। उन्होंने कहा भी था–'' आर्थिक मुद्दे हमारे लिए सबसे जरूरी हैं और यह बेहद महत्त्वपूर्ण है कि हम अपने सबसे बड़े दुश्मन गरीबी और बेरोजगारी से लड़ें।'' जनसंख्या वृद्धि, गरीबी, बेरोजगारी,आर्थिक विषमता, भष्टाचार, नारी–शोषण, सामाजिक शोषण, अशिक्षा, औद्योगीकरण की मन्द प्रक्रिया इत्यादि भारत के आर्थिक विकास के समक्ष मुख्य चुनौतियाँ हैं:

- जनसंख्या वृद्धि जनसंखया वृद्धि हमारे देश के आर्थिक विकास के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती तो ही, साथ ही बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में रोजगार के अवसर सृजित नहीं होने के कारण बेरोजगारी एवं गरीबी में वृद्धि होती है, जो आगे अनेक सामा. जिक समस्याओं एवं बुराइयों की जड़ बनती है। जनसंख्या तो बढ़ती है, किन्तु उस अनुपात में हमारे संसाधनों में वृद्धि नहीं हो पाती, जिसके फलस्वरूप सीमित संसाधनों का बँटवारा हमें पहले के मुकाबले अधिक लोगों के साथ करना पड़ता है नतीजतन हमारा आर्थिक विकास धीमा पड़ जाता है।

- गरीबी गरीबी अथवा निर्धनता उस स्थिति को कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ रहता है। गरीबी के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं इसके विकास में अनेक प्रकार की समस्याएँ जन्म लेती हैं। चोरी, अपहरण, हत्या, डकैती, नशाखोरी, वेश्यावृत्ति जैसी बुराइयों की जड़ में कहीं–न–कहीं गरीबी ही है। भारत के करोड़ों लोग अब भी घोर गरीबी की स्थिति में जीवन जीने को विवश हैं।

- बेरोजगारी भारत के आर्थिक विकास में बेरोजगारी भी एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने है। बेरोजगारी के कारण देश के संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पाता, कुपरिणामरूवरूप देश के आर्थिक विकास को समुचित गति नहीं मिल पाती।

- आर्थिक विषमता भारत की यह अजीब बिडम्बना है कि यहाँ एक ओर ऐसे धनकुबेरों की कमी नहीं है, जिनके पास अकूत सम्पत्ति है, वहीं दूसरी ओर ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है, जिनके लिए दो वक्त की रोटी भी हासिल नहीं है। आर्थिक विषमता की यह स्थिति भारत के आर्थिक विकास में बहुत बड़ी बाधा है।

- भष्टाचार भष्टाचार आज की तारिख में आर्थिक विकास में सबसे बड़ी बाधा है। कुछ लोग कानूनों की अवहेलना करके अपना उल्लू सीधा करते हुए भष्ट्राचार को बढ़ावा देते हैं। इसकी वजह से जहाँ लोगों का नैतिक एवं चारित्रिक पतन हुआ है, वहीं दूसरी ओर देश को आर्थिक क्षति भी उठानी पड़ी है।

- नारी–शोषण हमारे देश का यह दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ पूर्व में स्त्री शिक्षा पर बल नहीं दिया जाता था। यहाँ की स्त्रियों को चहारदीवारी तक ही सीमित रखा जाता था। उनका शोषण किया जाता था। आज भी इस'आधी आबादी' में से कुछ की

स्थिति ही ठीक है, बाकी या तो घर की देखभाल में लगी रही हैं। या फिर अशिक्षा या अन्य गलत परंपरा जैसे कारणों से किसी कार्य में संलग्न नहीं, जिसके कारण देश का आर्थिक विकास प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है।

- सामाजिक शोषण धनिक वर्ग द्वारा गरीबों का शोषण, उनकी मजबूरी का फायदा उठाना ही सामाजिक शोषण है। यदि मजदूरों का शोषण किया जाएगा, उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जाएगी, तो भला कैसे कोई देश आर्थिक विकास कर सकता है।

- अशिक्षा हम चाहे जितने दावे कर लें, लेकिन सच्चाई यही है कि भारत की लगभग 30% आबादी आज भी अशिक्षित है। इनमें पुरूषों की तुलना में महिलाओं की स्थिति और भी चिन्ताजनक है। आज भी लगभग 40% महिलाएँ अशिक्षित हैं। इतनी बड़ी आबादी के अशिक्षित होने सक देश का आर्थिक विकास गम्भीर रूप से बाधित होता है।

- औद्योगीकरण की मन्द प्रक्रिया भारत की जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है, उसके यथोचित पोषण के लिए औद्योगीकरण की प्रक्रिया में जिस तीव्रता की आवश्यकता थी, उसे हम आज तक प्राप्त कर पाने में विफल रहे हैं, फलस्वरूप आर्थिक विकास की गति धीमी हुई है।

देश एवं समाज के आर्थिक विकास के लिए इन चुनौतियों का शीघ्र समाधान आवश्यक है और इसका उत्तरदायित्व मात्र राजनेताओं अथवा प्रशासनिक अधिकारियों का ही नहीं है, बल्कि इसके लिए संयुक्त प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। देशभर में शिक्षा का व्यापक स्तर पर प्रचार–प्रसार कर एवं यहाँ की जनता द्वारा 'छोटा परिवार, सुखी परिवार' का आर्दश अपनाकर बढ़ती जनसंख्या पर काबू पाया जा सकता है। साक्षरता दर को ऊँचा उठाकर, कुटीर उद्योग आदि का विस्तार कर रोजगार के नए–नए क्षेत्र तलाशे जाने चाहिए

आर्थिक विषमता को दूर करने हेतु नई नीतियों का गठन किया जाना चाहिए। नारियों को अधिकाधिक संख्या में शिक्षित कर उन्हें रोजगार से जोड़ा जाना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिण्ट मीडिया को इन सुधार कार्यों में खुलकर सहयोग करने की आवश्यकता है। समाज सुधारकों, लेखकों, कलाकारों एवं अन्य बुद्धिजीवी बर्गों को भी जन–जन से जुड़कर लोगों में नई चेतना का संचार करना चाहिए, ताकि देश में सामाजिक क्रान्ति लाई जा सके। नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का भी कहना है–''सामाजिक परिवर्तन के बिना आर्थिक विकास सम्भव नहीं है।''

वसुधैव कुटुम्बकम्

गौरव अधिकारी
बाह्य साधनः सहायक (मा.सं. एवं प्र.),
निगमित कार्यालय

साहित्यिक रूप से संस्कृत एक समृद्ध भाषा है। इसी भाषा से महान् विचार की उत्पत्ति हुई है– 'वसुधैव कुटुम्बकम्'। वसुधा का अर्थ है– पृथ्वी और कुटुम्ब का अर्थ है–परिवार, कुनबा। इस प्रकार, 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का अर्थ हुआ– पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है और इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्य और जीव–जन्तु एक ही परिवार का हिस्सा हैं। यद्यपि यह एक प्राचीन अवधारणा है, किन्तु आज यह पहले से भी अधिक प्रासंगिक है ।

हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज की सबसे प्रथम कड़ी होता है–परिवार। परिवार लोगों के एक ऐसे समूह का नाम है, जो विभिन्न रिश्ते–नातों के कारण भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें कभी लड़ाई–झगड़ा नहीं होता या वैचारिक मतभेद नहीं होते, परन्तु इन सबके बावजूद वे एक– दूसरे के दुःख–सुख के साथी होते हैं। इसी अपनेपन की प्रबल भावना होने के कारण परिवार सभी लोगों की पहली प्राथमिकता होता है। एक परिवार के सदस्य एक–दूसरे को पीछे धकेलकर नहीं वरन् एक–दूसरे का सहारा बनते हुए आगे बढ़ते हैं। परिवार के इसी रूप को जब वैश्विक स्तर पर निर्मित किया जाए, तो वह 'वसुधैव कुटुम्बकम् कहलाता है।

मनुष्य जाति इस धरती पर उच्चतम विकास करने वाली जाती है। बौद्धिक रूप से वह अन्य सभी जीवों से श्रेष्ठ है। अपनी इसी बौद्धिक क्षमता के कारण वह पूरी पृथ्वी की स्वामी है और पृथ्वी के अधिकांश भू'भाग पर उसका निवास है। शारीरिक बनावट के आधार पर सभी मनुष्य एक जैसे हैं, उनकी आवश्यकताएँ भी लगभग एक जैसी ही हैं और अलग–अलग स्थानों पर रहने के बावजूद उनकी भावनाओं में भी काफी हद तक समानता है।

बावजूद इसके वह बँटा हुआ है और इसी कारण उसने भू–खड़ों को भी बाँट लिया है। पृथ्वी महाद्वीप देशों में और देश राज्यों में विभक्त हैं। कहने को यह धरती का विभाजन है और यह आवश्यक भी लगता है, परन्तु प्रत्येक स्तर के विभाजन के साथ ही मनुष्य की संवेदनाएँ भी बँटी हैं। आज एक समान व्यक्ति की प्राथमिकता का क्रम परिवार, मोहल्ले से शुरू होता है और उसका अन्त देश या राष्ट्र पर हो जाता है। देखा जाए तो आधुनिक समय में 'वसुधैव कुटुम्बकम्' ग्रन्थों–पुराणों में वर्णित एक अवधारणा बनकर रह गई है, वास्तव में यह कहीं अस्तित्व में नजर नहीं आती।

मूलतः 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की अवधारणा की संकल्पना भारवर्ष के प्राचीन ऋषि–मुनियों द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य था–पृथ्वी पर मानवता का विकास। इसके माध्यम से उन्होंने यह सन्देश दिया कि सभी मनुष्य समान है और सभी का कर्त्तव्य है कि वे परस्पर एक–दूसरे के विकास में सहायक बनें, जिसे मानवता फलती–फूलती रहे। भारतवासियों ने इसे सहर्ष अपनाया, यही कारण है कि रामायण में श्रीराम पूरी पृथ्वी को इक्ष्वाकु वंशी राजाओं के अधीन बताते हैं।

'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना से ओत–प्रोत होने के कारण ही, कालान्तर में भारत ने हर जाति और धर्म के लोगों को शरण दी और उन्हें अपनाया, लेकिन जब सोलहवीं–सत्रहवीं शताब्दी में यूरोप में औद्योगीकरण का आरम्भ हुआ और यूरोपीय देशों ने अपने उपनिवेश बनाने शुरू कर दिए, तब दुनियाभर में 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना का ह्रास हुआ तथा एक नई अवधारणा 'राष्ट्रवाद' का जन्म हुआ, जो राष्ट्र तक सीमित थी।

आज भी दुनिया में राष्ट्रवाद हावी है। इसमें व्यक्ति केवल राष्ट्र के बारे में सोचते है, सम्पूर्ण मानवता के बारे में नहीं। यही कारण है कि दुनिया को दो विश्वयुद्धों का सामना करना पड़ा, जिनमें करोड़ों लोग मारे गए। आज मनुष्य धर्म, जाति, भाषा, रंग, संस्कृति आदि के नाम पर इतना बँट चुका है कि वह सभी के शान्तिपूर्ण सह– अस्तित्व के विचार को ही भूल चुका है। जगह–जगह पर हो रही हिंसा, युद्ध और वैमनस्य इसका प्रमाण है।

आज पूरा विश्व अलग–अलग समूहों में बँटा हुआ है, जो अपने–अपने अधिकारों और उद्देश्यों के प्रति सजग है, परन्तु देखा जाए तो सबका उद्देश्य विकास करना ही है। अतः आज सभी को वैर–भाव भुलाकर ' वसुधैव कुटुम्बकम्' की संस्कृति को अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि सबके साथ में ही सबका विकास निहित है। हालाँकि कुछ राष्ट्र इस बात को समझते हुए परस्पर सहयोग बढ़ाने लगे हैं। परन्तु अभी इस दिशा में बहुत काम करना बाकी है। जिस दिन पृथ्वी के सभी लोग अपने सारे विभेद भुलाकर एक परिवार की तरह आचरण करने लगेंगे, उसी दिन सच्ची मानवता का उदय होगा और 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का सपना साकार होगा। ●

भारत की बढ़ती वैश्विक ख्याति

अरविंद कुमार
वरिष्ठ निजी सचिव, निगमित कार्यालय

वर्तमान समय में हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भारत विश्व की एक महत्त्वपूर्ण शक्ति बन चुका है। भारतवर्ष के लिए आर्थिक रूप से विकसित देशों से आगे निकलना इतना आसान न था, क्योंकि यह देश सैकड़ों वर्षों तक गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा रहता था। भारत के विश्व शक्ति बनने का मुख्य कारण उदारीकरण एवं निजीकरण की नीति को माना जा सकता है। हलाँकि भारत ने इस नीति को समग्र रूप से अपनाने में कुछ अधिक समय लिया, लेकिन आज वह दूसरे बिकासशील एवं बिकसित देशों से अधिक आगे इसलिए भी निकल सका है, क्योंकि इसने आर्थिक विकास के क्षेत्र में अपनी विशाल जनसंख्या को एक कारगर हथियार की तरह इस्तेमाल किया। आज अधिक आबादी से तात्पर्य अधिक–से–अधिक उपभोक्ता वस्तुओं का बाजार तथा उत्पादन प्रक्रिया में कम मजदूरी लागत से है जिसे आर्थिक सफलता का एक मजबूत स्तम्भ कहा जा सकता है।

लगभग वर्ष 1990 तक भारत विदेशी सहायता के लिए फैलाए दिखता था। भारत को तीसरी दुनिया का देश समझा जाता था और अन्तराष्ट्रीय समझौतों में अन्य विकासशील देश भारत को आर्थिक रोल मॉडल की बजाय केवल दस्तावेज तैयार करने वाले विशेषज्ञ के रूप में देखते थे। ब्राजील जैसे कई विकासशील देश विकास की दौड़ में भारत को पीछे छोड़ रहे थे, लेकिन वर्ष 1991 में अपनाई गई उदारीकरण एवं निजीकरण की नीति ने देश की आर्थिक स्थिति में आमूल–चाल परिवर्तन ला दिया। इसी नीति का परिणाम था कि भारत की विशाल जनसंख्या, जो अभी तक बोझ लग रही थी, अब उसके लिए महत्त्वपूर्ण बन गई। अब भारत को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में देखा जाता है। इसे तथाकथित भावी विश्व शक्ति चीन का सबसे ताकतवर प्रतिद्वन्द्वी और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का भावी स्थायी सदस्य समझा जाता है।

आज सवा अरब की आबादी के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश है। भारत ने समयानुकूल अपनी नीतियों में परिवर्तन करके निरन्तर उच्च आर्थिक विकास दर को बनाए रखा और अधिकांश सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की। वास्तव में, इस समय भारत एक ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है, जिससे विश्व के सभी देश किसी–न–किसी रूप में प्रभावित हो रहे हैं।

वर्ष 1974 में पोखरण में भारत द्वारा पहला परमाणु परीक्षण किए जाने का विश्व के विकसित देशों ने काफी विरोध किया था। फलस्वरूप हमारे देश को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, किन्तु वर्ष 2008 में हमारे देश और अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन अर्थात् चीन को छोड़कर पी–5 के सभी सदस्य देशों के मध्य हुए असैन्य परमाणु समझौतो से यह स्पस्ट हो जाता है कि वैश्विक पटल पर हमारी अनदेखी नहीं की जा सकती।

अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद श्री बराक ओबामा ने अपने कार्यकाल के पहले राजकीय अतिथि के रूप में 24 नवम्बर, 2009 को भारत के प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिह का स्वागत शानदार स्वागत करते हुए कहा था कि भारत एक परमाणु शक्ति है। वास्तव में, यह भारत के छठे परमाणु सम्पन्न राष्ट्र के तौर पर मिली अनौपचारिक मान्यता ही थी। यह अनायास नहीं है कि विश्व की एकमात्र महाशक्ति के रूप में अभी तक अपनी पहचान बनाए रखने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति श्री ओबामा ने नवम्बर, 2010 की अपनी भारत यात्रा के दौरान स्पष्ट रूप से कहा कि भारत अब उभरती हुई शक्ति नहीं, बल्कि उभर चुकी शक्ति बन गया है। क्रय–शक्ति क्षमता के मामले में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ भारत सूचना प्रद्योगिकी, दूरसंचार और व्यापार आउटसोर्सिंग के क्षेत्र में एक वैश्विक शक्ति एवं प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरता है। भारत एक महत्त्वपूर्ण विश्व शक्ति के रूप में स्थापित होने की दिशा में अग्रसर है।

वर्ष 2010 में भारत–अमेरिका के बीच सम्पन्न परमाणु समझौता वास्तव में भारत की बढ़ती वैश्विक व्यक्ति पर विश्व की महाशक्ति द्वारा लगाई मुहर थी। अमेरिका राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान लगभग 10 अरब डॉलर के जो व्यापारिक समझौते हुए

उससे अमेरिका में लगभग पचास हजार लोगों को रोजगार सृजित कराए गए। इसमें सबसे महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत अब विश्व की महाशक्ति के सामने याचक की भूमिका में नहीं, बल्कि बराबरी के स्तर पर खड़ा हो गया।

यह भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत–अमेरिका सम्बन्धों को 21वीं सदी के भविष्य से जोड़ते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि एशिया के नेतृत्व में भारत की अत्यधिक विशिष्ट भूमिका है। वर्ष 2010 में ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के पाँचों स्थायी सदस्यों–अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन एवं रूस के राष्ट्राध्यक्षों ने भारत का दौरा किया। इस दौरान कई तरह के द्विपक्षीय व्यापारिक एवं कारोबारी समझौते किए गए। ये समझौते इस बात के द्योतक हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में भारत की छवि एवं महत्त्व दोनों में गुणात्मक परिवर्तन आया है। फ्रांस के साथ 13 अरब डॉलर, अमेरिका के साथ 10 अरब डॉलर, चीन के साथ 16 अरब डॉलर और रूस एवं ब्रिटेन के साथ भी अरबों डॉलर के समझौते का होना, इस परिणाम था। इन समझौतों का आर्थिक महत्त्व होने के साथ–साथ कूटनीतिक महत्त्व भी अत्यधिक है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में स्थायी सदस्यता के लिए जोरदार प्रयास कर रहा है और इस रणनीति में उसे चीन को छोड़कर विश्व की प्रमुख शक्तियों का समर्थन भी मिल रहा है।

वर्ष 2014 में केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के पश्चात् सितम्बर में भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य असैन्य परमाणु समझौते हुए। इसी माह चीनी राष्ट्रपति श्री जिन पिंग की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य, मीडिया, रेलवे, कस्टम, अन्तरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्षेत्रीय विकास आदि से सम्बन्धित 16 महत्त्वपूर्ण समझौते हुए।

हमारे नवर्विाचित प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चीन राष्ट्रपति के सामने सीमा मुद्दे पर खुलकर बात की और इस विवाद को जल्द सुलजाने का सुझाव दिया, दूसरी ओर अक्टूबर में वियतनाम के प्रधानमन्त्री न्युन तंग जुंग के भारत आने पर चीन की आपत्तियों को दरकिनार कर हमरी देश ने दक्षिण चीन सागर में अपनी उपस्थिति बढ़ाने का निर्णय लेते हुए वियतनाम के साथ वहाँ हो गैस ब्लॉक अन्वेषण सम्बन्धी समझौते किए। अमेरिकी राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा के आमन्त्रण पर सितम्बर, 2014 में हमारे प्रधानमन्त्री अमेरिका गए। वहाँ श्री ओमाबा ने गुजराती में 'केम छो मिस्टर पीएम' कहकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। श्री मोदी की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत–अमेरिका असैन्य परमाणु करार को आगे बढ़ाने हेतु अन्तर एजेंसी सम्पर्क समूह गठित करने का निर्णय किया।

हमारे प्रधानमन्त्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति से महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं अन्जर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात की, जिसमें व्यापार, निवेश, आर्थिक सहयोग एवं सुरक्षा सम्मिलित हैं। उन्होंने विश्व व्यापार सरलीकरण का समर्थन करते हुए भारत की खाद्य सुरक्षा चिन्ताओं का समाधान किए जाने की चर्चा भी की । श्री ओबामा ने इस भेंट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा–''मैं भारत के प्रधानमंत्री के न सिर्फ देश के गरीबों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने एवं अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के प्रयासों, बल्कि उनके इस दृढ़ विचार से भी प्रभावित हुआ कि वह अपने देश को ऐसी बड़ी शक्ति बनाना चाहते हैं, जो पूरे विश्व में शान्ति व सुरक्षा लाने में सहयोग कर सके।''

निःसन्देह आज चीन अथवा अमेरिका जैसी विश्व शक्तियाँ विश्व पटल पर भारत के वर्चस्व को नकार नहीं सकतीं और उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु वृहत भारतीय अर्थव्यवस्था का सहारा चाहिए। आशा है देश के आर्थिक और सामरिक हितों को सर्वाधिक महत्त्व देने वाले श्री नरेन्द्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिलने से भारत आने वाले समय में विश्व राजनीतिक पटल और भी मजबूती से अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगा।

आज भारत को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और बी पी ओ के क्षेत्र में अत्यधिक ख्याति प्राप्त है। इससे अमेरिकी कामगारों और विश्लेषकों के मन में भय पैदा हो गया है। भारतीय औद्योगिक घराने अन्तर्राष्ट्रीय कारोबारी कंपनियों को खरीदकर दुनिया के बड़े कारोबारी समूह बन गए हैं। लक्ष्मी निवास मित्तल विश्व के सबसे बड़े स्टील उत्पादक हैं, तो मुकेश अंबानी का नाम विश्व के सर्वोच्च पाँच धनी व्यक्तियों में लगभग प्रत्येक वर्ष शामिल रहता है। टाटा स्टील ने अपने आकार से लभग छः गुना बड़ी कंपनी कोरस को खरीद लिया, तो टाटा मोटर्स ने विश्व प्रतिद्ध ब्रांड जुग आर लैंड रोवर को खरीदकर इसे फोर्ड एव ंबी एम डब्ल्यू की प्रतियोगिता में लाकर खड़ा कर दिया है।

जहाँ बिड़ला की कंपनी, 'नोविलिस' को खरीद वैश्विक एल्युमीनियम कंपनी बन गई, वहीं दूरसंचार कंपनी भारतीय एयरटेल 15 अफ्रीकी देशों में दूरसंचार सेवा प्रदान कर रही है। अफ्रीका की सबसे बड़ी खान, जांबिया की कोनकोला खान (जिसे कभी

बहुराष्ट्रीय एंग्लो–अमेरिकी कंपनी ने खरीदा था) को स्टरलाइट ने खरीद लिया। इनके अतिरिक्त टाइम्स ग्रुप, ओ एन जी सी, महिन्द्रा, एंड महिन्द्रा, रेनबैक्सी आदि सहित कइ भारतीय कंपनियों ने कई विदेशी अर्न्राष्ट्रीय कंपनियों का अधिग्रहण करके भारत की बढ़ती आर्थिक स्थिति को विश्व के सामने प्रदर्शित किया है। टाटा की नैनो कार ने वाहन उद्योग में भारत को दुनियाभर में लोकप्रिय एवं चर्चित बना दिया।

उधर, भारतीय मूल के विदेशी उद्योगपतियों ने भारत के बाहर रहकर भी भारत की प्रसिद्धि में वृद्धि ही की है। इन उद्योगप. तियों में अमर बोस, इन्दिरा नयी, अरूण सरीन, सबीर भाटिया, विनोद खोसला, गुरूराज देशपांडे आदि का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है। इसके साथ ही, सलमान रूश्दी (लेखक), अमर्त्य सेन (अर्थशास्त्री), झुम्पा लहरी (लेखिका), वेंकटरमन रामकृष्णन (नोबेल पुरस्कार विजेता, 2009) आदि भारतीय मूल के विदेशी नागरिक विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। इन सभी घटनाओं ने पश्चिम के साथ भारत के प्रौद्योगिकी संबन्धों को उलटकर रख दिया है। अमेरिका की लगभग सभी फॉर्च्यून 500 कंपनियों ने भारत में अपनी गतिविधियों की शुरूआत कर दी है, क्योंकि आज की परिस्थितियों में ये कंपनियाँ भारत जैसे बड़े बाजार में नहीं होने का जोखिम नहीं ले सकतीं।

वैश्विक पटल पर भारत की आर्थिक शक्ति को भविष्य में टक्कर देने की हैसियत यदि किसी में है, तो वह चीन है। भारत में लागू की गई उदारीकरण की नीति से लगभग एक दशक पहले ही 80 के दशक में चीन ने ओपन डोर पॉलिसी' अपनाई, जिसका लाभ चीन को भारत से पहले मिला। तब से आज तक चीन निरन्तर विदेशी निवेश का केन्द्र बना हुआ है, लेकिन तकनी. की क्षेत्र में सबसे आगे रहने वाले देश जापान का मानना है कि भारत चीन की अपेक्षा अधिक आगे बढ़ गया है, क्योंकि चीन की श्रम–लागत में अब अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हो रही है।

इसके अतिरिक्त पिछले कुछ समय से चीनी बाजार में अनिश्चितता का दौर भी प्रारंभ हो गया है, जिससे विदेशी कंपनियाँ चीन में निवेश करने से पहले सोचने लगी हैं। जापान बैक फॉर इंटरनेशनल को–ऑपरेशन का मानना है कि विदेशी निवेश के क्षेत्र में भारत एक सुदृढ़ स्तंभ बनकर उभरा है। आज भारत में निवेश के लिए वातावरण अधिक अनुकूल है। घरेलू बाजार अत्यन्त व्यापक होने के कारण ही व्यापार में पिछले दिनों आई आर्थिक मन्दी का भी भारत पर अधिक प्रभाव देखने को नहीं मिला।

अर्थशास्त्रियो का मानना है कि भारत ने सकल घरेलू उतपादन के अनुपात की दृष्टि से दूसरे देशों में निवेश करने के मामले में विश्व कीर्तिमान कायम किया हैं इससे पहले कम आय वाले किसी अन्य देश ने दुनिया को कभी इतना अधिक प्रभावित नहीं किया था। भारत के आर्थिक विकास से असके राजनीतिक प्रभाव में वृद्धि हुई है, इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय मंचों एवं वार्ताओं में भारत को नियमों में छूट की सुविधा प्राप्त हो जाती है और इसकी माँग को अनदेखा करना कठिन हो जाता है। इस दशक के अंत तक भारत निःसन्देह विकसित देशों के समूह में शामिल हो जाएगा और तब हम सब भारतवासी कवि मैथिलीशरण गुप्त की ये पंक्तियाँ फिर से सगर्व गा सकेंगे

भू–लोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला–स्थल कहाँ ?
फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगाजल जहाँ।
संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है ?
उसका कि जो ऋषिभूमि है, वह कौन ? भारतवर्ष ।।

भारत में शिक्षा का निजीकरण

सुशील काला
उप प्रबंधक (मा.सं. एवं प्र.),
निगमित कार्यालय

आजकल सरकारी प्रोत्साहन के कारण अर्थव्यवस्था के सभी घटकों में निजी क्षेत्र का वर्चस्व बढ़ रहा है। ऐसे में शिक्षा का क्षेत्र निजीकरण से प्रभावित हुए बिना कैसे रह सकता है। शिक्षा के निजीकरण का अर्थ है–शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के अतिरिक्त गैर–सरकारी भागीदारी। वैसे तो ब्रिटिशकाल से ही निजी संस्थाएँ शिक्षण–कार्य में संकग्न थीं, लेकिन स्वतंत्र भारत में उनकी भागीदारी में बहुत वृद्धि हुई है।

प्रारंभ में, भारतीय संविधान 'शिक्षा' विषय को राज्य सूची के अंतर्गत शामिल किया गया था, लेकिन बाद में केन्द्र सरकार ने यह अनुभव किया कि चूँकि शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए यह केन्द्र सरकार के लिए भी महत्त्व का विषय है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में एकरूपता लाने, विस्तार करने एवं इसमें केन्द्र सरकार की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 1976 में इसे संविधान के 42वें संशोधन द्वारा 'समवर्ती' सूची में शामिल किया गया।

स्वतंत्रता के पश्चात् जहाँ एक ओर हमारे पास संसाधनों का अभाव था, वहीं दूसरी ओर जनसंख्या में भी तीव्र गति से वृद्धि हुई। अतः एक बड़ी आबादी के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना सरकार के वश की बात नहीं थी, इसलिए भारत में शिक्षा में निजी क्षेत्र को बिना किसी अवरोध के प्रोत्साहन दिया गया। निजी क्षेत्र को शिक्षा की ओर आकर्षित करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए, जैसे–निजी संस्थानों को आर्थिक सहायता देना, उनके लिए अनुदान का प्रावधान करना, शैक्षणिक इमारत हेतु कम मूल्य पर भूमि उपलब्ध कराना आदि।

भारत में ऊपरी तौर पर शिक्षा को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है (I) स्कूली शिक्षा तथा (II) विश्वविद्यालयी शिक्षा या उच्च शिक्षा। आज इन दोनों ही क्षेत्रों में निजी संस्थानों की भागीदारी दृष्टिगोचर होती है। यही कारण है कि यहाँ सरकारी शिक्षा व्यवस्था के समानान्तर निजी शिक्षा प्रणाली भी संचालित है। शिक्षा के निजीकरण ने इस क्षेत्र के प्रसार में सकारात्मक योगदान दिया है।

शिक्षा के निजीकरण के कारण शिक्षा का प्रसार तेजी से हो रहा है। जिन लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल रहने के कारण किसी व्यावसायिक अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं मिला पाता, वे अधिक धन खर्च करके मनोवांछित शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह, शिक्षा के निजीकरण के कारण देश का धन सकारात्मक कार्यों में लग रहा है। नई शिक्षा संस्थाओं की स्थापना के कारण नवयुवकों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।

शिक्षण से संबंधित व्यवसायों को भी गति मिल रही है। पिछले कुछ वर्षों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। इतनी अधिक संख्या में प्रतिवर्ष सरकारी नौकरियों का सृजन कर पाना संभव नहीं। निजी संस्थाओं की अधिकता के कारण इन लोगों को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। इस तरह, शिक्षा के निजीकरण के कारण देश के आर्थिक विकास को भी गति मिल रही है।

यही नहीं शिक्षा के क्षेत्र में निजी भागीदारी से उत्पन्न प्रतिस्पर्द्धा के फलस्वरूप शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार भी हो रहा है। निजी शिक्षण संस्थानों में योग्य शिक्षकों को बेहतर वेतनमान पर भर्ती किए जाने से, शिक्षकों की दशा में सुधार के साथ–साथ शिक्षित लोगों के लिए रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो रहा हैं। इस तरह, शिक्षित लोगों को इसके जरिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराने एवं शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु शिक्षा में निजीकरण को बढ़ावा देना उचित है।

शिक्षा में निजीकरण से यदि कुछ लाभ हुए हैं, तो इसके नुकसान भी कम नहीं हैं। शिक्षा में निजीकरण के कारण स्थिति अब ऐसी हो चुकी कि इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए अनुदान एवं सरकारी सहायता के फलस्वरूप भारत में निजी शिक्षण संस्थाओं की बाढ़–सी आ गई है। इनमें से अधिकतर निजी शिक्षण संस्थाएँ

रेवड़ियों की तरह डिग्रियाँ बाँट रही हैं। जगह–जगह डीम्ड विश्वविद्याालय खुल रहे हैं।

शिक्षा आज व्यापार का रूप धारण कर चुकी है। शिक्षा के निजीकरण का लाभ निर्धन लोगों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि निजीकरण से शिक्षा महँगी हो गई है। शहरों के निजी विद्यालयों में प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के बच्चों से भी हजारों रूपये मासिक शुल्क लिया जा रहा है। आम आदमी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए इतने शुल्क को करने में अक्षम है।

शिक्षा के निजीकरण के कारण कोचिंग एवं ट्यूशन संस्कृति को बढ़ावा मिला है। बड़े–बड़े उद्योगपति भी शिक्षा में धन का निवेश कर रहे हैं। शिक्षा में धन के निवेश को अच्छा कहा जा सकता है, उनका उद्देश्य शिक्षा का विकास नही, बल्कि धन कमाना होता है, जिसके कारण कई अन्य समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। उद्योगपति धन का निवेश करने के बाद धन कमाना चाहते हैं, इसके लिए वे शिक्षकों एवं अभिभावकों को शोषण करते हैं।

शिक्षा के निजीकरण से भारत में निजी शिक्षण संस्थानों की बाढ़–सी आ गई है, किन्तु लाखों की संख्या में मौजूद इन निजी शिक्षण संस्थानों में से 90% संस्थान या तो शिक्षण की गुणवत्ता के पैमाने पर खरे नहीं उतरते या फिर उनके पास पर्याप्त मात्रा में शैक्षिक संसाधन नहीं हैं। इन सबके अतिरिक्त, निजीकरण के कारण फर्जी शिक्षण संस्थानों की संख्या भी दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो चिन्ता का विषय है।

इस तरह, निजी क्षेत्र में प्रबंधन की अक्षमता एवं मनमानी के कारण न तो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हो पा रही है और न ही गुणवत्ता के पैमाने पर ये शिक्षण संस्थान खरे उतर पा रहे हैं। इसके साथ ही निजी क्षेत्र के शैक्षिक संस्थानों द्वारा शोषण एवं गलत मार्गदर्शन के कारण लाखों विद्याालयों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। यही कारण है कि शिक्षा के निजीकरण के औचित्य पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

पहले धनी व्यक्तियों द्वारा शिक्षण संस्थानों की स्थापना सामाजिक सहयोग एवं उत्तरदायित्व निभाने के लिए की जाती थी। अब इसका उद्देश्य सामाजिक सहयोग न होकर धनार्जन हो गया है, इसलिए शिक्षा के निजीकरण से जो लाभ होना चाहिए, वह समुचित मात्रा में समाज को प्राप्त नहीं हो रहा है। यदि शिक्षा के निजीकरण में मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए एवं शिक्षकों की सेवा–शर्तों का संरक्षण सरकार द्वारा हो, तो शिक्षा के निजीकरण के लाभ वास्तविक रूप में मिल पाएँगे। शिक्षा की अनिवार्यता के दृष्टिकोण से इसके सार्वभौमीकरण की बात की जा रही है। इस कार्य में निजी सहभागिता अनिवार्य है, इसलिए शिक्षा का निजीकरण तो अनिवार्य है, किन्तु इसमें इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि शिक्षा के उद्देश्य बाधित न होने पाएँ।

विज्ञान : सृजन या विध्वंस

मनोहर लाल
वरिष्ठ सहायक (विशेष श्रेणी),
निगमित कार्यालय

विज्ञान ने मानव जीवन को सुखद व सुगम बना दिया है। पहले लंबी दूरी की यात्रा करना मनुष्य के लिए अत्यन्त कष्टदायी होता था। अब विज्ञान ने मनुष्य की हर प्रकार की यात्रा को सुखमय बना दिया है। सड़कों पर दौड़ती तेज रफ्तार की गाड़ियों, पानी में निर्बाध गति से चलते जहाजों और आकाश में हवा वेग से उड़ते वायुयानों के सहारे आज हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर काफी आसानी से और कम समय में जा सकता हैं। पहले मानव के पास मनोरंजन के अत्यन्त सीमित साधन थे, पर आज वह टेलीविजन और कम्प्यूटर के माध्यम से घर बैठे –बैठे न केवल अपना सम्पूर्ण मनोरंजन कर लेता है, बल्कि कुछ ही समय में दुनियाभर की जानकारियाँ भी जुटा लेता है।

इतना ही नहीं मनुष्य विज्ञान की सहायता से शारीरिक कमजोरियों एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पार पाने में अब पहले से कहीं अधिक सक्षम हो गया है। चिकित्सा क्षेत्र में हुई वैज्ञानिक प्रगति से अब ऐसी असाध्य बीमारियों का इलाज भी संभव है, जिन्हें पहले लाइलाज समझा जाता था। आज विज्ञान के माध्यम से कैंसर जैसी घातक बीमारी की पहचान कर उसे प्रारंभिक स्तर पर समाप्त करने में भी कामयाबी मिली है। आज हर हाथ में मोबाइल का दिखना भी विज्ञान के वरदान का प्रत्यक्ष उदाहरण है।

'' आज की दुनिया विचित्र, नवीन
प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरूष आसीन ।
हैं बँधे नर के करों में वारि, विद्युत, भाप,
हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप,
है नहीं बाकी कहीं व्यवधान,
लाँघ सकता नर, सरित गिरि सिन्धु एक समान।''

राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' रचित इस काव्यांश में विज्ञान की उपलब्धियों को बखान किया गया है और सचमुच हमारे आस–पास की मानव निर्मित अधिकार चीजें विज्ञान के बल पर ही आकार पाने में सफल हो पाई हैं। सड़क पर चलती साइकिल हो या दूर गगन को भेदता हवाई जहाज, सभी विज्ञान के ही आविष्कार हैं, किन्तु सिक्के के दो पहलू की तरह विज्ञान के भी दो रूप हैं– सृजनात्मक एवं विध्वंसात्मक और यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह इसे क्या माने ! निःसन्देह विज्ञान से हमें लाभ हुआ है, तो इसके दुष्परिणाम भी हमें ही भुगतने पड़े हैं। इस प्रकार कई मामलों में यह वरदान साबित हुआ है, तो कई में अभिशाप! आइए, विज्ञान के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों पर विचार करते हैं।

कुछ लोग कहते हैं कि विज्ञान ने आदमी को मशीन बना दिया है। यह कहना उचित नहीं है। मशीनों का आविष्कार मनुष्य ने अपनी सुख–सुविधा के लिए किया है। यदि मशीनें नहीं होती, तो मनुष्य इतनी तेजी से प्रगति नहीं कर पाता एवं उसका तमाम तरह के झंझावातों के बीच ही गुम होकर रह जाता। यदि आज उसे भौतिक सुख–सुविधाएँ प्राप्त हो रही हैं, तो उसमें मशीनों का योगदान प्रमुख है।

मशीनों को कार्यान्वित करने के लिए मनुष्य को उन्हें परिचालित करना पड़ता है, इस कार्य में उसे अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। यदि कोई व्यक्ति मशीन के बिना कार्य करे, तो उसे अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ेगी। इस दृष्टि से देखा जाए, तो मशीनों के कारण मनुष्य का जीवन यन्त्रवत् नहीं हुआ है, बल्कि उसके लिए हर प्रकार का कार्य करना सरल हो गया है। यह विज्ञान का ही वरदान है अब डेबिट–कार्ड के रूप में लोगों के पर्स में प्लास्टिक मनी आ गई है एवं वह जहाँ भी चाहे रुपये निकाल सकता है। रुपये निकालने के लिए अब बैंकों में घंटी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है।

कहते हैं दुनिया की किसी भी चीज का दुरुपयोग बुरा होता है।

विज्ञान के मामलों में भी ऐसा ही है। विज्ञान का आदि दुरुपयोग किया जाए, तो इसका परिणाम भी बुरा ही होगा। इस दृष्टिकोण से देखा जाए, तो विज्ञान मनुष्य के लिए एक अभिशाप के रूप में सामने आया है। विज्ञान की सहायता से मानव ने घातक हथियारों का आविष्कार किया। ये हथियार पूरी मानव सभ्यता का विनाश करने में सक्षम हैं। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय इनके प्रयोग से मानव जाति को क्षति हुई, उसकी पूर्ति असंभव है।

विज्ञान की सहायता से मनुष्य ने मशीनों का आविष्कार अपने सुख–चैन के लिए किया, किन्तु अफसोस की बात यह है कि मशीन के साथ–साथ वह भी मशीन होता जा रहा है एवं उसकी जीवन–शैली भी अत्यन्त व्यस्त हो गई है। विज्ञान की सहायता से मशीनों के आविष्कार के बाद छोटे–छोटे एवं सामान्य कार्यों के लिए भी मशीनों पर निर्भरता बढ़ी है।

जो कार्य पहले मानव द्वारा किया जाता था, उसके लिए अब मशीनों से काम लिया जा रहा है फलस्रूप बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। मशीनों के प्रयोग एवं पर्यावरण के दोहन के कारण पर्यावरण सन्तुलन बिगड़ गया है तथा प्रदूषण के कारण मनुष्य के स्वस्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। यही नहीं, विज्ञान की सहायता से प्रगति के लिए मनुष्य ने पृथ्वी पर मौजूद संसाधनों का व्यापक रूप से दोहन किया है, जिसके कारण उसके लिए ऊर्जा संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

विज्ञान के दुरूपयोग के कारण यह मनुष्य के लिए विध्वंसक अवश्य लगे, किन्तु इसमें कोई संदेह नहीं कि इसके कारण ही मनुष्य का जीवन सुखमय हो सका है और आज हम जो प्रगति एवं विकास की बाहर देख रहे हैं, वह विज्ञान के बल पर ही संभव हुआ है। इस तरह, विज्ञान मानव के लिए सृजनात्मक ही साबित हुआ है। विश्व के महान् वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने विज्ञान को इसी रूप में परिभाषित करते हुए कहा भी था–''विज्ञान महान् उद्देश्य अनुभव सिद्ध सत्यों की महत्तम संख्या को परिकल्पनाओं और स्वयंसिद्धियों की अन्यतम संख्या से तर्कपूर्वक निगमित करता है।'' इस आधार पर भी देखा जाए, तो विज्ञान का क्षेत्र विध्वंस हो ही नहीं सकता।

अतः विज्ञान के दुरुपयोग के लिए विज्ञान को नहीं, बल्कि मनुष्य को दोषी ठहराया जाना चाहिए। विज्ञान कभी नहीं कहता कि उसका दुरुपयोग किया जाए। इस तरह , आज तक विज्ञान की सहायता से तैयार हथियारों के दुरुपयोग के लिए विज्ञान को विध्वंसात्मक कहना विज्ञान के साथ अन्याय करने के बराबर है। विज्ञान को अभिशाप बनाने के लिए मनुष्य दोषी है। अन्ततः देखा जाए, तो विज्ञान मनुष्य के लिए वरदान है।

रोबोट या यन्त्र-मानव

शशिकांत कुमार
बाह्य साधन : विपणन (समन्वय),
निगमित कार्यालय

मनुष्य ने विज्ञान की सहायता से अपने लिए विभिन्न प्रकार के यन्त्र बनाए। कपड़े धोने के लिए वाशिंग मशीन, बर्तन धोने के लिए डिश वॉश, फर्श साफ करने के लिए मशीन इत्यादि के रूप में आज मनुष्य ने अपने आस–पास यन्त्रों की एक पूरी फौज तैयार कर ली है। इसके बाद भी उसे एक ऐसे यन्त्र की कमी महसूस हुई, जो मनुष्य की तरह उसकी सेवा कर सके। इसी कमी को दूर करने के लिए उसने मनुष्य की भाँति कार्य कर सकने वाले यन्त्र का निर्माण किया। इसी यन्त्र को रोबोट या यन्त्र–मानव कहा जाता है।

यन्त्र–मानव का इतिहास काफी पुराना है और निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि सबसे पहले किसने यन्त्र–मानव के निर्माण पर कार्य करना प्रारंभ किया था। 15वीं शताब्दी के महान् वैज्ञानिक एवं चित्रकार लियोनार्दो द विंची ने भी एक ऐसे यन्त्र–मानव की यान्त्रिकी का चित्रण अपनी पुस्तकों में किया था, जो बैठ सकता था तथा अपनी वाँहें, सिर व जबड़ा भी हिला सकता था। इसके बाद जापान के कुछ वैज्ञानिकों ने यन्त्र–मानव के विकास हेतु कार्यकरना प्रारंभ किया । वर्ष 1920 में कैरेल कैपेक ने अपने एक काल्पनिक नाटक 'रोसम्स यूनिवर्सल रोबोट्स' में नाटक के पात्रों' यन्त्र–मानवों' के लिए 'रोबोट' शब्द का प्रयोग किया था। बंधुआ मजदूर। वास्तव में, देखा जाए तो रोबोट मनुष्य के लिए बंधुआ मजदूर की भाँति ही कार्य करते हैं।

जापान की कंपनियाँ अच्छे एवं प्रसिद्ध रोबोटों का निर्माण करती हैं। 'एसिमों' भी एक ऐसा ही रोबोट है। 'गैनोइड' एक ऐसा रोबोट है, जो एक स्त्री की तरह दिखता है एवं जो लोगों का अभिवादन करने एवं उन्हें दिलासा देने में सक्षम है। तकनीक एवं रचना के दृष्टिकोण से रोबोट कई प्रकार के होते हैं। आजकल सॉफ्ट एवं स्वॉर्म रोबोट अधिक प्रसिद्ध हैं। सॉफ्ट रोबोट को कम्प्यूटर के माध्यम से संचालित किया जाता है। स्वॉर्म रोबोट चींटी एवं मधुमक्खियों से प्रेरित होकर बनाया गया है, ऐसे रोबोटों का अत्यधिक संख्या में निर्माण कर रोबोटों के एक झुंड का रूप दिया जाता है।

आधुनिक रोबोट को कम्प्यूटर तकनीक से इस प्रकार बनाया जाता है कि विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकने में सक्षम हो सके। आधुनिक रोबोट, बातचीत कर सकता है, मनुष्य के पैर दबा सकता है, उसके लिए खाना बना सकता है एवं उसके खर्चे का लेखा–जोखा भी रख सकता हैं। इसके अतिरिक्त, एक मनुष्य की भाँति व्यक्ति के अकेलेपन को दूर करने के लिए भी रोबोट का निर्माण किया जा रहा है। घरेलू कार्यों को संपन्न करने में रोबोट की भमिका महत्त्वपूर्ण हो सकती है। इस तरह देखा जाए, तो रोबोट मनुष्य के लिए काफी लाभप्रद साबित हो सकते हैं।

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति श्री जॉज डब्लू बुश ने एक बार कहा था कि आने वाले दो वर्षों में मंगल ग्रह पर पहुँचने में हमें सफलता मिल जाएगी। उनकी इस बात पर महान् वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने कटाक्ष करते हुए कहा था–'' यह मूर्खतापूर्ण है ! रोबोट बेहतर कार्य करते हैं और इस कार्य हेतु रोबोटों का प्रयोग किया जाना काफी सस्ता भी होगा, क्योंकि उन्हें वापस लाने की आवश्यकता भी नहीं होगी।'' सचमुच आज कई स्थानों पर रोबोट की मदद से कार्य किए जा रहे हैं, जो मनुष्य के लिए संभव नहीं हैं।

गन्दे स्थनों पर काम करना मनुष्य के स्वस्थ के दृष्टिकोण से सही नहीं होता। यहाँ रोबोट मनुष्य की मदद करते हैं। विकसित देशों में अत्यधिक गन्दे एवं खतरनाक स्थानों पर कार्य करने के लिए रोबोट की मदद ली जाती है। इसके अतिरिक्त, अंतरिक्ष से संबंधित कुछ खोज, प्रयोगशाला एवं हथियारों के निर्माण में रोबोट सहायक

साबित होते हैं। आजकल कुछ ऐसे रोबोट भी प्रचलन में हैं, जो मनुष्य की सर्जरी करने में सक्षम हैं। कुछ रोबोट तो ऐसे भी हैं जो गाकर एवं नाचकर मनुष्य का मनोरंजन भी कर सकते हैं।

इस समय कृत्रिम बुद्धि से संपन्न रोबोट के निर्माण के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे रोबोट अपने आस–पास के वातावरण को समझ सकते हैं और चीजों में फेर–बदल भी कर सकते है। आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न प्रकार के लोगों से संपर्क भी साध सकते हैं। ये रोबोट कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से निर्देशित तथा संचालित होते हैं एवं मनुष्य की सेवा मनुष्य की तरह ही करते हैं। वास्तव में, रोबोट यदि मनुष्य के लिए सहायक साबित हो सकते हैं, तो इनके अत्यधिक उपयोग अथवा दुरूपयोग से कुछ गलत परिणाम भी संभव हैं। रोबोट का प्रयोग हर कार्य के लिए नहीं किया जा सकता एवं प्रौद्योगिकी में अतयधिक प्रगति के बाद भी ये मनुष्य का विकल्प नहीं बन सकते। रोबोट पर अत्यधिक निर्भरता मनुष्य को आलसी और कामचोर बना सकती है, हालाँकि रोबोट खरीदना आम आदमी के लिए संभव नहीं है, किन्तु ऐसे अमीर आदमी जो रोबोट खरीदेंगे, वे रोबोट के माध्यम से अपने प्रत्येक काम को अंजाम देना चाहेंगे, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ेगी।

रोबोट व्यक्ति का मनोरंजन कर सकता है और उसकी सहयता भी कर सकता है, प रवह मनुष्य की भाँति उसके सुख–दुःख का साथी नहीं हो सकता। रोबोट पर निर्भता के कारण व्यक्ति का दूसरे व्यक्तियों से संपर्क कम होने लगेगा, जिसके परिणामस्वरूप वह स्वाभाविक जीवन नहीं जी पाएगा। रोबोट सैनिकों का निर्माण होने से मानवता के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि रोबोट–निर्माण के क्षेत्र में जिस तरह से प्रगति हो रही है, वह प्रगति दर यदि अगले कुछ दशकों तक जारी रही, तो मनुष्य ऐसे रोबोट का निर्माण करने में सक्षम हो जाएगा, जो मनुष्य की तरह बुद्धिमान होंगे। इसका कुपरिणाम यह भी हो सकता है कि वैसे रोबोट मनुष्य को अपना गुलाम बनाने का प्रयास करें। यदि रोबोट आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के हाथ लग गए, तो वे इनका दुरूपयोग करेंगे।

किसी भी चीज का दुरूपयोग बुरा होता है। यदि रोबोट का दुरूपयोग किया गया, तो इसके परिणाम निश्चित तौर पर बुरे होंगे, किन्तु यदि इसका उपयोग मनुष्य की भलाई के लिए किया गया, तो ये विज्ञान प्रदत्त वरदान साबित होंगे। आज रोबोटों का प्रयोग अनुसंधान से लेकर चिकित्सा तक के क्षेत्र में किया जाता है, किन्तु इनका प्रयोग मनुष्य के बिना संभव नहीं। रोबोट का प्रयोग भले ही बढ़े, लेकिन मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि रोबोट को अपना गुलाम बनाने के क्रम में मनुष्यता पर कोई आँच नहीं आए। आखिर रोबोट का आविष्कार भी मनुष्य की भलाई के लिए ही हुआ है, यदि इससे मानवता को खतरा पहुँचता है, तो वैसी स्थिति में रोबोट के विकास में अगला कदम उठाने से पहले उसे अच्छी तरह सोच–विचार करना होगा। ●

जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं है, वह उन्नत नहीं हो सकता है।

– आचार्य विनोबा भावे

स्वदेश प्रेम

सजल अग्रवाल
सहायक वित्त प्रबंधक,
निगमित कार्यालय

''जो भरा नहीं है भावों से ,बहती जिसमें रसधार नहीं।
वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।''

मैथिलीशरण गुप्त की इन काव्य पंक्तियों का अर्थ यह है कि देशप्रेम के अभाव में मनुष्य जीवित प्राणी नहीं, बल्कि पत्थर के ही समान कहा जाएगा। हम जिस देश या समाज में जन्म लेते हैं, उसकी उन्नति में समुचित सहयोग देना हमारा परम कर्त्तव्य बनता है। स्वदेश के प्रति यही कर्त्तव्य–भावना इसके प्रति प्रेम अर्थात् स्वदेश प्रेम या देशभक्ति का मूल स्रोत है।

कोई भी देश साधारण एवं निष्प्राण भूमि का केवल ऐसा टुकड़ा नहीं होता, जिसे मानचित्र द्वारा दर्शाया जाता है। देश का निर्माण सिर्फ उसकी सीमाओं से नहीं, बल्कि उसमें रहने वाले लोगों एवं उनके सांस्कृतिक पहलुओं से होता है। लोग अपनी पृथक् सांस्कृतिक पहचान एवं अपने जीवन–मूल्यों को बनाए रखने के लिए ही अपने देश की सीमाओं से बँधकर इसके लिए अपने प्राण न्योछावर करने को तत्पर रहते हैं। यही कारण है कि देशप्रेम की भावना देश की उन्नति का परिचायक होती है। लाला हरदयाल ने कहा भी है–'' राष्ट्र–भक्ति ही समस्त राष्ट्रीय प्रगति तथा स्वातन्त्र का मूल है।''

स्वदेश प्रेम यद्यपि मन की एक भावना है तथापि इसकी अभिव्यक्ति हमारे क्रियाकलापों से हो जाती है। देशप्रेम से ओत–प्रोत व्यक्ति सदा अपने देश के प्रति कर्त्तव्यों के पालन हेतु न केवल तत्पर रहता है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर इसके लिए अपने प्राण न्योछावर करने से भी पीछे नहीं हटता। सच्चा देशभक्त अपना तन, मन, धन सब कुछ समर्पित करते हुए, कवि रामअवतार त्यागी के शब्दों में कहता है

'' तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित
चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ।
माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मै अकिंचन
किन्तु, इतना कर रहा फिर भी निवेदन
थाल में लाऊँ सजाकर भाल जब भी
कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण। ''

स्वतन्त्रता पूर्व के हमारे देश का इतिहास देशभक्तों की वीरतापूर्ण गाथाओं से भरा है। देश की आजादी के लिए मंगल पाण्डे, लक्ष्मीबाई, सरदार भगतसिंह, चन्द्रशेखर आजाद, राजगुरू, सुखदेव, रामप्रसाद बिस्मिल जैसे युवा क्रान्तिकारियों के बलिदानों को भला कौन भुला सकता है!

किसी भी देश के सर्वागीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके नागरिक स्वदेशप्रेम की भावना से ओत–प्रोत हों। मुनाफाखोरी, कालाबाजारी, रिश्वतखोरी व भष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोगों से न केवल देश का विकास अवरूद्ध होता है, बल्कि इसकी आन्तरिक एवं बाह्य सुरक्षा भी खतरे में पड़ती है, क्योंकि ऐसे लोग पैसें के लिए अपना ईमान ही नहीं, देश बेचने से भी संकोच नहीं करते।

कुछ स्वार्थी नेता भी चुनाव जीतने के लिए क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद इतयादि को बढ़ावा देते हैं, जिससे राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की भावना को ठेस पहुँचती है तथा देश में वैमनस्य एवं अशान्ति के वातावरण का निर्माण हो जाता है। हमें ऐसे नेताओं से सावधान रहने की जरूरत है, जो देशप्रेम का ढोंग रचते हैं। वास्तव में, उनका मकसद देश के हितों को चोट पहुँचाना होता है।

वास्तव में, देशप्रेम की भावना मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ भावना है। इसके सामने किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत लाभ का कोई महत्व नहीं होता। यह एक ऐसा पवित्र व सात्विक भाव है, जो मनुष्य को निरन्तर त्याग की प्रेरणा देता है। इसलिए कहा गया है–''जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी'' अर्थात् जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर हैं।

मानव की हार्दिक अभिलाषा रहती है कि जिस देश में उसका जन्म हुआ, जहाँ के अन्न–जल से उसके शरीर का पोषण हुआ एवं जहाँ के लोगों ने उसे अपना प्रेम एवं सहयोग देकर उसके व्यक्तित्व को निखारा, उसके प्रति अपने कर्त्तव्यों का पालन वह सदा करता

रहें। यही कारण है कि मनुष्य जहाँ रहता है, अनेक कठिनाइयों के बावजूद उसके प्रति उसका मोह कभी खत्म नहीं होता, जैसा कि कवि रामनरेश त्रिपाठी ने अपनी कविता में कहा है

'' विषुवत् रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ–हाँफकर,
रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर।
हिमवासी जो हिम में, तम में जी लेता है काँप–काँपकर,
वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर।''

देशप्रेम को विशेष क्षेत्र एवं सीमा में नहीं बाँधा जा सकता। हमारे जिस कार्य से देश की उन्नति हो, वह देशप्रेम की सीमा में आता है। अपने प्रजातन्त्रात्मक देश में, हम अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए ईमानदार एवं देशभक्त जनप्रतिनिधि का चयन कर देश को जाति, सम्प्रदाय तथा प्रान्तीयता की राजनीति से मुक्त कर इसके विकास में सहयोग कर सकते हैं। जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अन्धविश्वास, छुआछूत इत्यादि कुरीतियाँ देश के विकास में बाधक हैं। हम इन्हें दूर करने में अपना योगदान कर देश–सेवा का फल प्राप्त कर सकते हैं।

अशिक्षा, निर्धनता, बेरोजगारी, व्यभिचार एवं भष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़कर हम अपने देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर सकते हैं। हम समय पर टैक्स का भुगतान कर देश की प्रगति में सहायक हो सकते हैं। इस तरह, किसान, मजदूर, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, चिकित्सक, सैनिक और अन्य पेशेवर लोगों के साथ–साथ देश के हर नागरिक द्वारा अपने कर्त्तव्यों को समुचित रूप से पालन करना सच्ची देशभक्ति है।

सरदार पटेल के शब्दों में–''देश की सेवा करने में जो मिठास है, वह किसी चीज में नहीं है।''
नागरिकों में देशप्रेम का अभाव राष्ट्रीय एकता में सबसे बड़ी बाधा के रूप में कार्य करता है, जबकि राष्ट्र की आन्तरिक शान्ति तथा सुव्यवस्थ और बाहरी दुशमनों से रक्षा के लिए राष्ट्रीय एकता परम आवश्यक है। यदि हम भारतवासी किसी कारणवश छिन्न–भिन्न हो गए, तो हमारी पारस्परिक फूट को देखकर अन्य देश हमारी स्वतन्त्रता को हड़पने का प्रयास करेंगे।

इस प्रकार अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा एवं राष्ट्र की उन्नति के लिए राष्ट्रीय एकता परम आवश्यक है और राष्ट्रीय एकता बनाए रखना तब ही संभव है, जब हम देश के प्रति अपने कर्त्तव्यों का पालन करेंगे। लोकमान्य तिलक ने कहा थ–''मतभेद भुलाकर किसी विशिष्ट कार्य हेतु सारे पक्षों का एक हो जिन्दा राष्ट्र का लक्षण है।''
यह हमारा कर्त्तव्य है कि सब कुछ न्योछावर करके भी हम देश के विकास में सहयोग दें, ताकि अनेक राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय समस्याओं का सामना कर रहा हमारा देश निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। अन्ततः हम कह सकते हैं कि देश सर्वोपरि है, अतः इसके मान–संमान की रक्षाहर कीमत पर करना देशवासियों का परम कर्त्तव्य है।

स्वामी राम तीर्थ के शब्दों में–'' देश हित के लिए प्रयत्न करना ही विश्व की शक्तियों अर्थात् देवताओं की आराधना है।''

सुंदर कौन ?

अशोक
बाह्य साधनः वरिष्ठ सहायक,
निगमित कार्यालय

हिन्दी में जिसे 'सुंदर कहते हैं, संस्कृत में भी उसे 'सुंदर' कहते हैं, अंग्रेजी में उसे' ब्यूटीफुल' तथा उर्दू में 'खूबसूरत' कहते हैं। यह लिखने का तात्पर्य यह है कि इन भाषाओं में भी इस 'सुंदर' शब्द के पर्यायवाची शब्दों से हम परिचित हो जाएँ।

हमारे संस्कृत वाड्मय में 'सत्यं, शिवं, सुंदरम्' कहा गया है, यानी जो सत्य है एवं शिव (कल्याणकारी) है, वही सुंदर है। अगर सच पूछा जाए तो 'सुंदर' शब्द की व्याख्या इससे सुंदर हो नहीं सकती। अंग्रेजी साहित्य के विद्वान् कीट्स ने भी इसी विचार को स्वीकार करते हुए कहा है कि 'ब्यूटी इज ट्रुथ ऐंड ट्रुथ इज ब्यूटी', यानी सुंदर ही सत्य है तथा सत्य ही सुंदर है। अगर 'सत्य ही सुंदर है ' के विस्तार में जाएँ तो हम देखेंगे कि भगवान् राम अति सुंदर हैं, लेकिन रंग के साँवले हैं। भगवान् कृष्ण की सुंदरता का तो कहना ही क्या! काले होते हुए भी उन्होंने कितनों के चित्त को चुराया, गणना करना मुश्किल है। गोपियों ने कृष्ण में कौन सी सुंदरता देखी ? हमारी सभी देवियाँ चाहे लक्ष्मी हों या सरस्वती, दुर्गा हों या सीता– सभी सुंदर हैं। ये देवी–देवताओं के सभी पात्र सत्य स्वरूप हैं, अतः सुंदर हैं।

हमने सामान्य अर्थों में सुंदरता को शरीर की सुंदरता से जोड़ा है। लेकिन हिन्दी के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार श्री भगवती चरण वर्मा ने कहा है कि 'दुनिया का सारा सौंदर्य स्वस्थ शरीर में है।' अब जरा विचार करें कि स्वस्थ शरीर कहते किसे हैं ? क्या कोई पहलवान, बॉडी बिल्डर, बॉक्सर, धावक, खिलाड़ी आदि स्वस्थ शरीर वाले हैं ? केवल पहलवान आदि होना स्वस्थ शरीर की पहचान नहीं है। व्यक्ति जब तक तन एवं मन दोनों से प्रसन्नचित नहीं होगा, वह स्वस्थ नहीं माना जाएगा। तन एवं मन दोनों से निरोग होना आवश्यक है। तन के निरोगी की कल्पना तो हम कर सकते हैं, लेकिन, मन का निरोगी होना क्या है ? मन के रोग हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर आदि। जब तक व्यक्ति तन एवं मन दोनों के विकारों से मुक्त नहीं होगा और सुसंस्कारों जैसे दया, क्षमा, सत्य, अहिंसा से युक्त नहीं होगा, उसे हम सही मायने में सुंदर नहीं कह सकते।

हमने 'लैला–मजनू' के किस्से बहुत सुने हैं और भी सुना है कि लैला काली थी, फिर भी अति मोहक थी। आखिर मजनू की आँखों ने लैला में क्या देखा ? सुंदरता के लिए केवल गोरा होना आवश्यक नहीं है। शरीर के अंग–प्रत्यंग का समानुपातिक होना भी सुंदरता प्रदान करता है। सुंदरता केवल शरीर–सौष्ठव या गोरापन नहीं है। सुंदरता वह आकर्षण है, जो दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करे। मैंने पचास की उम्र के पार के स्त्री–पुरूषों को देखा है। इस उम्र में भी उनके चेहरों में मोहकता है। देखते ही आकर्षित हो जाना स्वाभाविक है। कारण, उनमें स्नेहिल दृष्टि है तथा वाणी में माधुर्य है।

हमने अपनी वासनाओं के कारण ही केवल नारी को सुंदर–स्वरूप मान रखा है। जबकि ऐसे –ऐसे पुरूष मिलेंगे जिनकों अगर नारी–वेश में उतार दिया जाए तो नारियों से अधिक सुंदर एवं आकर्षक लगेंगे। अतः सुंदरता में अधिक केवल एक वर्ग का नहीं। यह तो दोनों वर्गो में समान रूप से पाया जाता है।

हमने पत्थरों की मूर्तियाँ देखी हैं, जो बरबस अपनी ओर आकर्षित करती हैं। मन करता है कि उन मूर्तियों के समक्ष बैठकर उन्हें बराबर देखते ही रहें। बाग–बगीचे कहीं–कहीं इतने सुंदर देखने को मिल जाते हैं कि वहाँ से हटने का मन ही नहीं करता। ऐसे बाग–बगीचों में बार–बार जाने का मन करता है। बच्चे सभी सुंदर लगते हैं, क्योंकि वे सहज हैं, सरल हैं और किसी भी प्रकार के विकारों से मुक्त हैं। आदमी के ही बच्चे नहीं, मैंने देखा है सड़क पर जानवरों के बच्चों को चलते हुए, चाहे वे कुत्ते के हों या घोड़े के, ऊँट के हों या हाथी के, इतने सुंदर एवं सहज लगते हैं कि उन्हें बराबर देखते ही रहने का मन करता है। गाय का बछड़ा जब छलाँग लगाकर दौड़ता है तो लगता है कि वह स्थल वृंदावन है। ऐसे–ऐसे साधु–संन्यासी एवं विरक्त महात्माओं को देखा है कि उनका व्यक्तित्व आपको चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर

लेगा। कारण, शरीर पर ओज एवं तेज है तथा व्यवहार में उन्हें सत्याचरण एवं शिव (कल्याण) को ही धारण कर रखा है। ऐसे व्यक्ति की सुंदरता को कौन पा सकता है ? क्या आप जानते हैं कि भगवान् बुद्ध की सुंदरता कितनी भव्य थी ? जिन्होंने महात्मा गांधी को देखा है, वे बताते हैं कि महात्मा गांधी के शरीर में एक विशेष प्रकार का तेज एव ंचमक थी, जो उनकी सुंदरता का आभास कराती थी। दाँत नहीं थे, वस्त्र भी कायदे के नहीं थे, लाठी लेकर चलते थे–इन सबके बावजूद उस वयक्ति का आकर्षण 'सत्यं शिवं सुंदरम' का साक्षात् स्वरूप लगता था।

सुंदर व्यक्ति को स्वस्थ होना आवश्यक है। स्वस्थ व्यक्ति सही भोजन करता है, आवश्यक श्रम करता है, सही एवं पूरी नींद लेता है, मन लगाकर अपना काम करता है, दूसरों के प्रति वैर–भाव नहीं रखता, हमेशा प्रसन्नचित रहता है। विषम परिस्थितियों में भी सम भाव से रहना ही स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य लक्षण है। योग एवं प्रातः भ्रमण भी स्वास्थ्य प्रदान करता है। मौसमी फलों के सेवन से शरीर में कांति आती है। भोजन एवं विचारों में संतुलन भी व्यक्ति को प्रसन्न एवं सुंदर बनाते हैं। मालिश करना या कराना व्यायाम के साथ–साथ रक्त का संचार भी तेज करता है। इस क्रिया से शरीर के विजातीय द्रव्यों को भी रोमकूपों से बाहर निकलने का अवसर मिलता है।

अच्छे ढंग से बना मकान भी कितना सुंदर लगता है। कई व्यक्ति, चाहे पुरूष हो या स्त्री, एक बार के मिलन से ही आकर्षित कर लेते हैं। कारण, उनका सुंदर स्वरूप होता है, वस्त्र भी सलीके से पहने होते हैं तथा वाणी भी मीठी एवं सार्थक होती है। हमारे प्रभु ने सारे ब्रह्मांड को सुंदर एवं सुडौल बनाया है। हम अपने विकृत विचारों एवं गलत आदतों से सुंदर को कुरूप बना देते हैं। प्रातः सूर्योदय की लालिमा कितनी प्रसन्नता प्रदान करती है। रात में चाँद जब नीले आकाश में होता है तो उसकी सुंदरता का क्या कहना ! इसीलिए सुंदर चेहरों को 'चाँद–सा मुखड़ा' की उपमा दी जाती है। इस प्रकार, आप देखेंगे कि प्रकृति में सर्वत्र में सुंदरता है। गुलाब को किसने सुंदरता एवं सुगंध प्रदान की है ? प्रकृति हमारे ऊपर अत्यधिक मेहरबान है। हम प्रकृति के नियमों को जब तोड़ते हैं तो ही सुदंरता में कमी आती है। सुंदरता वही असली है, जो टिकाऊ है। बाहरी साधनों से प्राप्त सुंदरता तो नकली है,क्यों वह टिक. ाऊ नहीं है। अतः असली सुंदरता लाने के लिए सत्यं–शिवं का सिद्धांत आचार–विचार में उतारें। योग एवं भ्रमण करें, फलों का सेवन करें, विचारों में समता का भाव लाएँ। किसी के प्रति विषम विचार न रखें, हमेशा प्रसननचित रहें। इन विचारों एवं क्रियाओं से युक्त व्यक्ति–चाहे स्त्री–पुरूष कोई भी हो–'सुंदर' है। यह सुंदरता टिकाऊ रहेगी और आपकी सुंदरता सबके आकर्षण का केंद्र होगी।

भारतीय चुनाव प्रणाली

राजेन्द्र
सहायक (वाणिज्य),
निगमित कार्यालय

"लोकतन्त्र में चुनाव जनता को राजनीतिक शिक्षा देने का विश्वविद्यालय है।" मानव समुदाय एवं शासन व्यवस्था की अवधारणाओं पर गौर करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि पंडित जवाहर लाल नेहरू का यह कथन बिल्कुल सही है। सभ्यता के विकास के साथ ही मानव समुदाय के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की शुरूआत हुई। प्रारंभ में शासन व्यवस्था के रूप में राजतन्त्र की प्रमुखता थी। इसमें राजा ही सर्वोपरि होता था।

इस शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी यह थी कि प्रायः इसमें आम जनता को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं होता था उसे विवश होकर राजा की प्रत्येक उचित–अनुचित आज्ञा माननी पड़ती थी। मानव–सभ्यता में जैसे–जैसे प्रगति हुई, लोग इस शासन व्यवस्था के विकल्प ढूँढने लगे। अन्ततः शासन व्यवस्था एक व्यक्ति के हाथ में न रहकर सारी जनता के हाथ में रहे, ऐसी व्यवस्था के रूप में प्रजातन्त्र का प्रादुर्भाव हुआ। इस शासन व्यवस्था में जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव बहुमत के आधार पर करती है। अब्राहम लिंकन के शब्दों में –"बैलेट की शक्ति बुलेट से कहीं अधिक होती है।"

चुनाव व्यवस्था को प्रजातन्त्र का मूल कहा जा सकता है, इसके बिना प्रजा प्रजातन्त्र के लाभ से वंचित रह जाती है। प्रजातान्त्रिक शासन में राज्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्त्व दिया जाता है। राज्य व्यक्ति के लिए पूर्णअवसर प्रदान करता है। जिस तरह व्यक्ति और समाज को अलग करके दोनों के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती, ठीक उसी प्रकार प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था में प्रजा और सरकार को अलग–अलग नहीं देखा जा सकता। अतः प्रजातन्त्र में चुनाव अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। भारत ने भी स्वतन्त्रता के बाद प्रजातान्त्रिक व्यवस्था को स्वीकृति प्रदान की और इसी के साथ जनता को एक निश्चित अन्तराल के बाद अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार मिला। 26 जनवरी, 1950 को भारत गणतन्त्र बना। इसके बाद वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत में पहला अम चुनाव वर्ष 1951–52 में हुआ। पहले मतदान करने की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष थी। वर्ष 1989 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा न्यूनतम आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अब तक लोकसभा के लिए सोलह चुनाव हो चुके हैं। सोलहवीं लोकसभा का चुनाव वर्ष 2014 में सम्पन्न हुआ।

भारत में विभिन्न प्रकार के चुनावों को नियन्त्रित एवं संचालित करने के लिए भारतीय संविधान ने चुनाव आयोग की स्थापना का प्रावधान किया है। इसमें एक मुख्य आयुक्त होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। चुनाव को नियन्त्रित एवं संचालित करने के लिए यह आयोग चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, मतदाता सूचियाँ तैयार करना, विभिन्न राजनीतिक दलों को चुनाव चिह्न प्रदान करना, चुनाव की व्यवस्था करना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना जैसे कार्य सम्पन्न करता है। आयोग के पास आवश्यकता पड़ने पर उपचुनाव करवाने एवं चुनाव रद्द करने का भी अधिकार होता है। निर्वाचन आयोग चुनाव याचिकाओं के संबंध में सरकार को परामर्श देने का कार्य भी करता है।

पहले चुनाव में बैलेट एवं बैलेट बॉक्स का प्रयोग किया जाता था। प्रौद्योगिकी में विकास के बाद चुनाव को भ्रष्टाचार से मुक्त कर इसे अधिकविश्वसनीय बनाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों (EVM) का प्रयोग आम चुनाव में होने लगा। इसके लिए वर्ष 1989 में संविधान संशोधन करना पड़ा। इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों का प्रयोग नवम्बर, 1998 में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों–राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं दिल्ली के चुनावों में पहली बार किया गया। वर्ष 2004 में चौदहवीं लोकसभा के चुनाव में पूरे भारत में इस मशीन का प्रयोग किया गया। अब पूरे भारत में निर्वाचन के लिए इसी मशीन का प्रयोग किया जाता है।

ईवीएम मशीन में प्रत्येक उम्मीदवार के नाम के सामने उसकी पार्टी का चुनाव चिह्न होता है, जिससे मतदाता को अपने प्रतिनिधि के चुनाव में सुविधा हो सकती है। यदि कोई मतदाता किसी भी

उम्मीदवार को चुनने योग्य नहीं मानता, तो वह (None Of The Above) का बटन दबा सकता है। भारतीय मतदाता को इस विकल्प के चयन का प्रथम अवसर वर्ष 2014 के आम चुनाव में मिला। चुनाव व्यवस्था में इसे एक सुधारवादी कदम के रूप में देखा जा रहा है। अब तक हुए आम चुनावों एवं विधानसभा चुनावों में कई दोष देखने को मिले हैं। कई बार यह देखा गया है कि उम्मीदवारों की अधिक संख्या एवं मतों के विभाजन के कारण विजेता उम्मीदवार को मिले कुल मतों की संख्या अन्य सभी उममीदवारों को मिले कुल मतों की संख्या से कम होती है। इस तरह, बहुत प्राप्त न होने के बावजूद वह विजयी हो जाता है। इसके अतिरिक्त, चुनावों में अत्यधिक धन का प्रयोग एवं मतदाताओं की निष्क्रियता भी भारतीय चुनावों के प्रमुख दोष हैं। कभी–कभी यह भी देखा गया है कि विभिन्न राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए असामाजिक तत्त्वों का प्रयोग भी करते हैं।

राजनीति में अपराधीकरण के बाद से चुनावों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होने लगे थे। चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के प्रयोग के बाद से इनकी विश्वसनीयता में तो वृद्धि हुई है, किन्तु चुनावों में होने वाला भष्ट्राचार बिल्कुल समाप्त हो गया है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इसके पीछे न सिर्फ राजनीति के अपराधीकरण, बल्कि दलबदल की राजनीतिक को भी दोषी ठहराया जा सकता है। एक बार समाज सेवक अन्ना हजारे ने कहा था– ''हमें मौजूदा चुनावी सुधारों में मौजूद खामियों को दूर करने के लिए सतत लड़ना है।'' चुनावों की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए और चुनाव प्रक्रिया में सुधार करने हेतु अब तक कई समितियों का गठन किया जा चुका है। वर्ष 1974 में वी एम तारकुंडे की अध्यक्षता में ऐसी ही एक समिति का गठन किया गया थ। चुनाव में सुधार के लिए अब तक कई समितियों के महत्त्वपूर्ण सुझावों को क्रियान्वित भी किया जा चुका है। चुनाव के समय उम्मीदवारों से खर्च का हिसाब लेने एवं राजनीति में अपराधीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति को रो. कने जैसे प्रयास इसके उदाहरण हैं।

प्रजातन्त्र की सफलता निष्पक्ष चुनावों के साथ–साथ इस बात पर भी निर्भर करती है कि जनता शिक्षित हो एवं अपना हित समझती हो। जनता के अशिक्षित होने की स्थिति में स्वार्थी लोग धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर दिग्भ्रमित कर सत्ता में आ सकते हैं। अतः देश की स्थिरता तथा प्रगति के लिए चुनाव प्रक्रिया का स्वच्छ एवं पारदशी होना जरूरी है। राजनीतिक दल स्वच्छ छवि के लोगों को उम्मीदवार बनाकर मतदाताओं का काम आसान कर सकते हैं। यदि ईमानदार व्यक्ति जनप्रतिनिधि बनकर सदन तक पहुँचता है, तो उसके काम में पारदर्शित देखने को मिलती है, जिससे पूरे देश का उत्थान होता है। इससे ही चुनाव प्रक्रिया की सार्थकता सिद्ध होती है।

सूचना का अधिकार (RTI)

अंकुश बनर्जी
बाह्य साधन : वरिष्ठ सहायक (मा.सं. एवं प्र.), निगमित कार्यालय

भारत के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता के कारण ही मानव प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वह अपनी बुद्धि ओर विवेक के सहारे विभिन्न प्रकार की समस्याओं का निवारण करता है और उनसे संबद्ध विचार सबके सामने रखता है, किन्तु विषय –बस्तु की सही जानकारी के बिना न तो समस्याओं का आगे बढ़कर सामना ही किया जा सकता है और न संबद्ध विषय पर कुछ कहा ही जा सकता है।

भारत जैसे लोकतान्त्रिक देश में एक ओर जहाँ प्रतयेक नागरिक को सभी प्रकार की गतिविधियों से संबंधित सूचनाएँ जानने का अधिकार है, वही, दूसरी ओर उसे भी जानने का पूरा अधिकार है कि उसके द्वारा अदा किए गए कर का उपयोग कैसे किया जाता है ? किन्तु इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि कुछ वर्ष पूर्व तक भारत के नागरिकों के पास ऐसी कोई कानूनी व्यवस्था नहीं थी, जिसके माध्यम से वे सरकारी कार्यालयों से सूचनाएँ प्राप्त करे पाते। देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने, भष्ट्राचार पर नियन्त्रण रखने, जनता को शोषण से बचाने एवं नौकरशाही की लालफीताशाही को खत्म करने के लिए देश में आवश्यक सूचना प्राप्त करने के अधिकार संबंधी कानून की आवश्यकता बहुत पहले से महसूस की जा रही थी, ताकि जनता सूचनाओं से अवगत होकर शक्तियों का प्रभावी रूप से सदुपयोग कर सके।

दुनिया के अन्य कई देशों में नागरिकों को यह अधिकार पहले से ही प्राप्त है। लोकतान्त्रिक देशों में स्वीडन पहला देश था, जिसने अपने देश के नागरिकों को 1766 ई. में संवैधानिक रूप से सूचना का अधिकार प्रदान किया। इस समय जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे, कनाडा, नदरलैंड, ऑस्ट्रिया, संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों में नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त है। भारत भी अब इन देशों की सूची में शामिल हो गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर, 1948 को जारी की गई मानवाधिकारों की घोषणा में सूचना के अधिकार का उल्लेख करते हुए इसे बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का हिस्सा माना गया। अमेरिका द्वारा वर्ष 1964 में इसे अधिनियम रूप में पारित कर कानून के रूप में मान्यता प्रदान की गई।

इस कानून के पारित होने के पश्चात् अमेरिका का कोई का कोई भी नागरिक निर्धारित राशि जमा कर किसी भी सरकारी कार्यालय से इच्छित दस्तावेजों की प्रतियाँ प्राप्त करने का अधिकारी है। सरकारी अधिकारियों द्वारा दस्तावेज न दिए जाने की स्थिति में दस्तावेज की माँग करने वाले को अपील करने का अधिकार भी प्रदान किया गया है। जर्मनी के संविधान के अनुच्छेद–5 के अन्तर्गत वहाँ के प्रत्येक नागरिक को निजी या सार्वजनिक हितों की पूर्ति हेतु इच्छित सूचनाओं को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

जर्मनी में 5 सितंबर, 2005 को पारित हुए इस कानून के दायरे से कानूनी, आर्थिक व न्याय संबंधित जानकारियों को अलग रखा गया। जापान में वर्ष 2001 में सूचना का अधिकार कानून प्रभाव में आया। चिली में वर्ष 2009 को संविधान के अनुच्छेद–8 के अन्तर्गत वहाँ के नागरिकों को यह अधिकार दिया गया। आज विश्व के 90 से भी अधिक देशों में किसी–न–किसी रूप में नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान किया गया है।

सूचना के अधिकार को जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि सूचना का अर्थ क्या है? वास्तव में, किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री, जिसके अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप से धारित अभिलेख, दस्तावेज, ई–मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा रिपोट्र, कागज–पत्र, नमूने, मॉडल, ऑकडें इत्यादि शामिल हैं, 'सूचना' कहलाती है। इसमें किसी निजी निकाय से संबंधित ऐसी सूचना भी शामिल है, जिसकी माँग करने पर उसे तत्काल लागू किसी कानून के अन्तर्गत उपलब्ध कराया जा सके।

भारत को सही अर्थों में लोकतान्त्रिक बनाने के दृश्टिकोण से वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के रूप में पूरे भारत (जम्मू–कश्मीर को छोड़कर) में लागू किया गया, जिसमें सरकार की अधिसूचना के तहत आने वाले सभी निकाय शामिल

हैं। इसमें ऐसे गैर–सरकारी संगठन भी शामिल हैं, जिनका स्वामित्व, नियन्त्रण अथवा आंशिक निधिकरण सरकार द्वारा किया जाता है। आरटीआई अधिनियम सभी नागरिकों को लोक प्राधिकरण द्वारा धारित सूचना की अभिगम्यता का अधिकार प्रदान करता है।

यदि किसी व्यक्ति को किसी सूचना की अभिगम्यता से मना किया जाता है, तो वह राज्य या केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष अपील /शिकायत दर्ज़ करा सकता है। आरटीआई (RTI) का अर्थ है– 'राइट टू इन्फॉर्मेशन ' अर्थात् 'सूचना का अधिकार'। इसे संविधान की धारा–19(1) के तहत एक मूलभूत अधिकार का दर्जा दिया गया है। इस धारा के तहत प्रत्येक नागरिक को बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके प्रत्येक नागरिक को सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार है कि वह कैस कार्य करती है, उसकी क्या भूमिका है, उसके क्या कार्य हैं ? आदि।

'सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को अधिकार संपन्न बनाना, सरकार की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, भष्टाचार को कम करना तथा लोकतन्त्र को सही अर्थों में लोगों के हित में काम करने में सक्षम बनाना है। वास्तव में, भ्रष्टाचार आदि में संलग्नता भी आन्तरिक देशद्रोह का ही एक रूप है। सिसरो ने कहा था–''मूर्खों के बावजूद और महत्त्वाकांक्षियों के बिना भी देश का अस्तित्व कायम रह सकता है, पर कोई देश आन्तरिक देशद्रोह को बर्दाश्त नहीं कर सकता।'' सचमुच सूचनाओं से अवगत नागरिक वर्ग शासनतन्त्र पर आवश्यक निगरानी रखने तथा शासन को अधिक उत्तरदायी बनाने में सक्षम होता है।

हमारे देश में सूचना के अधिकार की विकास यात्रा वर्ष 1952 से प्रारंभ होती है, जब भारत में पहला प्रेस आयोग बना। सरकार ने आयोग से प्रेस की स्वतन्त्रता संबंधी आवश्यक प्रावधानों पर सुझाव माँगा, तो इसने पारदर्शित की वकालत तो की, किन्तु सूचना के अधिकार को अनावश्यक करार दिया। वर्ष 1966 में प्रेस परिषद् की स्थापना की गई, जिसने सूचना से संबंधित कुछ प्रस्ताव दिए, किन्तु इसका भी कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला। उसके बाद वर्ष 1967 में सरकारी गोपनीयता कानून में संशोधन के प्रस्ताव आए, लेकिन उन प्रस्तावों को खारिज कर इस कानून को और अधिक सख्त बना दिया गया।

संविधान की धारा–19 (1) का उल्लेख करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1976 में 'राज नारायण विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकार' मामले में तीन तर्क प्रस्तुत किए थे

(i) कोई व्यक्ति संबंद्ध विषय के बारे में बिना कुछ जाने, कहने और अभिव्यक्त करने जैसे मौलिक अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकता।

(ii) लोकतान्त्रिक देश होने के नाते यहाँ के नागरिक स्वयं मालिक हैं। अतः उन्हे यह जानने का हक है कि उनकी सेवा करने वाली सरकारें कैसे और क्या कार्य करती हैं ?

(iii) यहाँ के नागरिकों को यह जानने का अधिकार भी है कि उनकी सरकारें उनसे विभिन्न प्रकार के कर वसूल कर उन रूपयों को किस प्रकार खर्च करती हैं ? इन्हीं तीन महत्त्वपूर्ण तर्कों का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना के अधिकार को संविधान की धारा–19(1) के अन्तर्गत मौलिक अधिकारों का हिस्सा माना।

वर्ष 1977 में जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा–पत्र में सूचना का अधिकार देने का वायदा किया और वर्ष 1978 में इसके लिए प्रेस आयोग की स्थापना की गई, किन्तु लोगों तक सूचना का अधिकार पहुँचाने की दिशा में सार्थक प्रयास वर्ष 1989 में बनी वी पी सिंह की सरकार ने किया। इसके बाद वर्ष 1996 के लोकसभा चुनाव में लग. भग सभी प्रमुख पार्टियों ने अपने घोषणा–पत्र में सूचना के अधिकार से संबंधित कानून बनाने की बात की । वर्ष 1997 में इस संबंध में दो विधेयक लाए गए, लेकिन ये दोनों विधेयक विधायी का रूप नहीं ले सके। दिसंबर, 2002 में इससे संबंधित कानून पारित हुआ, किन्तु इसमें इतनी खामियाँ थी इसे दोबारा तैयार करना पड़ा।

अन्ततः 15 जून, 2005 को सूचना का अधिकार एक अधिनियम के रूप में पारित हुआ और 13 अक्टूबर, 2005 को इसे पूरे देश (जम्मू–कश्मीर को छोड़कर) में लागू किया गया। आरटीआई अधिनियम के अनुसार, ऐसी सूचना जिसे संसद एवं राज्य विधान मंडल को देने से इनकार नहीं किया जा सकता, उसे किसी व्यक्ति को देने से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–2 (एच) के अन्तर्गत देश का कोई भी नागरिक लोक प्राधिकरण या सार्वजनिक संस्थाओं से उनके पास उपलब्ध सूचनाएँ माँग सकता है। लोक प्राधिकरण के दायरे में पंचायत से लेकर राष्ट्रपति कार्यालय तक का क्षेत्र आता है, जबकि सार्वजनिक संस्था के अन्तर्गत सरकारी अथवा सरकार द्वारा नियन्त्रित या वित्त पोषित सभी निजी इकाइयाँ आती हैं। सभी सार्वजनिक संस्थाओं में जनता द्वारा माँगी गई उनसे संबद्ध सूचनाएँ प्रदान करने हेतु जन (लोक) सूचना अधिकार (पीआईओ) नियुक्त किए जाते हैं। इनके द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से असन्तुष्ट होने की स्थिति में आवेदनकर्ता उसी सार्वजनिक संस्था के वरिष्ठ जनसूचना अधिकारी के पास और अन्ततः राज्य अथवा केन्द्रीय सूचना आयोग को अपील कर सकता है।

आवेदनकर्ता अंग्रेजी, हिन्दी या उस क्षेत्र की राजकीय भाषा में लिखा अपना आवेदन डाक द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अथवा व्यक्तिगत रूप से लोक प्राधिकारी के कार्यालय में भेज सकता है। आवेदनकर्ता

को सूचना माँगने के लिए आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क रुपये 10 का माँग पत्र अथवा बैंकर्स चेक अथवा भारतीय पोस्टल ऑर्डर आदि के रूप में लोक प्राधिकारी के लेखा अधिकारी के नाम से भेजना होता है। शुल्क का भुगतान लोक प्राधिकरण के लेखाधिकारी अथवा केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी को नकद भी किया जा सकता है।

आवेदनकर्ता को सूचना प्रदान करने में आने वाली लागत के लिए अतिरिक्त शुल्क भी अदा करना पड़ सकता है। गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के लिए यह प्रक्रिया निःशुल्क है, किन्तु उन्हें इसके लिए आवेदन के साथ गरीबी रेखा के नीचे होने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होता है। जहाँ तक सूचना माँगने संबद्ध आवेदन के लिए निर्धारित प्रपत्र की बात है, तो इसके लिए कोई प्रपत्र निर्धारित नहीं है, आवेदन सादे कागज पर भेजा जा सकता है। इस कानून में यह भी प्रवधान है कि यदि कोई अधिकारी किसी व्यक्ति को सूचना देने से मना करता है या देर से अथवा गलत सूचनाएँ देता है, तो दोषी अधिकारी निजी तौर पर दंड का भागीदार होगा तथा उस पर प्रतिदिन के हिसाब से रुपये 250 का जुर्माना लगेगा, जिसकी अधिकतम राशि रुपये 25,000 तक हो सकती है।

इस कानून के दायरे में आने वाली सभी सार्वजनिक संस्थाओं को सू. चना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) (क) के तहत 17 श्रेणियों की सूचनाएँ स्वतः प्रकाशित करनी होती हैं, पर इसके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान नहीं होने से सार्वजनिक संस्थाएँ इस दायित्व के प्रति पूर्णतः जिम्मेदार नहीं दिखाती। सूचना के अधिकार से संबंधित इस कानून में कुछ सीमाएँ भी निर्धारित की गई हैं। राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय सुरक्षा के दृश्टिकोण से महत्त्वपूर्ण देश के 22 संगठनों को इस अधिनियम से मुक्त रखा गया है। इनमें से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, ब्यूरो, सीमा सुरक्षा बल, प्रवर्तन निदेशालय आदि प्रमुख हैं। सरकारी की ओर से फाइल पर लिखी नोटिंग देखना भी इस कानून के तहत संभव है। अपराध रोकने व्यवस्था लागू करने का मामला हो, तो अधिकारी जानकारी को छुपा भी सकते हैं। इस कानून में यह भी प्रावधान किया गया है कि वह जानकारी नहीं दी जाएगी, जो किसी की निजता भंग करती हो।

भारत सरकार द्वारा इस कानून के लागू किए जाने से पूर्व ही देश के कुछ राज्यों में इसे सफलतापूर्वक लागू कर दिया गयाथा। सर्वप्रथम कर्नाटक सरकार ने वर्ष 2000 में इसे अपने राज्य में लागू किया। फिर क्रमशः गोवा, राजस्थान, तमिलनाडु, दिल्ली, महाराष्ट्र, असोम, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा हरियाणा सरकार द्वारा इसे अपने राज्यों में लागू किया गया। अरविन्द केजरीवाल ने दिल्ली में सूचना का अधिकार कानून लागू कराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अधिनियम को स्थाई रूप देने में अन्ना हजारे के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। वर्ष 2000 में अन्ना हजारे के नेतृतव में किए गए आन्दोलन के कारण महाराष्ट्र सरकार को सूचना का अधिकार अधिनियम में संशोधन करना पड़ था।
यह अधिनियम आगे चलकर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का आधार दस्तावेज बन गया, जिसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। हजारे ने 9 अगस्त, 2006 को आलन्दी में सरकारी अधिकारियों के सीमा क्षेत्र से फाइल टिप्पन को मुक्त रखने की माँग को लेकर आमरण अनशन शुरू किया। परिण ाामतः 20 जुलाई, 2006 को उनकी माँग मानने हेतु केन्द्रीय मन्त्रिमंडल द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में संशोधन किया गया।

भूमंडलीकरण एवं उदारीकरण के इस दौर में जब निजी क्षेत्र की कंपनियों, उद्यमों एवं संस्थाओं की संख्या में दिन–प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, ऐसे में इनसे संबंधित सूचनाओं का इस अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं होना निश्चय ही इस कानून की एक बड़ी खामी है, क्योंकि देश एवं समाज के विकास में आज निजी क्षेत्र महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे है। इस कानून की एक और बड़ी खामी यह है कि इसमें कुछ क्षेत्रों से संबंधित सूचनाओं को भारत की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों तथा विदेशी संबंधों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के नाम पर गोपनीयता के दायरे में रखा गया है। प्रश्न यह उठता है ? कि यह तय करने का अधिकार किसे है कि कौन–सी सूचना को इन उद्देश्यों के लिए गोपनीय रखना आवश्यक है ? कानूनन यह अधिकार सूचना आयुक्त के पास है। अतः ऐसी स्थिति में पूर्ण पारदर्शिता की बात असंभव–सी लगती है। इन सबक बावजूद यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस अधिनियम ने एक ऐसे शासन प्रणाली सृजित की है, जिसके माध्यम से नागरिकों को लोक प्राधिकारियों के नियन्त्रण में उपलब्ध सूचना तक पहुँचना सुलभ हुआ है। आशा है कि आने वाले समय में देश से भ्रष्टाचार के उन्मूलन में इस अधिकार की भूमिका महत्त्वपूर्ण होगी।

राहुल कुमार प्रसाद
कनिष्ठ सहायक

स्वास्थ्य के बिना सब व्यर्थ

स्वास्थ्य जीवन है,स्वास्थ्य ही धन है।
स्वास्थ्य से परे,ना उन्नति,अमन है।

स्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ समाज ।
स्वस्थ समाज से विकसित राज ।
विकसित देश बनाये,
चलो मिल के, योग को अपना लें आज।

जीवन हो अपनप प्राकृतिक ।
आहार हो बिल्कुल संतुलित ।
व्यवहार में मधुरता हो मिश्रित ।
आचार–विचार हों अपनी संयमित।

आज भटकते देश के कर्णधार ।
कृत्रिम खान पान की हुई भरमार।
भागमभाग तनाव जीवन में
शरीर बन चुका रोगों का भंडार ।

आओ समझें अब असलियत ।
ना कम होने पायें शारीरिक मेहनत ।
अच्छी स्वास्थ्य के बिना सब व्यर्थ
आज बनी सेहत सबसे बड़ी जरुरत

योगेश कुमार
बाह्य साधन : सहायक (प्रशासन)
निगमित कार्यालय

जीवन की सुंदरता

तु जिंदगी को जी उसे समझने की कोशिश न कर,
सुंदर सपने के तानेबाने बुन,
उसमें उलझने की कोशिश न कर।
चलते वक्त के साथ तू भी चल,
उसमे सिमटने की कोशिश न कर ।
अपने हाथों को फैला, खुलकर सॉस ले,
अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश न कर ।
मन मे चल रहे यूद्ध को विराम दें,
खामख्वाह खुद से, लडने की कोशिश न कर ।
कुछ बाते ऊपर वाले पर छोड़ दे,
सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश न कर।
जो मिल गया, उसी में खुश रह,
जो सुकून छीन ले तुम्हारा,
वो पाने की कोशिश न कर ।
जीवन की सुंदरता का लुत्फ उठा,
मंजिल पर वक्त से पूर्व पहुंचने की कोशिश न कर ।
जिंदगी को जी समझने की कोशिश न कर ।

कौशल्या चतुर्वेदी
योगाचार्या व समाज सेविका ,

आदमी की गाथा

हर आदमी एक मजदूर है
कोई कम तो कोई ज्यादा मजबूर है
संघर्ष से मिलता जन्नत का नूर है
यही प्यारे दुनिया का दस्तूर है

सभी को अपनी खासियतों को पर गुरुर है
पर सभी में कहीं न कहीं कमियाँ जरूर है

संतुष्ट शब्द कहीं खो सा गया है,
हर कोई दु:खी हो सा गया है
जीवन में सब कुछ उसकी माया है
उसे भी भला कोई समझ पाया है

इतना ऊँचा भी मत उड़ो
जैसे पेड़ खजूर है
न छाया दे, फल भी लगे अति दूर है
सूरज की माना गर्मी जरूर है
पर बादलो के सामने झुकना उसे मंजूर है

सुखी आदमी दिखता अब दूर है
सबकों कोई न कोई दु:ख जरूर है

पींकी
कनिष्ठ सहायक (प्रशासन)
निगमित कार्यालय

शब्द एक – रूप अनेक

पानी एक बहता नीर है जिस भी आकर में ढालो रूप बदलकर वैसा ही आकार लेता है। देखे 'पानी' शब्द का कमाल –

पानी आकाश से गिरे तो...........................बारिश,
आकाश की ओर उठे तो...........................भाप,
जम कर गिरे तो...ओले,
अगर गिर कर जमे तो...............................बर्फ,
फूल पर हो तो...ओस,
फूल से निकले तो......................................इत्र
जमा हो जाए तो..झील,
बहने लगे तो...नदी,
सीमाओं में रहे तो.....................................जीवन,
सीमाएँ तोड़ दे तो.....................................प्रलय,
आँख से निकले तो....................................ऑसू
शरीर से निकले तो....................................पसीना और
प्रभु के चरणों से निकले तो......................चरणामृत

हिल में एकता शपथ

हिल (इंडिया) लिमिटेड के प्रधान कार्यालय में कर्मचारियों द्वारा एकता शपथ ली गई।

हिल में सामप्रदायिक सद्भाव अभियान

हिल (इंडिया) लिमिटेड के प्रधान कार्यालय में कर्मचारियों द्वारा सामप्रदायिक सद्भाव अभियान सप्ताह मनाया गया।

हिल (इंडिया) लिमिटेड में सतर्कता जागरूकता सप्ताह

हिल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा ''भ्रष्टाचार का विरोध करें – राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें'' विषय पर 30 अक्टूबर, 2023 से 05 नवंबर 2023 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 का आयोजन किया गया। कंपनी के निगमित कार्यालय सहित सभी यूनिटों और क्षेत्रीय बिक्री कार्यालयों के सभी कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा दिलाई गई ।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह – 2023 के दौरान प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय बिक्री कार्यालयों और यूनिटों के कर्मचारियों को जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों जैसे निबंध लेखन, कविता लेखन, नारा लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया । हिल के कार्मिकों के 5 से 8 तथा 9 से 15 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया । सतर्कता जागरूकता सप्ताह – 2023 के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार भी प्रदान किए गए ।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह

निगमित कार्यालय, हिल (इंडिया) लिमिटेड की सभी महिला कर्मचारियों द्वारा प्रधान कार्यालय में अत्यधिक उत्साह के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह मनाया गया। कंपनी ने प्रत्येक महिला कर्मचारी को संगठन में उनके योगदान तथा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस आयोजन की स्मृति हेतु एक मोमेंटो भी प्रदान किया गया। प्रबंधन की ओर से सभी महिला कार्मिकों के लिए जलपान की व्यवस्था भी की गई।

हिल (इंडिया) लिमिटेड के रसायनी यूनिट में प्रधान कार्यालय के राजभाषा अनुभाग द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रगति की दिशा में हो रहे कार्यान्वयन के संबंध में निरीक्षण किया गया। इसके पश्चात यूनिट प्रमुख एवं विभागाध्यक्षों के साथ राजभाषा हिंदी के उत्कृष्ट कार्यान्वयन पर चर्चा की गई।

किसान मेलों की झलकियां ।

देश के विभिन्न प्रदेशों में किसानों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से एकीकृत कीट प्रबंधन, कीटनाशकों के विवेकपूर्ण उपयोग आदि विभिन्न विषयों पर हिल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा आयोजित किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा किसान मेलों में हिल की प्रतिभागिता की झलकियां ।

हिल में राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन

निगमित कार्यालय में राजभाषा संगोष्ठी

हिल (इंडिया) लिमिटेड के प्रधान कार्यालय में दिनांक 23.11.2023 को हिंदी कार्यशाला एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें ईएसआईसी के संयुक्त निदेशक(राजभाषा),श्री श्याम सुंदर कथूरिया जी को विशेष वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। संगोष्ठी में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के साथ अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।

हिल (इंडिया) लिमिटेड के निगमित कार्यालय में दिनांक 28.03.2023 को हिंदी कार्यशाला एवं तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के सलाहकार श्री केवल कृष्ण को विशेष अतिथि –सह – वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। इस संगोष्ठी में निदेशक (विपणन) के साथ अन्य अधिकारियों ने भाग लिया ।

हिल में गणतंत्र दिवस समारोह

अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, गुरूग्राम

हिल (इंडिया) लिमिटेड के गुरूग्राम स्थित अनुसंधान एवं विकास केन्द्र में गणतंत्र दिवस, 2024 के अवसर पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री कुलदीप सिंह के द्वारा निदेशक (वित्त), निदेशक (विपणन) और सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों की उपस्थिति में ध्वाजारोहण किया गया ।

बठिंडा यूनिट

हिल (इंडिया) लिमिटेड की पंजाब स्थित बठिंडा यूनिट में गणतंत्र दिवस, 2024 के अवसर पर यूनिट प्रमुख श्री पार्थ मुखर्जी द्वारा सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों की उपस्थिति में ध्वाजारोहण किया गया।

उद्योगमंडल यूनिट

हिल (इंडिया) लिमिटेड की केरल स्थित उद्योगमंडल यूनिट में गणतंत्र दिवस, 2024 के अवसर पर यूनिट प्रमुख श्री आर. लक्ष्मण द्वारा सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों की उपस्थिति में ध्वाजारोहण किया गया ।

रामायण की चौपाई

गायत्री
वरिष्ठ सहायक,
निगमित कार्यालय

बिनु सत्संग विवेक न होई।
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।।
सठ सुधरहिं सत्संगति पाई।
पारस परस कुघात सुहाई।।

अर्थ : सत्संग के बिना विवेक नहीं हो. ता और राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग नहीं मिलता, सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। दुश्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं जैसे पारस के स्पर्ष से लोहा सुंदर सोना बन जाता है।

जा पर कृपा राम की होई।
ता पर कृपा करहिं सब कोई।।
जिनके कपट, दम्भ नहिं माया।
तिनके हृदय बसहु रघुराया।।

अर्थ : जिन पर राम की कृपा होती है, उन्हें कोई सांसारिक दु:ख छू तक नहीं सकता। परमात्मा जिस पर कृपा करते है उस पर तो सभी की कृपा अपने आप होने लगती है । और जिनके अंदर कपट, दम्भ (पाखंड) और माया नहीं होती, उन्हीं के हृदय में रघुपति बसते हैं अर्थात उन्हीं पर प्रभु की कृपा होती है।

हिल (इंडिया) लिमिटेड में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस

हिल (इंडिया) लिमिटेड के रसायनी यूनिट में दिनांक 04.03.2024 को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर यूनिट के सभी कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा दिलाई गई ।

राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस – 2024 के दौरान प्रधान कार्यालय, यूनिट के सभी कर्मचारियों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों जैसे निबंध लेखन, कविता लेखन, नारा लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया तथा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार भी प्रदान किए गए ।

समृद्धि हेतु सुरक्षा

आपकी पाती

फोन Tel. : 011-22448106

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड

HINDUSTAN COPPER LIMITED

CIN: L27201WB1967GOI028825

भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE

दूसरा तल, कोर-2,
नॉर्थ टावर, स्कोप मीनार,
लक्ष्मी नगर डिस्ट्रीक सेन्टर
दिल्ली - 110 092

2nd Floor, Core-2,
North Tower, SCOPE Minar,
Laxmi Nagar Distt Centre,
Delhi - 110 092

क्रमांक: एचसीएल/आरएसओ-दिल्ली/ हिल (इंडिया) /01/2024

दिनांक: 19.04.2024

सेवा में,

डॉ. शिवेंद्र सिंह,
प्रबंधक (प्रशासन),
हिल (इंडिया) लिमिटेड,
लोधी रोड, नई दिल्ली

विषय: हिल (इंडिया) लिमिटेड की गृह पत्रिका के लिए हार्दिक धन्यवाद

संदर्भ: आपके पत्र: सं0सं0 8 (3) 2024- हिंदी, दिनांक-15.03.2024

महोदय,

मैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, दिल्ली कार्यालय की ओर से, आपकी गृह हिंदी पत्रिका, "रक्षक" के 15वें संस्करण हमें प्राप्त होने पर अपना हार्दिक आभार व्यक्त करने के लिए लिख रहा हूं।

"रक्षक" पत्रिका के प्रत्येक संस्करण को प्राप्त करना हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में हम सभी के लिए एक सुखद अनुभव रहा है। "रक्षक" पत्रिका हिंदी भाषा में उपलब्ध सर्वोत्तम पत्रिकाओं में से एक है। हम रक्षक में प्रस्तुत सामग्री की गुणवत्ता से वास्तव में प्रभावित हैं। पत्रिका न केवल जानकारीपूर्ण है, बल्कि अविश्वसनीय रूप से व्यावहारिक भी है।

एक बार फिर, हम ऐसे उत्कृष्ट प्रकाशन के निर्माण में आपके प्रयासों के लिए आपको और हिल (इंडिया) लिमिटेड की पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद देते हैं। रक्षक के माध्यम से ज्ञान को बढ़ावा देने और विकास को बढ़ावा देने की आपकी प्रतिबद्धता वास्तव में सराहनीय है, और हमें इससे लाभ उठाने का सौभाग्य मिला है।

हम इस समृद्ध साझेदारी को जारी रखने के लिए तत्पर हैं और रक्षक के आगामी संस्करणों का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं।

हार्दिक सम्मान के साथ,

भवदीय,
(संजीव कुमार कश्यप),
प्रबंधक (मानव संसाधन)

REGD. OFFICE : "TAMRA BHAWAN", 1, ASHUTOSH CHOWDHURY AVENUE, KOLKATA-700 019
हम आपके हिन्दी पत्रों का स्वागत करते हैं।

कोल इण्डिया लिमिटेड
(भारत सरकार भारत का उपक्रम)
(एक महारत्न कंपनी)
ब्लॉक -3 -प्लेट ए., तीसरा तल
पूर्वी किदवई नगर ऑफिस कॉम्प्लेक्स
नई दिल्ली110023
फोन: +91-11-24624622
फैक्स: +91-11-24346475
ईमेल: cil.delhi@coalindia.in

COAL INDIA LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(A Maharatna Company)
Block-3, Plate-A, 3rd Floor,
East Kidwai Nagar Office Complex
New Delhi- 110023
Phone: +91-11-24624622
Fax: +91-11-24346475
Email: cil.delhi@coalindia.in

संख्या: सीआईएल/डीआईएल/हिंदी/2023/ 1827

दिनांक: 11.04.2023

सेवा में

अजित कुमार
सहायक प्रबंधक (राजभाषा), हिल (इंडिया) लिमिटेड
स्कोप कॉम्प्लेक्स, कोर -6
द्वितीय तल, 7,
लोदी रोड, नई दिल्ली -110003

विषय: हिल (इंडिया) लिमिटेड की गृह पत्रिका 'रक्षक' के अंक-13 का प्रेषण ।

महोदय,

आपके द्वारा प्राप्त छमाही पत्रिका अंक-13 'रक्षक' हमें प्राप्त हुआ । पत्रिका के सभी विषय बहुत ही ज्ञानवर्धक है । इसके विषय, जो भविष्य के लिए एक प्रेरणा है जैसे दिल्ली प्रदूषण, आधुनिक नारी, भारत के भविष्य और तुम कभी न भर पाओगे आदि ।

कृपया आप इसी तरह भविष्य में भी अपनी पत्रिका हमारे कार्यालय में प्रेषित करे ताकि हिंदी राजभाषा का ज्ञान वर्धन हो सके ।

भवदीया,
(इंदु मिश्रा)
वरि. प्रबंधक (कार्मिक/राजभाषा)

REGD. OFFICE: COAL BHAWAN, PREMISES-AF-III, ACTION AREA-1A, NEW TOAN, RAJARHAT, KOLKATA-700158
Web: www.coalindia.in, www.coalindia.co.in

फोन Tel. : 011-22448106

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड

HINDUSTAN COPPER LIMITED

CIN: L27201WB1967GOI028825

भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE

दूसरा तल, कोर-2,
नॉर्थ टावर, स्कोप मीनार,
लक्ष्मी नगर डिस्ट्रीक सेन्टर
दिल्ली - 110 092

2nd Floor, Core-2,
North Tower, SCOPE Minar,
Laxmi Nagar Distt Centre,
Delhi - 110 092

क्रमांक: एचसीएल/आरएसओ-दिल्ली/ हिल (इंडिया) /01/2024

दिनांक: 19.04.2024

सेवा में,

डॉ. शिवेंद्र सिंह,
प्रबंधक (प्रशासन),
हिल (इंडिया) लिमिटेड,
लोधी रोड, नई दिल्ली

विषय: हिल (इंडिया) लिमिटेड की गृह पत्रिका के लिए हार्दिक धन्यवाद

संदर्भ: आपके पत्र: सं0सं0 8 (3) 2024- हिंदी, दिनांक-15.03.2024

महोदय,

मैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, दिल्ली कार्यालय की ओर से, आपकी गृह हिंदी पत्रिका, "रक्षक" के 15वें संस्करण हमें प्राप्त होने पर अपना हार्दिक आभार व्यक्त करने के लिए लिख रहा हूं।

"रक्षक" पत्रिका के प्रत्येक संस्करण को प्राप्त करना हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में हम सभी के लिए एक सुखद अनुभव रहा है। "रक्षक" पत्रिका हिंदी भाषा में उपलब्ध सर्वोत्तम पत्रिकाओं में से एक है। हम रक्षक में प्रस्तुत सामग्री की गुणवत्ता से वास्तव में प्रभावित हैं। पत्रिका न केवल जानकारीपूर्ण है, बल्कि अविश्वसनीय रूप से व्यावहारिक भी है।

एक बार फिर, हम ऐसे उत्कृष्ट प्रकाशन के निर्माण में आपके प्रयासों के लिए आपको और हिल (इंडिया) लिमिटेड की पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद देते हैं। रक्षक के माध्यम से ज्ञान को बढ़ावा देने और विकास को बढ़ावा देने की आपकी प्रतिबद्धता वास्तव में सराहनीय है, और हमें इससे लाभ उठाने का सौभाग्य मिला है।

हम इस समृद्ध साझेदारी को जारी रखने के लिए तत्पर हैं और रक्षक के आगामी संस्करणों का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं।

हार्दिक सम्मान के साथ,

भवदीय,
(संजीव कुमार कश्यप),
प्रबंधक (मानव संसाधन)

REGD. OFFICE : "TAMRA BHAWAN", 1, ASHUTOSH CHOWDHURY AVENUE, KOLKATA-700 019
हम आपके हिन्दी पत्रों का स्वागत करते हैं।

हिल (इंडिया) लिमिटेड

(पूर्व में हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड)

(भारत सरकार का उद्यम)

सीआइएन यू24211डीएल1954जीओआई002377

समृद्धि हेतु सुरक्षा

आईएसओ 9001: 2015

कृषि रसायन खंड

कीटनाशक

हिलमाला 50 ईसी
मैलाथियॉन 50 ईसी
हिलबान 20 ईसी
क्लोरपाइरिफॉस 20% ईसी
हिलबान 50 ईसी
क्लोरपाइरिफॉस 50% ईसी
हिलमिडा 17.8 एस एल
इमिडाक्लोप्रिड 17.8 % एस एल
हिल मिडाप्लस
इमिडाक्लोप्रिड 30.5% एस सी
हिलसाइप्रिन 25 ईसी
साइपरमेथ्रिन 25 % ईसी
हिलजेंट प्लस
फिप्रोनिल 5% एस सी
हिलस्टार 25 डब्ल्यूडीजी
थायोमेथोम 25% डब्ल्यूडीजी
हिलहन्टर 50ई सी
क्लोपाइरिफॉस 50 ईसी
साइपरमेथ्रिन 5% ईसी
हिलजेंट 0.3 % जीआर
फिप्रोनिल 0.3% जी आर
हिलमिल
मैंकोज़ेब 64% +मेटालज़ाइल 8%
हिलस्टारप्लस
थायोमेथोम 30% एफएस
हिलथ्रिन
बिफेनथ्रिन 10% ईसी
हिलक्लेम
इमामेक्टिनबेंजोएट 5% एस जी

हिलक्रॉन
मोनोक्रोटोफॉस 36% एस एल
हिलप्रिड 20 एसपी
एसिटामिप्रिड 20% एसपी
हिलकोर 18.5 एससी
क्लोरएंट्रानिलिप्रोले 18.5 एससी
हिलकोर 0.4% जीआर
क्लोरएंट्रानिलिप्रोले 0.4% जीआर
हिलकोर सुपर
क्लोरएंट्रानिलिप्रोल 0.5%+
थियामेथोक्साम1 % जीआर
हिलफिम 40
फिप्रोनिल 40% + इमडाक्लोप्रिड
40% डब्ल्यूडीजी
हिलप्रो 80
फिप्रोनिल 80डब्ल्यूडीजी
हिलक्लेम प्लस
इमामेक्टिन 3%+
थेमेथोक्सम 12 एसजी
हिलस्ट्रॉम
थेमेथोक्सम 12 .6% +
लैम्ब्डासाइहेलोथ्रिन 9.6% जेडसी

फफूंदनाशी

हिलथेन एम 45
मैन्कोज़ेब 75% डब्ल्यूपी
हिलकॉपर 50डब्ल्यूपी
कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% डब्ल्यूपी
हिलपंच
मैन्कोज़ेब 63% +
कार्बेन्डाजिम 12% डब्ल्यूपी

हिलसल्फ 80 डब्ल्यूडीजी
सल्फर 80% डब्ल्यूडीजी
हिल ज़ोल पावर 5 एससी
हेक्साकोना ज़ोल 5% एससी
हिलरक्षक
एज़ोक्सीस्टोबिन 11% +
टेबुकोनाज़ोल 18.3%
हिलप्रोपी 25 ईसी
प्रोपिकोंजोल 25% ईसी

शाकनाशी

हिल 2, 4 डी
2, 4 डी एमीनसाल्ट 58%
त्रिनाशीप्लस
ग्लाइफोसेट 71% एसजी
हिलपेंडी 30 ईसी
पेंडीमेथालिन 30% ईसी
त्रिनाशी 41 एस एल
ग्लाइफोसेट 41% एस एल
हिल्प्रेती 50 ईसी
प्रेटिलाक्लोर 50% ईसी

तकनीकी

मोनोक्रोटोफॉस
इमिडाक्लोप्रिड
गाइफोसेट
मेलाथियॉन
बुप्रोफेज़िन
एसीफेट
क्लोरोपाइरिफॉस
मैंकोजेब
पेंडिमेथलिन

बीज खंड

अनाज	गेहूं, चावल, मक्का आदि
दालें	अरहर, उड़द, मूंग, चना, मसूर आदि।
तिलहन	मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, सरसों आदि।
चारा फसलें	एसएसजी, बरसीम, जई आदि।
बाजरा	सभीमोटेअनाज केबीज
फाइबर फसलें	जूट, सन–हैंप, कपास आदि।
सब्ज़ियाँ	सभी हाइब्रिडऔरओ.पी. सबजियों केबीज

उर्वरक खंड

जल में घुलनशील उर्वरक	नैनो उर्वरक
हिलगोल्ड एनपीके 19:19:19	नैनो यूरिया
हिलगोल्ड एन पी के 13:0:45	नैनो डीएपी

सार्वजनिक स्वास्थ्य खंड

डी. डी. टी.	नीम आधारित
मैलाथियान तकनीकी (95% और 96% यूएलवी)	वनस्पति
लंबे समय तक चलने वाला कीटनाशक मच्छरदानी (एल. एल. आई. एन.)	

जैव–उत्पाद

जैव–कीटनाशक	जैव–उर्वरक	
बैसिलस थुरिंजिएंसिस इजराइलेंसिस	राइजोबियम	कैरियर बेस्ड कॉनसोरटिया
नीम आधारित फॉर्मूलेशन	एजोटोबैक्टर	एसीटोबैक्टर
स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस 2% एएस	फॉस्फेट सोल्यूबिलाईजिंग बैक्टीरिया	ऑर्गेनिक मैन्यूर
ट्राइकोडर्माहरजियानम 10% डब्ल्यूपी	पोटाष मोबीलाईजिंग बायोफर्टिलाईजरस	वर्मी कंपोस्ट
वर्टिसिलियम क्लैमाइडोस्पोरियम 1% डब्ल्यूपी	जिंक सोल्यूबिलाईजिंग बायोफर्टिलाईजरस	फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्यूर

कीटनाशक के सुरक्षित एवं विवकपूर्ण उपयोग पर प्रशिक्षण

हिल (इंडिया) लिमिटेड
स्कोप कॉम्पलेक्स, कोर–6, द्वितीय तल, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली – 110003 (भारत), दूरभाषः 011–24361019, 24362100

समृद्धि हेतु सुरक्षा

उद्देश्य

किसानों को पेस्टिसाइड्स की एक विशाल विविधता प्रदान करने के लिए उत्पाद प्रोफाइल का विस्तार करना।

कृषि समुदाय के लिए तीन क्षेत्रों अर्थात कृषि रसायन, बीज और उर्वरकों की एक पूर्ण बास्केट प्रदान करना।

गुणवत्ता नीति

- सरकार के जन-स्वास्थ्य/फसल संरक्षण कार्यक्रमों को बल प्रदान करना।
- पेस्टिसाइड्स के उचित प्रयोग को उन्नत करना।
- कार्मिक उत्पादकता में सुधार लाना।
- कार्मिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना।
- कार्मिक में सुरक्षा जागरूकता बढ़ाना।

दूरदर्शिता

जनस्वास्थ्य एवं फसल संरक्षण के क्षेत्र में एक अग्रणी प्रतिस्पर्द्धक बनना।

हिल (इंडिया) लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

निगमित कार्यालय

स्कोप काम्पलैक्स, कोर-6, द्वितीय मंजिल-7, लोदी रोड़, नई दिल्ली-110003

दूरभाष: 24362100, 24361107, फैक्स: 24362116

ई-मेल: headoffice@hil.gov.in वेबसाइट: www.hil.gov.in